

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 433/2022

IN THE MATTER OF:

Pateshwari Prasad Singh

...Applicant

Versus

State of U.P. & Ors.

...Respondent

INDEX

S.NO.	PARTICULAR	PAGE NO.
1.	COMPLIANCE REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT FILED ON BEHALF OF PRINCIPAL SECRETARY, IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH, REGARDING DETERMINATION OF FLOOD PLAIN ZONE OF RIVER SUAV, IDENTIFICATION OF ENCROACHMENTS ON THE SAME AND REMEDIAL MEASURES FOR REJUVENATION OF RIVER SUAV, IN COMPLIANCE OF HON'BLE NGT, PB ORDER DATED 15.04.2025.	1-7
2.	<b>Annexure-I.</b> Copy of letter dated 27.03.2025	8-36
3.	<b>Annexure-II</b> Copy of the office letter dated 08.04.2025	37-54

4.	<b>Annexure-III</b> Copy of the notification dated 07.10.2016	55-94
5.	<b>Annexure-IV</b> Copy of the order dated 05.04.2022	95-96
6.	<b>Annexure-V</b> Copy of the order dated 20.07.2022	97-98
7.	<b>Annexure-VI.</b> Copy of the letter dated 14.06.2023	99-103
8.	<b>Annexure-VII.</b> Copy of the order dated 26.06.2025	104-108
9.	<b>Annexure-VIII.</b> Copy of the letter dated 30.06.2025	109-110
10.	<b>Annexure-IX</b> Copy of the letter dated 21.05.2025 and 04.06.2025	111-115
11.	<b>Annexure-X</b> Copy of the letter dated 02.06.2025	116

07-07-25

Through

Gigi C. George, Advocate

Standing Counsel (UOI)

Ch. No. 457, Lawyers Block, DHC, New Delhi

[Gigicgeorge.adv42@yahoo.in](mailto:Gigicgeorge.adv42@yahoo.in),

M-9810625315

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 433/2027

IN THE MATTER OF:


Pateshwari Prasad Singh

State of U.P. & Ors.



...Applicant

...Respondent



COMPLIANCE REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT FILED ON BEHALF OF PRINCIPAL SECRETARY, IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH, REGARDING DETERMINATION OF FLOOD PLAIN ZONE OF RIVER SUAV, IDENTIFICATION OF ENCROACHMENTS ON THE SAME, AND REMEDIAL MEASURES FOR REJUVENATION OF RIVER SUAV, IN COMPLIANCE OF HON'BLE NGT, PB ORDER DATED 15.04.2025

Most Respectfully Showeth:

I, Anil Garg, S/o Shri Ratan Garg, Aged About 54 years, working as Principal Secretary in Irrigation and Water Resources Department, Ministry of Jal Shakti, State of U.P. having office at Lucknow, the deponent herein do hereby solemnly affirm and state on oath as under: -



↓

1. That deponent is well conversant with the facts and circumstances of the case.
2. That the present affidavit is being filed in compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated 15.04.2025, passed in Original Application No. 433 of 2022, specifically in response to the determination of the flood plain zone of river Suav, identification of encroachments on the same, and remedial measures for rejuvenation of river Suav.
3. That the Irrigation and Water Resources Department takes serious note of the observations made by the Hon'ble Tribunal in its order dated 15.04.2025, particularly concerning the determination of the flood plain zone of river Suav, identification of encroachments on the same, and remedial measures for rejuvenation of river Suav.
4. That in of compliance of point-6 of order of Hon'ble Tribunal, National Institute of Hydrology, Roorkee (hereinafter also referred as "NIH, Roorkee") carried out flood plain zone (FPZ) according to maximum flood criteria i.e. year 2022 flood data and provided the latitude and longitude of flood plain zone of River Suav via letter No. SWHD/NIH/2024-25 dated 27.03.2025. A copy of the letter dated 27.03.2025 is annexed herewith as **Annexure-I**. That In this report of NIH, it has been mentioned that

*"However, it is observed that at several locations there is an exchange of flood water from Rapti to Suav River".*

According to data from the CWC gauge site at Balrampur, the maximum flood in the River Rapti was observed in 2022. Considering this fact, the inundation extent has been delineated as the boundary of the flood plain




from satellite data of Balrampur district from 2009 to 2023. That during the delineation of flood floodplain, the patches that are connected to the Suav River are considered as floodplain of the Suav River.

5. That on the basis of the report provided by NIH, Roorkee with letter dated 27.03.2025, Government of UP (GoUP) has notified the flood plain area of river Suav vide office letter no.151/2025-439/2025-27-सि0-4FCN-1832864 dated 08.04.2025. Copy of the office letter dated 08.04.2025 is annexed herewith as **Annexure-II**.
6. That the above-mentioned notification has been issued in compliance with the order of Hon'ble NGT, and a new notification based on hydrological modelling for the flood return period of 1 in 100 years will be issued after completion of the FPZ exercise by NIH. The inundation extent corresponding to a 100-year return period flood (estimated from rainfall and convolution with SUH) using the HEC RAS hydraulic model will be carried out. That all data and resources required from the department have already been provided to NIH.
7. That on the basis of maximum flood, data provided by NIH, Roorkee, stone boundary pillars at a distance of 200 meters longitudinally have been fixed in 31 Km. (Km. 89.000 to Km. 120.000) which covers distt. Balrampur Nagar Palika.
8. That as far as the identification of the encroachment on the same and also the remedial measures taken for rejuvenation of river is concerned, as per the notification of Ministry of Water Resources, river development, and Ganga rejuvenation dated 07.10.2016 under section 6(3), 20, 24, 33, the nodal



agency for the same has been mentioned National Mission for clean Ganga. A copy of the notification dated 07.10.2016 is annexed herewith as **Annexure-III.**

9. That a government order has been issued at the level of the Chief Secretary for the restoration of small and tributary rivers under the MNREGA program by the Government Order No. 29 भा0स0 / 76-2-2022/05 एन0जी/ 2022 टी0सी0 dated 05.04.2022 of Namami Gange and Rural Water Supply Section-2 and it is mentioned in it that the work of restoration and rejuvenation will be done through the District Ganga Committee constituted at the district level. Copy of the order dated 05.004.2022 is annexed herewith as **Annexure-IV.**
10. That experts have also been appointed for the restoration and rejuvenation of small and tributary rivers under the MNREGA program and other projects by the Government Order No. 365/76-2-2022-05 एन0जी/ 2020 टी0सी0 dated 20.07.2022 of Namami Gange and Rural Water Supply Section-2. A copy of the order dated 20.07.2022 is annexed herewith as **Annexure-V.**
11. That in the letter issued by the Commissioner Rural Development Department, Uttar Pradesh on 14.06.2023, the details of the rivers rejuvenated by them in the financial years 2020-21 and 2021-22 have been mentioned. A copy of the letter dated 14.06.2023 is annexed herewith as **Annexure-VI**
12. That in continuation of the above in reference to the Suav river in Balrampur district, the Additional Chief Secretary, Rural Development Department and Principal Secretary, Namami Gange and Rural Water Supply Department were requested to take action for the restoration and



1

rejuvenation of the Suav river through Order No. 10 NGT / 25-27-सि-4-8 (Writ) NGT / 2022-सी0 एन0-1832864 dated 26.06.2025 and a copy of it has been sent to the District Magistrate Balrampur. A copy of the order dated 26.06.2025 is annexed herewith as **Annexure VII**.

13. That in continuation of the order passed in the above-mentioned case on 30.06.2025, a separate letter has also been sent directly to the District Magistrate, Balrampur vide letter number-800/25-27-सि-4-8 (Writ) NGT/2022-सी0 एन0-1832864 of Irrigation and Water Resources Section-4 concerning the revival of the Suav river. A copy of the letter dated 30.06.2025 is annexed herewith as **Annexure-VIII**.

14. That for the identification of encroachments in the flood plain zone of Suav river a joint committee of Junior Engineer of Irrigation Department, Revenue Staff of Irrigation Department and Revenue Staff of District Balrampur have been formed by Sub Divisional Magistrate, Balrampur Sadar via letter no.176/ngt-suav river/2024-25/ dated 22.05.2025.

15. That it is humbly submitted that the Identification of encroachments work under the supervision of the district administration is under progress as per the communication received from Sub Divisional Magistrate, Utraula via letter no.848/ngt-suav river/2025/ dated 21.5.2025 and Tehsildar Dumariyagani, Distt.-Siddharthnagar via letter no.47/2025- 26/ dated 04.06.2025. A copy of the letter dated 21.05.2025 and 04.06.2025 is annexed herewith as **Annexure IX**.



16. That for the compliance of point 7 of the order of the Hon'ble Tribunal, removal of encroachments in the flood plain Zone of Suav River is mandate for District. Magistrate Balrampur and Executive Officer, Nagar Palika, Balrampur. Executive Engineer, Saryu Drainage Division-2, Balrampur informed to Executive officer Nagar Palika, Balrampur for the removal of encroachments in the flood plain zone of Suav River via letter no.-576/SDK-2blp/ngt/ dated 02.06.2025. Copy of the letter dated 02.06.2025 is annexed herewith as **Annexure-X**.

17. That the Irrigation and Water Resources Department is fully committed to ensuring strict compliance with the flood plain zone & its encroachments, and the directions of the Hon'ble Tribunal. Further it is submitted that the continuous monitoring and enforcement drives will be undertaken to determination of flood plain zone of river Suav, identification of encroachments on the same and appropriate remedial measures in Balrampur and across the State.

↓  
DEPONENT



Verification

Verified at 11.00 on 07/21/28 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and as per the official records and nothing material has been concealed therefrom.

*[Handwritten mark]*

DEPONENT



Solemnly affirmed before me in office today at 11.00 by Ar. Li. Siddiqui who is identified by Shri / SMT Ar. Li. Siddiqui Clerk to Shri Ar. Li. Siddiqui  
I have satisfied my self and examining the department that he understands the contents of this affidavit which have been read out and explained by me Ar. Li. Siddiqui

I identify the deponent / applicant who has signed / Put It. before me Ar. Li. Siddiqui  
07/07/25



1003


राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान

(जल शक्ति मंत्रालय/जल संसाधन, यदी विकास एवं रंगा संरक्षण विभाग,  
के अधीन भारत सरकार की समिति)  
जलविज्ञान भवन, रुढ़की-247 667 (उत्तराखण्ड) भारत  
**National Institute of Hydrology**  
(A Government of India Society under Ministry of Jal Shakti,  
Department of Water Resources, R.D. & G.R.  
Jalvignyan Bhawan, Roorkee - 247 667, (Uttarakhand) INDIA  
(An ISO 9001 : 2015 Certified Organization)

Annexure-1



असतो मा सद्गमय



Phone : +91-1332-272108, 272108  
Web : www.nihroorkee.gov.in

Superintending Engineer, Drainage Circle  
Irrigation & Water Resources Department  
Uttar Pradesh  
Gonda

No. SWHD/NIH/2024-25  
Date: 27 March, 2025

Sub.: Progress report regarding Flood plain zone delineation for river Suav.

Ref.: Your Letter No. 1314/DMG/NGT dated 11/3/2025


Sir,

With reference to above cited letter, the progress report for "Flood plain zone delineation of Suav River" is enclosed herewith. The flood plain has been delineated on the basis of satellite imageries for maximum observed inundation.

With Regards,

Head, Surface Water Hydrology Division  
National Institute of Hydrology, Roorkee

Progress Report  
**Flood Plain Zone (FPZ) Delineation of  
 the Suav River**



आपो हि सा मयोमुवः

**National Institute of Hydrology**

Jal Vigyan Bhawan, Roorkee (Uttarakhand) – 247667

March, 2025

Contents

1 INTRODUCTION ..... 1

3 STUDY AREA AND DATA ..... 4

    3.1 Data ..... 4

4 FLOOD PLAIN DELINEATION ..... 5

    4.1 Satellite Based Approach ..... 5

    4.2 ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS ..... 6

5 SUMMARY AND FUTURE PLAN ..... 7

**LIST OF FIGURES**

Figure 1.1: Inundation extent map of Balrampur district [2009-2023] ..... 3  
Figure 4.1: Maximum flood inundation extent of satellite data (RSAC,UP)..... 5

## List of Abbreviation

Abbreviation	Definition
1-D	One Dimensional
2-D	Two Dimensional
CWC	Central Water Commission
DEM	Digital Elevation Model
ESRI	Environmental Systems Research Institute
FABDEM	Forest And Buildings removed Copernicus DEM
FFA	Flood Frequency Analysis
FPZ	Flood Plain Zoning
G&D	Gauge and Discharge
GEV	General Extreme Value
GIS	Geographic Information System
GLO	Generalized Logistic
HEC	Hydrologic Engineering Centre
HFL	Heights Flood Level
HO	Hydrological Observation
JRC	Joint Research Centre
NGT	National Green Tribunal
NRSC	National Remote Sensing Centre
PT3	Pearson Type-III
QGIS	Quantum Geographic Information System
RAS	River Analysis System
RSAC-UP	Remote Sensing Applications Centre, Uttar Pradesh
SOI	Survey of India
USACE	US Army Corps of Engineers
OWS	Observed Water Surface
WS	Simulated Water Surface

## 1 INTRODUCTION

Floods constitute one of the major national calamities faced by India almost every year resulting in substantial loss of life, large scale damage to property, disruption of community lifelines besides entailing untold misery to the millions. Concerted efforts have been made over the years to reduce the damage due to floods and mitigate the sufferings of the people. Various structural flood control measures were taken up in the past including construction of reservoirs, embankments, drainage channels, etc. It is, however, now realised that absolute and permanent protection to all flood prone areas and for all magnitudes of floods by structural measures alone is not only impossible but also not economically viable. The emphasis has therefore been rightly shifted to non-structural measures like Flood Plain Zoning and Regulation, Flood Forecasting, etc., to effectively supplement the structural measures for providing sustainable protection to flood affected areas. The broad concept in flood plain zoning is to regulate the land use in order to mitigate the damage potential. The role of flood plains and need for flood plain zoning was recognized by the Central Water Commission (CWC) as early as 1975. This bill envisages zoning of flood plain of a river according to flood frequencies and defines the type of use of flood plain. The States of Manipur, Rajasthan, Uttarakhand, and erstwhile State of Jammu & Kashmir had enacted the legislation.

The Chief Engineer, Saryu Project -II has approached National Institute of Hydrology Roorkee to carry out the study for "Flood plain zone delineation of Suav River". The Irrigation & Water Resources Department, UP has to identify flood plain zone of river Suav to Hon. NGT as defined under 3 (I) of River Ganga (Rejuvenation, Protection and management) Authority Order, 2016. The "Flood plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years.

The expertise of NIH was sought to guide how flood plain zoning of river Suav can be done considering following:

- No measured hydrological data are available for river Suav.
- During high flood of river Rapti, inundation happens up to river Suav around

Balrampur district.

- Earlier in the Committee's report dated 16.05.2023, it has been mentioned that LiDAR survey data will be required. Irrigation Department is planning to procure LiDAR data from Survey of India with 1 meter contour interval for area required in hydrological modelling.

With these constraints, NIH with Irrigation Department agreed upon following methodology.

1. Since, hydrological data are not available for river Suav, the flood for 100 year return period will be estimated from rainfall of corresponding return period (100 year) and convolution with the synthetic unit hydrograph (SUH). The SUH will be derived using flood estimation report (Middle Ganga Plains Subzone 1(f)) of CWC and relevant catchment characteristics. Moreover, the regional flood frequency relationships developed for ungauged basin of Middle Ganga Plains Subzone 1(f) by Kumar et al (2003) will also be used to estimate design flood for 100 year return period. This approach was used in the earlier committee submitted report of committee on 16.05.2023.
  2. The Inundation extent from satellite data of Balrampur district from 2009 to 2023 as shown in Figure 1.1 is available from NRSC/FMISC. The maximum inundation extent from this data will be delineated as boundary of flood plain. During delineation of floodplain, the patches connected to Suav river will be considered as flood plain of Suav river.
  3. The Survey of India (SOI) will provide the 1m contour map and Digital Terrain Model (DTM). River cross-section will also be surveyed physically. The hydraulic model (HEC RAS) will be setup to simulate the flow pattern on the existing topography (represented through DTM and cross-section). Finally, the 100 year return period flood value estimated from rainfall (step 1) will be provided as input to hydraulic model (HEC RAS) for simulating flood inundation extent.
  4. The inundation extent from satellite data (step 2) and from hydraulic model (step 3) will be compared and maximum of them will be delineated for flood plain zone.
- However, it is observed that at several locations there is exchange of flood

water from Rapti to Suav river. This make it difficult to separate the flood plain of river Suav and Rapti. In this study areas which are predominately connected to Suav river will be marked as flood plain of Suav river.




Figure 1.1: Inundation extent map of Balrampur district [2009-2023]

### 3 STUDY AREA AND DATA

The length of Suav river stretch is about 124 km. Various data and information are collected from the Survey of India (SOI), Remote Sensing Applications Centre, Uttar Pradesh (RSAC-UP) and field survey by the Irrigation and Water Resources Department Govt. of U.P. and provided to NIH for this study.

#### 3.1 Data

Following data/ information are used in this study

- Annual/ event wise flood extent layer extracted from remote sensing data for the period 2009 to 2023. Obtained from NRSC/ Remote Sensing Applications Centre, Uttar Pradesh (RSAC-UP)
- 1 m contour and 1 m grid spacing Digital Terrain Model (DEM) from the Survey of India.
- River cross-sections by the Irrigation and Water Resources Department Govt. of U.P. The datum is being checked and corrected to MSL and DTM by the Survey of India.
- 30 m grid spacing FABDEM (Forest And Buildings removed Copernicus DEM) for the catchment area.

## 4 FLOOD PLAIN DELINEATION

### 4.1 Satellite Based Approach

The flood inundation extent from satellite data of Balrampur district from 2009 to 2023 was provided by the RSAC, UP (NRSC)/ FMISC. The maximum inundation extent from this data is delineated as boundary of flood plain. During delineation of floodplain, the patches which are connected to Suav river are considered as flood plain of Suav river. It is observed that there is exchange of flood water from Rapti to Suav river at several locations. This makes it difficult to separate the flood plain of river Suav and Rapti. Here the areas which are predominately connected to Suav river are marked as flood plain of Suav river. The delineated flood plain based on satellite data is shown in Figure 4.1.




Figure 4.1: Maximum flood inundation extent of satellite data (RSAC,UP)

A preliminary ground verification was performed with irrigation Dept. Further refinement will be made by comparing with existing topography (1 m contour). Further the KML file

(can be opened in Google Earth) and tabular value of coordinate (Longitude, Latitude) are also provided (Annexure-I) for ground truth verification.

#### 4.2 ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS

- Flood extent covered by satellite depends upon revisit period, cloud cover, River turbidity, river seasonality etc. and classification algorithm used.
- Cannot segregate riverine flooding from other types of flooding.
- Flood inundation extent is possible due to combine effects of flooding in Suav river and overflow from Rapti river.

## 5 SUMMARY AND FUTURE PLAN

The Irrigation & Water Resources Department, UP has to identify flood plain zone of river Suav as per the directive of Hon. NGT as defined under 3 (I) of River Ganga (Rejuvenation, Protection and management) Authority Order, 2016. The "Flood plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years. The expertise of NIH was sought to guide how flood plain zoning of river Suav with various limitation like: No measured hydrological data are available for river Suav; during high flood of river Rapti, inundation happens up to river Suav around Balrampur district. Irrigation Dept. will also provide 1m contour data and DTM from survey of India. With these conditions NIH submitted proposal to provide draft report with delineated flood plan of river suav within six months. Two months for data collection and four months for analysis. However, SOI provided the corrected data in March 2025. Hence it is expected that the draft report will be submitted by end of Jun 2025. In the meantime the flood plain zone of suav is delineated based on the historical flood inundation extent form satellite data from 2009 to 2023.

The inundation extend corresponding to 100 year return period flood (estimated from rainfall and convolution with SUH) using HEC RAS hydraulic model will be carried out. The flood plain zone will be finally decided by comparing results of both satellite data and hydraulic model output.

## Bibliography

- Bhatt CM, Rao GS. (2016). Ganga floods of 2010 in Uttar Pradesh, north India: a perspective analysis using satellite remote sensing data. *Geomatics Nat Hazards Risk*. 7(2):747–763.
- Hosking, J.R.M., and Wallis, J.R. (1997). *Regional frequency analysis: an approach based on L-moments*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Kumar, R., and Chatterjee, C. (2005). Regional flood frequency analysis using L-moments for North Brahmaputra Region of India. *Journal of Hydrologic Engineering, American Society of Civil Engineers*, 10(1), 1–7.
- NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2016/ASVINA 15, 1938:  
[https://nmcg.nic.in/writereaddata/fileupload/47\\_AuthorityNotification.pdf](https://nmcg.nic.in/writereaddata/fileupload/47_AuthorityNotification.pdf)

## Annexure-I

District wise coordinates of flood inundation extent

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
1	82.102	27.488
2	82.103	27.486
3	82.105	27.486
4	82.105	27.488
5	82.107	27.488
6	82.108	27.487
7	82.107	27.486
8	82.107	27.484
9	82.108	27.483
10	82.109	27.481
11	82.109	27.480
12	82.108	27.479
13	82.106	27.478
14	82.104	27.479
15	82.103	27.480
16	82.101	27.481
17	82.100	27.482
18	82.098	27.483
19	82.097	27.482
20	82.099	27.481
21	82.100	27.480
22	82.102	27.479
23	82.103	27.477
24	82.102	27.476
25	82.101	27.474
26	82.100	27.473
27	82.102	27.471
28	82.103	27.470
29	82.105	27.470
30	82.107	27.469
31	82.109	27.469
32	82.111	27.469
33	82.113	27.469
34	82.115	27.469
35	82.117	27.470
36	82.119	27.470
37	82.121	27.470
38	82.123	27.470
39	82.125	27.469
40	82.127	27.468
41	82.129	27.467
42	82.130	27.466
43	82.130	27.464

Right Bank		
SN	Easting	Northing
1	82.101	27.487
2	82.102	27.485
3	82.103	27.484
4	82.105	27.483
5	82.104	27.482
6	82.102	27.483
7	82.100	27.484
8	82.098	27.485
9	82.096	27.485
10	82.095	27.485
11	82.093	27.484
12	82.093	27.484
13	82.091	27.485
14	82.091	27.484
15	82.089	27.484
16	82.087	27.484
17	82.085	27.483
18	82.084	27.482
19	82.086	27.481
20	82.086	27.480
21	82.085	27.479
22	82.083	27.480
23	82.084	27.478
24	82.086	27.478
25	82.087	27.477
26	82.089	27.477
27	82.091	27.477
28	82.092	27.476
29	82.094	27.477
30	82.094	27.478
31	82.093	27.480
32	82.095	27.480
33	82.096	27.480
34	82.098	27.479
35	82.098	27.477
36	82.098	27.475
37	82.098	27.474
38	82.098	27.472
39	82.098	27.470
40	82.099	27.469
41	82.101	27.468
42	82.103	27.467
43	82.105	27.466

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
44	82.129	27.462
45	82.128	27.461
46	82.126	27.460
47	82.125	27.459
48	82.123	27.458
49	82.122	27.457
50	82.121	27.455
51	82.123	27.456
52	82.125	27.456
53	82.127	27.455
54	82.129	27.454
55	82.130	27.453
56	82.132	27.453
57	82.134	27.453
58	82.136	27.452
59	82.136	27.451
60	82.136	27.449
61	82.134	27.449
62	82.133	27.448
63	82.132	27.446
64	82.132	27.444
65	82.133	27.443
66	82.133	27.441
67	82.134	27.440
68	82.134	27.438
69	82.133	27.436
70	82.132	27.435
71	82.131	27.433
72	82.131	27.431
73	82.133	27.430
74	82.134	27.431
75	82.134	27.433
76	82.134	27.435
77	82.135	27.437
78	82.136	27.438
79	82.138	27.439
80	82.139	27.441
81	82.141	27.441
82	82.143	27.441
83	82.144	27.439
84	82.144	27.438
85	82.144	27.436
86	82.145	27.434
87	82.146	27.433
88	82.148	27.434
89	82.149	27.436
90	82.151	27.437

Right Bank		
SN	Easting	Northing
44	82.106	27.465
45	82.108	27.464
46	82.110	27.464
47	82.112	27.463
48	82.113	27.464
49	82.115	27.464
50	82.116	27.465
51	82.118	27.466
52	82.120	27.466
53	82.122	27.466
54	82.124	27.466
55	82.125	27.465
56	82.124	27.464
57	82.122	27.463
58	82.121	27.462
59	82.119	27.461
60	82.117	27.460
61	82.117	27.458
62	82.116	27.457
63	82.115	27.455
64	82.115	27.453
65	82.114	27.451
66	82.114	27.450
67	82.116	27.449
68	82.118	27.449
69	82.120	27.449
70	82.121	27.451
71	82.123	27.452
72	82.125	27.452
73	82.127	27.451
74	82.127	27.449
75	82.128	27.448
76	82.127	27.446
77	82.126	27.444
78	82.126	27.443
79	82.127	27.441
80	82.129	27.440
81	82.131	27.439
82	82.130	27.438
83	82.129	27.436
84	82.128	27.435
85	82.128	27.433
86	82.128	27.431
87	82.129	27.430
88	82.129	27.428
89	82.130	27.427
90	82.132	27.426

## Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
91	82.152	27.438
92	82.154	27.439
93	82.156	27.439
94	82.158	27.440
95	82.160	27.440
96	82.161	27.438
97	82.162	27.437
98	82.162	27.435
99	82.162	27.433
100	82.163	27.432
101	82.165	27.431
102	82.167	27.431
103	82.169	27.430
104	82.170	27.429
105	82.171	27.428
106	82.172	27.426
107	82.171	27.425
108	82.170	27.423
109	82.170	27.421
110	82.171	27.420
111	82.173	27.420
112	82.175	27.421
113	82.176	27.421
114	82.178	27.421
115	82.180	27.420
116	82.182	27.419
117	82.183	27.417
118	82.183	27.416
119	82.184	27.414
120	82.185	27.413
121	82.186	27.414
122	82.187	27.416
123	82.188	27.418
124	82.189	27.419
125	82.191	27.420
126	82.192	27.421
127	82.194	27.421
128	82.196	27.421
129	82.198	27.422
130	82.200	27.422
131	82.201	27.423
132	82.201	27.425
133	82.200	27.426
134	82.200	27.428
135	82.202	27.429
136	82.202	27.430
137	82.202	27.432

Right Bank		
SN	Easting	Northing
91	82.134	27.427
92	82.135	27.428
93	82.136	27.429
94	82.137	27.431
95	82.137	27.432
96	82.138	27.434
97	82.139	27.436
98	82.140	27.437
99	82.141	27.435
100	82.141	27.434
101	82.141	27.432
102	82.142	27.430
103	82.143	27.429
104	82.145	27.429
105	82.147	27.430
106	82.149	27.431
107	82.150	27.432
108	82.152	27.432
109	82.154	27.432
110	82.156	27.432
111	82.158	27.431
112	82.157	27.429
113	82.156	27.428
114	82.156	27.426
115	82.157	27.425
116	82.159	27.424
117	82.161	27.424
118	82.162	27.425
119	82.163	27.427
120	82.164	27.428
121	82.166	27.429
122	82.168	27.428
123	82.168	27.427
124	82.168	27.425
125	82.167	27.424
126	82.165	27.425
127	82.163	27.424
128	82.162	27.424
129	82.161	27.422
130	82.162	27.421
131	82.163	27.420
132	82.165	27.419
133	82.167	27.419
134	82.169	27.419
135	82.170	27.417
136	82.172	27.416
137	82.173	27.415

## Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
138	82.201	27.433
139	82.199	27.433
140	82.197	27.433
141	82.195	27.433
142	82.193	27.433
143	82.191	27.433
144	82.189	27.434
145	82.187	27.435
146	82.185	27.435
147	82.183	27.435
148	82.182	27.433
149	82.180	27.434
150	82.178	27.435
151	82.178	27.437
152	82.177	27.438
153	82.175	27.438
154	82.173	27.439
155	82.171	27.440
156	82.172	27.441
157	82.172	27.443
158	82.170	27.444
159	82.168	27.444
160	82.167	27.444
161	82.166	27.446
162	82.167	27.447
163	82.169	27.448
164	82.170	27.450
165	82.172	27.450
166	82.173	27.449
167	82.175	27.448
168	82.177	27.447
169	82.178	27.446
170	82.180	27.445
171	82.181	27.444
172	82.181	27.442
173	82.182	27.441
174	82.183	27.441
175	82.185	27.441
176	82.187	27.440
177	82.189	27.440
178	82.191	27.441
179	82.193	27.441
180	82.195	27.442
181	82.197	27.443
182	82.198	27.444
183	82.198	27.445
184	82.196	27.447

Right Bank		
SN	Easting	Northing
138	82.174	27.413
139	82.176	27.412
140	82.177	27.411
141	82.179	27.410
142	82.181	27.410
143	82.183	27.409
144	82.184	27.410
145	82.186	27.410
146	82.188	27.410
147	82.190	27.410
148	82.192	27.409
149	82.193	27.409
150	82.194	27.410
151	82.195	27.411
152	82.197	27.410
153	82.197	27.409
154	82.197	27.407
155	82.197	27.405
156	82.199	27.404
157	82.201	27.404
158	82.203	27.404
159	82.205	27.403
160	82.206	27.404
161	82.208	27.405
162	82.209	27.406
163	82.210	27.408
164	82.212	27.408
165	82.214	27.408
166	82.215	27.407
167	82.217	27.408
168	82.218	27.408
169	82.219	27.406
170	82.220	27.404
171	82.220	27.403
172	82.219	27.401
173	82.217	27.400
174	82.216	27.399
175	82.214	27.398
176	82.212	27.397
177	82.210	27.396
178	82.209	27.397
179	82.207	27.398
180	82.205	27.397
181	82.204	27.396
182	82.202	27.395
183	82.200	27.394
184	82.200	27.392

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
232	82.255	27.437
233	82.257	27.438
234	82.259	27.438
235	82.261	27.438
236	82.263	27.437
237	82.264	27.436
238	82.265	27.434
239	82.266	27.432
240	82.266	27.431
241	82.267	27.429
242	82.268	27.428
243	82.269	27.426
244	82.270	27.425
245	82.272	27.424
246	82.274	27.425
247	82.275	27.426
248	82.276	27.428
249	82.276	27.430
250	82.277	27.431
251	82.278	27.433
252	82.279	27.435
253	82.280	27.436
254	82.281	27.437
255	82.283	27.437
256	82.285	27.436
257	82.287	27.436
258	82.289	27.435
259	82.290	27.433
260	82.292	27.432
261	82.293	27.431
262	82.294	27.429
263	82.294	27.428
264	82.292	27.428
265	82.290	27.427
266	82.288	27.427
267	82.286	27.426
268	82.284	27.425
269	82.282	27.425
270	82.281	27.423
271	82.282	27.422
272	82.284	27.421
273	82.284	27.419
274	82.283	27.418
275	82.281	27.418
276	82.279	27.418
277	82.277	27.418
278	82.276	27.416

Right Bank		
SN	Easting	Northing
232	82.239	27.370
233	82.239	27.368
234	82.241	27.369
235	82.242	27.368
236	82.243	27.366
237	82.244	27.365
238	82.246	27.363
239	82.247	27.362
240	82.249	27.362
241	82.251	27.364
242	82.252	27.365
243	82.252	27.367
244	82.250	27.368
245	82.249	27.369
246	82.251	27.370
247	82.253	27.370
248	82.255	27.369
249	82.25665	27.36878
250	82.25862	27.36834
251	82.26059	27.36797
252	82.26257	27.36762
253	82.26447	27.36701
254	82.26639	27.36644
255	82.2683	27.36584
256	82.27007	27.36502
257	82.27155	27.3638
258	82.27317	27.36271
259	82.2749	27.36179
260	82.27673	27.36101
261	82.27784	27.35953
262	82.27899	27.35805
263	82.28017	27.35659
264	82.28122	27.35505
265	82.28215	27.35346
266	82.28285	27.35177
267	82.28361	27.35009
268	82.28436	27.34842
269	82.28484	27.34667
270	82.28489	27.34487
271	82.28504	27.34307
272	82.28501	27.34127
273	82.28479	27.33948
274	82.28454	27.33768
275	82.2843	27.33589
276	82.28302	27.33456
277	82.28158	27.33329
278	82.27983	27.3326

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
279	82.276	27.415
280	82.276	27.413
281	82.275	27.412
282	82.273	27.411
283	82.271	27.411
284	82.269	27.411
285	82.267	27.410
286	82.265	27.409
287	82.263	27.409
288	82.261	27.408
289	82.260	27.406
290	82.258	27.405
291	82.257	27.404
292	82.255	27.403
293	82.253	27.402
294	82.252	27.401
295	82.250	27.401
296	82.248	27.400
297	82.246	27.400
298	82.244	27.400
299	82.242	27.399
300	82.240	27.400
301	82.238	27.400
302	82.236	27.400
303	82.234	27.399
304	82.233	27.398
305	82.232	27.396
306	82.233	27.394
307	82.233	27.392
308	82.233	27.391
309	82.233	27.389
310	82.234	27.387
311	82.235	27.386
312	82.237	27.385
313	82.238	27.384
314	82.239	27.382
315	82.239	27.380
316	82.239	27.379
317	82.241	27.377
318	82.242	27.376
319	82.243	27.374
320	82.245	27.373
321	82.247	27.373
322	82.249	27.373
323	82.251	27.373
324	82.253	27.373
325	82.255	27.373

Right Bank		
SN	Easting	Northing
279	82.27783	27.33261
280	82.27662	27.33351
281	82.27642	27.3353
282	82.27613	27.33709
283	82.27515	27.33861
284	82.27617	27.33963
285	82.27777	27.34047
286	82.27876	27.34204
287	82.27921	27.34371
288	82.27892	27.3455
289	82.27924	27.34721
290	82.27835	27.34818
291	82.27641	27.34867
292	82.27492	27.34774
293	82.27496	27.34594
294	82.2748	27.34416
295	82.27405	27.34249
296	82.27292	27.34181
297	82.27116	27.34269
298	82.26992	27.34359
299	82.27006	27.34539
300	82.27015	27.34719
301	82.26959	27.34891
302	82.26833	27.35001
303	82.26664	27.34919
304	82.26486	27.34987
305	82.26297	27.34979
306	82.26114	27.35054
307	82.26135	27.3517
308	82.26204	27.35298
309	82.2602	27.35361
310	82.25917	27.35206
311	82.25764	27.35166
312	82.25593	27.35103
313	82.25484	27.34963
314	82.25445	27.34786
315	82.25326	27.34743
316	82.25135	27.34803
317	82.24968	27.34847
318	82.25076	27.34694
319	82.25159	27.34533
320	82.25178	27.34355
321	82.25137	27.34178
322	82.25182	27.34016
323	82.25324	27.33897
324	82.25464	27.33808
325	82.2556	27.33675

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
326	82.257	27.373
327	82.259	27.372
328	82.261	27.372
329	82.263	27.372
330	82.265	27.372
331	82.267	27.371
332	82.268	27.370
333	82.270	27.369
334	82.272	27.368
335	82.274	27.368
336	82.276	27.367
337	82.277	27.366
338	82.278	27.364
339	82.280	27.363
340	82.281	27.362
341	82.283	27.360
342	82.284	27.359
343	82.285	27.357
344	82.286	27.356
345	82.287	27.355
346	82.288	27.353
347	82.288	27.351
348	82.288	27.349
349	82.288	27.347
350	82.288	27.346
351	82.288	27.344
352	82.288	27.342
353	82.289	27.340
354	82.289	27.338
355	82.289	27.337
356	82.288	27.335
357	82.287	27.333
358	82.286	27.332
359	82.285	27.330
360	82.283	27.329
361	82.281	27.328
362	82.280	27.327
363	82.278	27.328
364	82.276	27.328
365	82.275	27.330
366	82.274	27.331
367	82.273	27.333
368	82.272	27.334
369	82.270	27.333
370	82.269	27.332
371	82.269	27.330
372	82.270	27.329

Right Bank		
SN	Easting	Northing
326	82.25757	27.33638
327	82.25954	27.33595
328	82.26138	27.33606
329	82.26203	27.33777
330	82.26295	27.33934
331	82.26481	27.33916
332	82.26677	27.33871
333	82.26824	27.33762
334	82.2664	27.33687
335	82.26457	27.33612
336	82.26301	27.335
337	82.26268	27.33345
338	82.26313	27.33169
339	82.26261	27.33004
340	82.26195	27.32841
341	82.26244	27.32666
342	82.263	27.32493
343	82.26355	27.32319
344	82.26385	27.32143
345	82.26585	27.32116
346	82.26689	27.31985
347	82.26758	27.31815
348	82.26827	27.31645
349	82.26957	27.31509
350	82.27097	27.31379
351	82.27232	27.31245
352	82.2737	27.31114
353	82.27535	27.3101
354	82.27696	27.30901
355	82.27889	27.30862
356	82.28089	27.30841
357	82.2829	27.3082
358	82.28491	27.30799
359	82.2869	27.30784
360	82.28876	27.30855
361	82.29037	27.30954
362	82.29154	27.31101
363	82.2927	27.31249
364	82.29376	27.31402
365	82.29465	27.31564
366	82.29496	27.31742
367	82.29523	27.31921
368	82.2955	27.321
369	82.29575	27.32279
370	82.29599	27.32458
371	82.29624	27.32637
372	82.29663	27.32814

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
373	82.270	27.327
374	82.271	27.325
375	82.271	27.323
376	82.272	27.322
377	82.273	27.320
378	82.273	27.318
379	82.274	27.317
380	82.275	27.315
381	82.277	27.314
382	82.278	27.313
383	82.280	27.312
384	82.282	27.312
385	82.284	27.311
386	82.286	27.311
387	82.287	27.313
388	82.289	27.314
389	82.289	27.316
390	82.290	27.317
391	82.291	27.319
392	82.292	27.321
393	82.292	27.323
394	82.293	27.324
395	82.293	27.326
396	82.293	27.328
397	82.293	27.329
398	82.294	27.331
399	82.294	27.333
400	82.294	27.335
401	82.294	27.336
402	82.293	27.338
403	82.294	27.340
404	82.295	27.341
405	82.296	27.343
406	82.298	27.343
407	82.300	27.343
408	82.302	27.344
409	82.304	27.344
410	82.306	27.344
411	82.308	27.344
412	82.310	27.344
413	82.312	27.345
414	82.314	27.345
415	82.316	27.344
416	82.318	27.344
417	82.320	27.343
418	82.321	27.342
419	82.323	27.341

Right Bank		
SN	Easting	Northing
373	82.29849	27.32866
374	82.30051	27.32868
375	82.30253	27.32864
376	82.30455	27.32866
377	82.30657	27.32876
378	82.30813	27.32959
379	82.30929	27.33107
380	82.31033	27.3326
381	82.31098	27.33431
382	82.31162	27.33602
383	82.3123	27.33772
384	82.31331	27.33915
385	82.31518	27.33979
386	82.3172	27.33968
387	82.31916	27.33929
388	82.3211	27.33879
389	82.32297	27.3381
390	82.32482	27.33738
391	82.32666	27.33662
392	82.32848	27.33584
393	82.3303	27.33506
394	82.33224	27.3346
395	82.33414	27.334
396	82.3361	27.33358
397	82.33798	27.33293
398	82.33995	27.33275
399	82.34182	27.33343
400	82.34384	27.33348
401	82.34578	27.33339
402	82.34771	27.33366
403	82.34968	27.33359
404	82.35124	27.33244
405	82.35285	27.33135
406	82.35444	27.33027
407	82.35625	27.32948
408	82.35807	27.3287
409	82.35989	27.32791
410	82.36191	27.32786
411	82.36385	27.32811
412	82.36508	27.327
413	82.36483	27.32522
414	82.36424	27.32353
415	82.3639	27.32175
416	82.36345	27.31999
417	82.36297	27.31824
418	82.36327	27.31652
419	82.36395	27.31482

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
420	82.325	27.340
421	82.327	27.340
422	82.328	27.339
423	82.330	27.338
424	82.332	27.338
425	82.334	27.337
426	82.336	27.337
427	82.338	27.337
428	82.340	27.337
429	82.342	27.337
430	82.344	27.337
431	82.346	27.337
432	82.348	27.336
433	82.350	27.336
434	82.352	27.336
435	82.354	27.335
436	82.356	27.334
437	82.357	27.333
438	82.359	27.332
439	82.361	27.332
440	82.363	27.331
441	82.364	27.332
442	82.365	27.334
443	82.364	27.336
444	82.365	27.337
445	82.367	27.337
446	82.369	27.337
447	82.370	27.337
448	82.372	27.335
449	82.373	27.334
450	82.375	27.334
451	82.375	27.336
452	82.376	27.336
453	82.378	27.335
454	82.379	27.334
455	82.380	27.332
456	82.382	27.331
457	82.381	27.329
458	82.381	27.328
459	82.381	27.327
460	82.380	27.327
461	82.378	27.326
462	82.376	27.326
463	82.376	27.324
464	82.376	27.323
465	82.375	27.321
466	82.374	27.319

Right Bank		
SN	Easting	Northing
420	82.36484	27.31335
421	82.36564	27.31221
422	82.36714	27.3111
423	82.36874	27.31004
424	82.36889	27.30825
425	82.36953	27.30655
426	82.36948	27.30476
427	82.36928	27.30297
428	82.36918	27.30116
429	82.3699	27.29954
430	82.37106	27.29919
431	82.37276	27.29821
432	82.37384	27.29707
433	82.37302	27.29543
434	82.37318	27.29418
435	82.37461	27.29484
436	82.37534	27.29649
437	82.37647	27.29788
438	82.37619	27.29919
439	82.37799	27.30001
440	82.37965	27.30103
441	82.38021	27.30265
442	82.38131	27.30333
443	82.38302	27.30237
444	82.38479	27.30197
445	82.38663	27.30237
446	82.3878	27.30099
447	82.38725	27.29932
448	82.38865	27.29816
449	82.3903	27.29796
450	82.39126	27.29708
451	82.39148	27.29601
452	82.39291	27.297
453	82.39477	27.29656
454	82.39638	27.29694
455	82.39686	27.29519
456	82.39718	27.29341
457	82.39739	27.29162
458	82.3976	27.28982
459	82.39856	27.28832
460	82.39992	27.28699
461	82.40165	27.28618
462	82.40344	27.2855
463	82.4054	27.28565
464	82.40664	27.28559
465	82.4058	27.28397
466	82.40582	27.28226

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
467	82.375	27.318
468	82.374	27.317
469	82.372	27.318
470	82.370	27.319
471	82.369	27.320
472	82.368	27.322
473	82.368	27.321
474	82.368	27.319
475	82.368	27.317
476	82.368	27.316
477	82.370	27.315
478	82.372	27.314
479	82.373	27.313
480	82.373	27.311
481	82.374	27.309
482	82.374	27.307
483	82.374	27.305
484	82.374	27.304
485	82.375	27.304
486	82.375	27.305
487	82.376	27.307
488	82.377	27.308
489	82.378	27.310
490	82.380	27.311
491	82.382	27.310
492	82.383	27.309
493	82.384	27.308
494	82.386	27.307
495	82.388	27.307
496	82.390	27.307
497	82.391	27.308
498	82.393	27.308
499	82.395	27.309
500	82.397	27.310
501	82.399	27.311
502	82.401	27.311
503	82.403	27.311
504	82.405	27.311
505	82.406	27.311
506	82.404	27.312
507	82.404	27.314
508	82.406	27.313
509	82.408	27.313
510	82.410	27.312
511	82.411	27.311
512	82.413	27.310
513	82.413	27.308

Right Bank		
SN	Easting	Northing
467	82.40647	27.28058
468	82.40762	27.27913
469	82.4095	27.27846
470	82.41137	27.27779
471	82.4132	27.27703
472	82.41432	27.27576
473	82.4133	27.27517
474	82.41167	27.27623
475	82.40972	27.27651
476	82.4077	27.27656
477	82.40569	27.27644
478	82.40385	27.27585
479	82.40229	27.27471
480	82.40034	27.27471
481	82.39847	27.27538
482	82.39664	27.27567
483	82.39502	27.27458
484	82.39376	27.27323
485	82.3928	27.27166
486	82.39093	27.27097
487	82.3924	27.26989
488	82.39403	27.26883
489	82.39595	27.2683
490	82.39793	27.26793
491	82.3999	27.26779
492	82.40188	27.26815
493	82.40383	27.2686
494	82.40571	27.26917
495	82.40772	27.26929
496	82.40974	27.26941
497	82.40852	27.27033
498	82.40918	27.27131
499	82.41108	27.27114
500	82.41303	27.27066
501	82.41498	27.27019
502	82.41694	27.27044
503	82.41845	27.27154
504	82.42001	27.27107
505	82.42017	27.26927
506	82.42078	27.26759
507	82.42232	27.2668
508	82.42432	27.26684
509	82.4263	27.26719
510	82.42815	27.26792
511	82.42999	27.26866
512	82.43201	27.26871
513	82.43401	27.26871

## Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
514	82.413	27.307
515	82.411	27.306
516	82.409	27.306
517	82.407	27.306
518	82.405	27.307
519	82.404	27.306
520	82.402	27.304
521	82.401	27.303
522	82.400	27.301
523	82.401	27.300
524	82.401	27.298
525	82.402	27.296
526	82.402	27.295
527	82.401	27.293
528	82.402	27.292
529	82.403	27.290
530	82.405	27.290
531	82.406	27.292
532	82.406	27.293
533	82.407	27.295
534	82.406	27.296
535	82.404	27.297
536	82.405	27.299
537	82.406	27.300
538	82.406	27.302
539	82.406	27.304
540	82.408	27.304
541	82.409	27.302
542	82.411	27.302
543	82.412	27.303
544	82.412	27.305
545	82.413	27.306
546	82.414	27.308
547	82.415	27.308
548	82.417	27.308
549	82.419	27.308
550	82.421	27.308
551	82.423	27.307
552	82.425	27.306
553	82.427	27.305
554	82.428	27.303
555	82.427	27.302
556	82.427	27.300
557	82.429	27.299
558	82.429	27.298
559	82.427	27.298
560	82.425	27.298

Right Bank		
SN	Easting	Northing
514	82.43579	27.26786
515	82.43757	27.26701
516	82.43935	27.26615
517	82.4407	27.26495
518	82.44234	27.2639
519	82.44286	27.26237
520	82.44251	27.26059
521	82.44289	27.25885
522	82.44378	27.25725
523	82.44522	27.25598
524	82.44676	27.25482
525	82.44855	27.25408
526	82.45054	27.25386
527	82.45256	27.25383
528	82.45457	27.25368
529	82.45475	27.25268
530	82.45299	27.2518
531	82.45123	27.25091
532	82.45043	27.24929
533	82.44971	27.2476
534	82.449	27.24592
535	82.44836	27.24421
536	82.44797	27.24244
537	82.44741	27.24072
538	82.44682	27.23904
539	82.44688	27.23724
540	82.4475	27.23555
541	82.44834	27.23391
542	82.44937	27.23236
543	82.45086	27.23135
544	82.45273	27.23067
545	82.45449	27.22986
546	82.45588	27.22856
547	82.45726	27.22723
548	82.45889	27.22617
549	82.46051	27.2251
550	82.46106	27.22413
551	82.45958	27.22291
552	82.45981	27.22125
553	82.46073	27.21984
554	82.46251	27.21899
555	82.46432	27.21819
556	82.46516	27.21675
557	82.46536	27.21496
558	82.46628	27.21353
559	82.46616	27.21178
560	82.46609	27.20999

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
561	82.424	27.299
562	82.422	27.299
563	82.420	27.300
564	82.418	27.300
565	82.419	27.298
566	82.418	27.297
567	82.418	27.295
568	82.417	27.294
569	82.418	27.292
570	82.419	27.291
571	82.420	27.289
572	82.421	27.287
573	82.419	27.286
574	82.419	27.285
575	82.417	27.284
576	82.415	27.284
577	82.414	27.286
578	82.413	27.286
579	82.412	27.285
580	82.413	27.283
581	82.414	27.281
582	82.415	27.280
583	82.417	27.279
584	82.419	27.280
585	82.419	27.281
586	82.419	27.283
587	82.420	27.285
588	82.421	27.286
589	82.423	27.286
590	82.425	27.286
591	82.425	27.284
592	82.426	27.282
593	82.427	27.281
594	82.429	27.280
595	82.431	27.280
596	82.433	27.280
597	82.435	27.280
598	82.437	27.279
599	82.439	27.279
600	82.441	27.278
601	82.442	27.277
602	82.443	27.276
603	82.445	27.274
604	82.446	27.273
605	82.446	27.271
606	82.444	27.270
607	82.442	27.270

Right Bank		
SN	Easting	Northing
561	82.46665	27.20831
562	82.46796	27.20699
563	82.46925	27.20572
564	82.4704	27.20428
565	82.47199	27.20324
566	82.4738	27.20245
567	82.47556	27.20159
568	82.47731	27.2007
569	82.47909	27.19988
570	82.48064	27.19872
571	82.48218	27.19756
572	82.4838	27.19649
573	82.48535	27.19535
574	82.48705	27.19438
575	82.48889	27.19365
576	82.49078	27.19302
577	82.49266	27.19237
578	82.49468	27.19228
579	82.49668	27.19213
580	82.4986	27.19156
581	82.50041	27.19079
582	82.50214	27.18986
583	82.50371	27.18873
584	82.50519	27.18751
585	82.50652	27.18616
586	82.50712	27.18448
587	82.50691	27.18269
588	82.50668	27.18089
589	82.50633	27.17912
590	82.5068	27.17745
591	82.50835	27.1763
592	82.50989	27.17513
593	82.51151	27.17408
594	82.51331	27.17327
595	82.51523	27.17277
596	82.51723	27.17254
597	82.51904	27.1731
598	82.52037	27.17442
599	82.5216	27.17585
600	82.52316	27.17691
601	82.52504	27.17756
602	82.52694	27.17817
603	82.52892	27.17853
604	82.53087	27.17896
605	82.53278	27.17954
606	82.53478	27.17983
607	82.53677	27.1801

## Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
608	82.440	27.271
609	82.439	27.271
610	82.437	27.272
611	82.435	27.273
612	82.433	27.274
613	82.431	27.274
614	82.429	27.274
615	82.427	27.274
616	82.426	27.273
617	82.424	27.271
618	82.424	27.270
619	82.426	27.270
620	82.428	27.271
621	82.430	27.271
622	82.432	27.272
623	82.434	27.272
624	82.435	27.272
625	82.437	27.271
626	82.439	27.270
627	82.441	27.269
628	82.443	27.268
629	82.444	27.267
630	82.446	27.266
631	82.446	27.264
632	82.445	27.262
633	82.446	27.261
634	82.446	27.259
635	82.448	27.258
636	82.449	27.257
637	82.451	27.257
638	82.453	27.256
639	82.455	27.256
640	82.457	27.257
641	82.459	27.257
642	82.461	27.256
643	82.463	27.255
644	82.463	27.253
645	82.463	27.252
646	82.461	27.251
647	82.459	27.251
648	82.457	27.251
649	82.455	27.250
650	82.454	27.249
651	82.454	27.248
652	82.453	27.246
653	82.452	27.244
654	82.452	27.242

Right Bank		
SN	Easting	Northing
608	82.53877	27.18033
609	82.54074	27.1807
610	82.54272	27.18106
611	82.54473	27.18106
612	82.54665	27.18054
613	82.54851	27.17985
614	82.55035	27.17909
615	82.55231	27.17869
616	82.55424	27.17815
617	82.55621	27.17782
618	82.55822	27.17762
619	82.56023	27.17758
620	82.56205	27.17701
621	82.56365	27.17595
622	82.56482	27.17448
623	82.56588	27.17294
624	82.56778	27.17235
625	82.56969	27.17176
626	82.57168	27.17149
627	82.57364	27.1715
628	82.57542	27.17234
629	82.57736	27.17272
630	82.57937	27.17285
631	82.58106	27.17382
632	82.58189	27.17507
633	82.5814	27.17682
634	82.58087	27.17856
635	82.5803	27.18029
636	82.57973	27.18202
637	82.57918	27.18376
638	82.57863	27.1855

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
655	82.452	27.241
656	82.452	27.239
657	82.453	27.237
658	82.455	27.237
659	82.456	27.237
660	82.458	27.237
661	82.459	27.235
662	82.459	27.234
663	82.459	27.232
664	82.459	27.230
665	82.460	27.229
666	82.462	27.228
667	82.464	27.227
668	82.466	27.226
669	82.467	27.226
670	82.468	27.224
671	82.468	27.222
672	82.467	27.221
673	82.467	27.219
674	82.469	27.218
675	82.469	27.216
676	82.470	27.214
677	82.470	27.213
678	82.471	27.211
679	82.471	27.209
680	82.473	27.208
681	82.475	27.207
682	82.476	27.206
683	82.478	27.205
684	82.479	27.204
685	82.481	27.203
686	82.483	27.202
687	82.484	27.201
688	82.486	27.200
689	82.488	27.199
690	82.489	27.198
691	82.491	27.197
692	82.493	27.197
693	82.495	27.196
694	82.497	27.196
695	82.499	27.195
696	82.501	27.195
697	82.503	27.194
698	82.504	27.193
699	82.506	27.192
700	82.508	27.191
701	82.509	27.190

Right Bank		
SN	Easting	Northing

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
702	82.511	27.188
703	82.511	27.186
704	82.511	27.185
705	82.511	27.183
706	82.510	27.181
707	82.511	27.179
708	82.513	27.179
709	82.515	27.178
710	82.516	27.179
711	82.518	27.180
712	82.519	27.181
713	82.521	27.182
714	82.523	27.182
715	82.525	27.182
716	82.527	27.183
717	82.529	27.183
718	82.530	27.184
719	82.532	27.184
720	82.534	27.185
721	82.536	27.186
722	82.538	27.186
723	82.540	27.186
724	82.542	27.186
725	82.544	27.186
726	82.546	27.186
727	82.548	27.185
728	82.550	27.185
729	82.552	27.184
730	82.554	27.183
731	82.556	27.183
732	82.558	27.183
733	82.560	27.183
734	82.561	27.184
735	82.563	27.184

Right Bank		
SN	Easting	Northing

To,

Head, Surface Water Hydrology Division  
National Institute of Hydrology Roorkee.

From,

Superintending Engineer, Drainage Circle,  
Irrigation & Water Resource Department,  
Uttar Pradesh,  
Gonda.

Letter: 1314 /DMG/NGT.

Date: 11-03-2025

Subject: Flood Plain Zoning of river Suav in District Balrampur.


Ref: Office letter No-SWHD/NIH/2024-25/Date-07-03-2025 of NIH.

Dear Sir,

Please refer to above mention letter sent by you to Executive Engineer, Saryu Drainage Division-2, Balrampur. In reference of above letter I would like to inform you that we agree with approach proposed by NIH for demarcation of flood plain zoning. Department will provide corrected DEM data and river cross-section data at earliest. However NIH proposed timeline is seven month and as per order of Hon'ble NGT, department have to accomplish all the task of FPZ and issue notification in this regard well before next date of hearing i.e. 15-04-2025.

In the above circumstances we request you to please delineate flood plain of river Suav on the basis of satellite imageries for maximum observed inundation. Please provide satellite based FPZ at earliest so that compliance of Hon'ble NGT can be submitted within time.

With regards



(N.P. Singh)

Superintending Engineer

Letter: /DMG/NGT Date:

**Copy forwarded to following for necessary action-**

1. Chief Engineer (Water Resource), Irrigation & Water Resource Department, Uttar Pradesh. Lucknow.
2. Chief Engineer (Saryu Project-2), Irrigation & Water Resource Department, Uttar Pradesh. Gonda.
3. Executive Engineer, Saryu Drainage Division-2, Balrampur.

(N.P. Singh)

Superintending Engineer

संख्या- 151/2025-439/2025-27-सि०-4-FCN-1832864

महत्वपूर्ण

प्रेषक,  
 डॉ० अरविन्द कुमार चीरसिया,  
 विशेष सचिव,  
 उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,  
नगर विकास विभाग,  
उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उ०प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,  
राजस्व विभाग,  
उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,  
उ०प्र०, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 08 अप्रैल, 2025

विषय: ओ.ए.संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-02-2025 के अनुपालन में जनपद बलरामपुर में सुआँव नदी का फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ओ०ए० संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 एवं मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० के पत्र संख्या-25/मु०अ०(ज०सं०)/अनिमं-1/अनिच-3, दिनांक 28-03-2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा सुआँव नदी के आस-पास अधिकतम बाढ़ के आधार पर फ्लड प्लेन का निर्धारण कर उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के क्रम में सुआँव नदी के आस-पास अधिकतम बाढ़ (2009-2023) के आधार पर जनपद बलरामपुर में सुआँव नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में दिनांक 13.02.2025 को सुनवाई के उपरान्त निम्न आदेश (प्रसूतर-8) दिये गये हैं :-

"We are of the view that Survey of India should submit final report to Irrigation Department expeditiously without any further delay and the Department of Irrigation should accomplish all the tasks of FPZ and issue Notification in this regard well before next date of hearing."

3- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-02-2025 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार सुआँव नदी के आस-पास अधिकतम बाढ़ (2009-2023) के आधार पर प्रदेश के सीमान्तगत जनपद बलरामपुर में सुआँव नदी का फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ.ए.संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-02-2025 के अनुपालन में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा सुआँव नदी के आस-पास अधिकतम बाढ़ (2009-2023) के आधार पर फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण कर उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के अनुसार जनपद बलरामपुर में फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) (प्रति संतर्भ) के आधार पर जनपद बलरामपुर में सुआँव नदी का फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में एन.एम.सी.जी, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा० न्यायालयों द्वारा समय समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होंगे।

-2-

उक्त के संदर्भ में यह भी सूच्य है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा सर्वे ऑफ इण्डिया एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों के आधार पर माहलिंग कर 100 वर्ष की आवृत्ति के वाढ के अनुसार फ्लड प्लेन जोन निर्धारण किये जाने की कार्यवाही प्रगति में है, जो सितम्बर-2025 तक सम्भावित है। कालान्तर में 100 वर्ष की वाढ आवृत्ति के अनुसार फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण हो जाने के उपरान्त उक्त अधिसूचना स्वतः निरस्त मानी जाएगी तथा पुनः 100 वर्ष की वाढ आवृत्ति के आधार पर फ्लड प्लेन जोन निर्धारण किये जाने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाएगी।

5- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।  
संतप्र-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by

Aravind Kumar Chaurasia  
(डी० अरविन्द कुमार चौरासिया)

Date: 08-04-2025 14:19:05

संख्या एवं दिनांक तदैव।प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अध्यक्ष राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ०प्र०।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ०प्र०।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ०प्र०।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ०प्र०।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले क्षेत्रिक सभाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर सभाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-4 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. मुख्य अभियन्ता (सरयू-द्वितीय), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गीण्डा।
21. गार्ड फाईल।

संतप्र-यथोक्त।

Signed by

Rama Kant Verma  
(राम कान्त वर्मा)

Date: 08-04-2025 14:57:52

## Annexure-I

District wise coordinates of flood inundation extent

Dist: Balrampur

SN	Left Bank	
	Easting	Northing
1	82.102	27.488
2	82.103	27.486
3	82.105	27.486
4	82.105	27.488
5	82.107	27.488
6	82.108	27.487
7	82.107	27.486
8	82.107	27.484
9	82.108	27.483
10	82.109	27.481
11	82.109	27.480
12	82.108	27.479
13	82.106	27.478
14	82.104	27.479
15	82.103	27.480
16	82.101	27.481
17	82.100	27.482
18	82.098	27.483
19	82.097	27.482
20	82.099	27.481
21	82.100	27.480
22	82.102	27.479
23	82.103	27.477
24	82.102	27.476
25	82.101	27.474
26	82.100	27.473
27	82.102	27.471
28	82.103	27.470
29	82.105	27.470
30	82.107	27.469
31	82.109	27.469
32	82.111	27.469
33	82.113	27.469
34	82.115	27.469
35	82.117	27.470
36	82.119	27.470
37	82.121	27.470
38	82.123	27.470
39	82.125	27.469
40	82.127	27.468
41	82.129	27.467
42	82.130	27.466
43	82.130	27.464

SN	Right Bank	
	Easting	Northing
1	82.101	27.487
2	82.102	27.485
3	82.103	27.484
4	82.105	27.483
5	82.104	27.482
6	82.102	27.483
7	82.100	27.484
8	82.098	27.485
9	82.096	27.485
10	82.095	27.485
11	82.093	27.484
12	82.093	27.484
13	82.091	27.485
14	82.091	27.484
15	82.089	27.484
16	82.087	27.484
17	82.085	27.483
18	82.084	27.482
19	82.086	27.481
20	82.086	27.480
21	82.085	27.479
22	82.083	27.480
23	82.084	27.478
24	82.086	27.478
25	82.087	27.477
26	82.089	27.477
27	82.091	27.477
28	82.092	27.476
29	82.094	27.477
30	82.094	27.478
31	82.093	27.480
32	82.095	27.480
33	82.096	27.480
34	82.098	27.479
35	82.098	27.477
36	82.098	27.475
37	82.098	27.474
38	82.098	27.472
39	82.098	27.472
40	82.099	27.472
41	82.101	27.467
42	82.103	27.467
43	82.105	27.466

Ray  
 (जिला सहायक अभियन्ता)  
 जिला सहायक अभियन्ता  
 जिला सहायक अभियन्ता

अधीक्षण अभियन्ता  
 एवं नियोजन मण्डल-प्रथा  
 एवं एनेक्सी, लखनऊ

A.B.R

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
44	82.129	27.462
45	82.128	27.461
46	82.126	27.460
47	82.125	27.459
48	82.123	27.458
49	82.122	27.457
50	82.121	27.455
51	82.123	27.456
52	82.125	27.456
53	82.127	27.455
54	82.129	27.454
55	82.130	27.453
56	82.132	27.453
57	82.134	27.453
58	82.136	27.452
59	82.136	27.451
60	82.136	27.449
61	82.134	27.449
62	82.133	27.448
63	82.132	27.446
64	82.132	27.444
65	82.133	27.443
66	82.133	27.441
67	82.134	27.440
68	82.134	27.438
69	82.133	27.436
70	82.132	27.435
71	82.131	27.433
72	82.131	27.431
73	82.133	27.430
74	82.134	27.431
75	82.134	27.433
76	82.134	27.435
77	82.135	27.437
78	82.136	27.438
79	82.138	27.439
80	82.139	27.441
81	82.141	27.441
82	82.143	27.441
83	82.144	27.439
84	82.144	27.438
85	82.144	27.436
86	82.145	27.434
87	82.146	27.433
88	82.148	27.434
89	82.149	27.436
90	82.151	27.437

Right Bank		
SN	Easting	Northing
44	82.106	27.465
45	82.108	27.464
46	82.110	27.464
47	82.112	27.463
48	82.113	27.464
49	82.115	27.464
50	82.116	27.465
51	82.118	27.466
52	82.120	27.466
53	82.122	27.466
54	82.124	27.466
55	82.125	27.465
56	82.124	27.464
57	82.122	27.463
58	82.121	27.462
59	82.119	27.461
60	82.117	27.460
61	82.117	27.458
62	82.116	27.457
63	82.115	27.455
64	82.115	27.453
65	82.114	27.451
66	82.114	27.450
67	82.116	27.449
68	82.118	27.449
69	82.120	27.449
70	82.121	27.451
71	82.123	27.452
72	82.125	27.452
73	82.127	27.451
74	82.127	27.449
75	82.128	27.448
76	82.127	27.446
77	82.126	27.444
78	82.126	27.443
79	82.127	27.441
80	82.129	27.440
81	82.131	27.439
82	82.130	27.438
83	82.129	27.436
84	82.128	27.435
85	82.128	27.434
86	82.128	27.433
87	82.129	27.430
88	82.129	27.428
89	82.130	27.427
90	82.132	27.426

Rak  
मुख्य (W)  
(जल संरक्षण)  
सि १३ जल संरक्षण  
२०१० लक्ष्मण

अनुसंधान अभियन्ता  
नियोजन मण्डल-प्रथम  
एनेक्सी, लखनऊ

Dist: Balrampur

SN	Left Bank	
	Easting	Northing
91	82.152	27.438
92	82.154	27.439
93	82.156	27.439
94	82.158	27.440
95	82.160	27.440
96	82.161	27.438
97	82.162	27.437
98	82.162	27.435
99	82.162	27.433
100	82.163	27.432
101	82.165	27.431
102	82.167	27.431
103	82.169	27.430
104	82.170	27.429
105	82.171	27.428
106	82.172	27.426
107	82.171	27.425
108	82.170	27.423
109	82.170	27.421
110	82.171	27.420
111	82.173	27.420
112	82.175	27.421
113	82.176	27.421
114	82.178	27.421
115	82.180	27.420
116	82.182	27.419
117	82.183	27.417
118	82.183	27.416
119	82.184	27.414
120	82.185	27.413
121	82.186	27.414
122	82.187	27.416
123	82.188	27.418
124	82.189	27.419
125	82.191	27.420
126	82.192	27.421
127	82.194	27.421
128	82.196	27.421
129	82.198	27.422
130	82.200	27.422
131	82.201	27.423
132	82.201	27.425
133	82.200	27.426
134	82.200	27.428
135	82.202	27.429
136	82.202	27.430
137	82.202	27.432

SN	Right Bank	
	Easting	Northing
91	82.134	27.427
92	82.135	27.428
93	82.136	27.429
94	82.137	27.431
95	82.137	27.432
96	82.138	27.434
97	82.139	27.436
98	82.140	27.437
99	82.141	27.435
100	82.141	27.434
101	82.141	27.432
102	82.142	27.430
103	82.143	27.429
104	82.145	27.429
105	82.147	27.430
106	82.149	27.431
107	82.150	27.432
108	82.152	27.432
109	82.154	27.432
110	82.156	27.432
111	82.158	27.431
112	82.157	27.429
113	82.156	27.428
114	82.156	27.426
115	82.157	27.425
116	82.159	27.424
117	82.161	27.424
118	82.162	27.425
119	82.163	27.427
120	82.164	27.428
121	82.166	27.429
122	82.168	27.428
123	82.168	27.427
124	82.168	27.425
125	82.167	27.424
126	82.165	27.425
127	82.163	27.424
128	82.162	27.424
129	82.161	27.422
130	82.162	27.421
131	82.163	27.420
132	82.165	27.419
133	82.167	27.419
134	82.169	27.419
135	82.170	27.417
136	82.172	27.416
137	82.173	27.415

Rakhi  
मुख्य अधीक्षक  
(जल संसाधन)  
सि० एवं जल संसाधन  
३०३० नं०

अधीक्षण अभियन्ता  
नियोजन नण्डल-प्रथम  
एन० एन०

AM  
A.B.P

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
138	82.201	27.433
139	82.199	27.433
140	82.197	27.433
141	82.195	27.433
142	82.193	27.433
143	82.191	27.433
144	82.189	27.434
145	82.187	27.435
146	82.185	27.435
147	82.183	27.435
148	82.182	27.433
149	82.180	27.434
150	82.178	27.435
151	82.178	27.437
152	82.177	27.438
153	82.175	27.438
154	82.173	27.439
155	82.171	27.440
156	82.172	27.441
157	82.172	27.443
158	82.170	27.444
159	82.168	27.444
160	82.167	27.444
161	82.166	27.446
162	82.167	27.447
163	82.169	27.448
164	82.170	27.450
165	82.172	27.450
166	82.173	27.449
167	82.175	27.448
168	82.177	27.447
169	82.178	27.446
170	82.180	27.445
171	82.181	27.444
172	82.181	27.442
173	82.182	27.441
174	82.183	27.441
175	82.185	27.441
176	82.187	27.440
177	82.189	27.440
178	82.191	27.441
179	82.193	27.441
180	82.195	27.442
181	82.197	27.443
182	82.198	27.444
183	82.198	27.445
184	82.196	27.447

Right Bank		
SN	Easting	Northing
138	82.174	27.413
139	82.176	27.412
140	82.177	27.411
141	82.179	27.410
142	82.181	27.410
143	82.183	27.409
144	82.184	27.410
145	82.186	27.410
146	82.188	27.410
147	82.190	27.410
148	82.192	27.409
149	82.193	27.409
150	82.194	27.410
151	82.195	27.411
152	82.197	27.410
153	82.197	27.409
154	82.197	27.407
155	82.197	27.405
156	82.199	27.404
157	82.201	27.404
158	82.203	27.404
159	82.205	27.403
160	82.206	27.404
161	82.208	27.405
162	82.209	27.406
163	82.210	27.408
164	82.212	27.408
165	82.214	27.408
166	82.215	27.407
167	82.217	27.408
168	82.218	27.408
169	82.219	27.406
170	82.220	27.404
171	82.220	27.403
172	82.219	27.401
173	82.217	27.400
174	82.216	27.399
175	82.214	27.398
176	82.212	27.397
177	82.210	27.396
178	82.209	27.397
179	82.207	27.396
180	82.205	27.397
181	82.204	27.396
182	82.202	27.395
183	82.200	27.394
184	82.200	27.392

Rakhi  
 मुख्य अभियन्ता  
 (जल संसाधन)  
 एवं जल संचालन  
 उपग्रह लया

AS

अभियन्ता  
 नियोजन मण्डल-प्रथम  
 अक्षांश, अक्षांश

A.B.P

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
185	82.195	27.448
186	82.194	27.450
187	82.193	27.451
188	82.194	27.452
189	82.196	27.451
190	82.197	27.450
191	82.199	27.449
192	82.200	27.448
193	82.202	27.447
194	82.204	27.446
195	82.206	27.446
196	82.208	27.446
197	82.210	27.446
198	82.212	27.446
199	82.214	27.446
200	82.216	27.447
201	82.218	27.447
202	82.220	27.448
203	82.222	27.448
204	82.223	27.446
205	82.223	27.445
206	82.223	27.443
207	82.225	27.442
208	82.226	27.441
209	82.226	27.439
210	82.227	27.437
211	82.227	27.435
212	82.227	27.434
213	82.228	27.432
214	82.229	27.431
215	82.231	27.430
216	82.233	27.431
217	82.235	27.431
218	82.237	27.431
219	82.239	27.431
220	82.241	27.430
221	82.243	27.430
222	82.244	27.428
223	82.246	27.428
224	82.248	27.428
225	82.247	27.430
226	82.246	27.431
227	82.247	27.432
228	82.248	27.434
229	82.250	27.435
230	82.251	27.436
231	82.253	27.436

Right Bank		
SN	Easting	Northing
185	82.200	27.390
186	82.201	27.389
187	82.202	27.387
188	82.202	27.385
189	82.202	27.384
190	82.204	27.382
191	82.205	27.382
192	82.207	27.381
193	82.209	27.380
194	82.209	27.378
195	82.209	27.377
196	82.209	27.375
197	82.209	27.373
198	82.209	27.371
199	82.209	27.369
200	82.209	27.368
201	82.208	27.366
202	82.208	27.364
203	82.210	27.364
204	82.212	27.363
205	82.213	27.364
206	82.215	27.365
207	82.217	27.365
208	82.219	27.366
209	82.220	27.368
210	82.221	27.369
211	82.221	27.371
212	82.221	27.373
213	82.222	27.374
214	82.224	27.374
215	82.225	27.373
216	82.227	27.373
217	82.229	27.374
218	82.229	27.376
219	82.230	27.377
220	82.231	27.379
221	82.233	27.379
222	82.235	27.378
223	82.236	27.377
224	82.236	27.375
225	82.234	27.375
226	82.232	27.374
227	82.232	27.372
228	82.234	27.373
229	82.235	27.372
230	82.237	27.372
231	82.238	27.371

Rakul  
PE(WR)  
मुख्य अभियन्ता  
(जल संसाधन)  
एवं जल संवर्धन  
विभाग

अभियन्ता

अभियन्ता  
अभियन्ता  
अभियन्ता  
अभियन्ता

Dist: Balrampur

SN	Left Bank	
	Easting	Northing
232	82.255	27.437
233	82.257	27.438
234	82.259	27.438
235	82.261	27.438
236	82.263	27.437
237	82.264	27.436
238	82.265	27.434
239	82.266	27.432
240	82.266	27.431
241	82.267	27.429
242	82.268	27.428
243	82.269	27.426
244	82.270	27.425
245	82.272	27.424
246	82.274	27.425
247	82.275	27.426
248	82.276	27.428
249	82.276	27.430
250	82.277	27.431
251	82.278	27.433
252	82.279	27.435
253	82.280	27.436
254	82.281	27.437
255	82.283	27.437
256	82.285	27.436
257	82.287	27.436
258	82.289	27.435
259	82.290	27.433
260	82.292	27.432
261	82.293	27.431
262	82.294	27.429
263	82.294	27.428
264	82.292	27.428
265	82.290	27.427
266	82.288	27.427
267	82.286	27.426
268	82.284	27.425
269	82.282	27.425
270	82.281	27.423
271	82.282	27.422
272	82.284	27.421
273	82.284	27.419
274	82.283	27.418
275	82.281	27.418
276	82.279	27.418
277	82.277	27.418
278	82.276	27.416

SN	Right Bank	
	Easting	Northing
232	82.239	27.370
233	82.239	27.368
234	82.241	27.369
235	82.242	27.368
236	82.243	27.366
237	82.244	27.365
238	82.246	27.363
239	82.247	27.362
240	82.249	27.362
241	82.251	27.364
242	82.252	27.365
243	82.252	27.367
244	82.250	27.368
245	82.249	27.369
246	82.251	27.370
247	82.253	27.370
248	82.255	27.369
249	82.25665	27.36878
250	82.25862	27.36834
251	82.26059	27.36797
252	82.26257	27.36762
253	82.26447	27.36701
254	82.26639	27.36644
255	82.2683	27.36584
256	82.27007	27.36502
257	82.27155	27.3638
258	82.27317	27.36271
259	82.2749	27.36179
260	82.27673	27.36101
261	82.27784	27.35953
262	82.27899	27.35805
263	82.28017	27.35659
264	82.28122	27.35505
265	82.28215	27.35346
266	82.28285	27.35173
267	82.28361	27.35009
268	82.28436	27.34842
269	82.28484	27.34667
270	82.28489	27.34487
271	82.28504	27.34307
272	82.28501	27.34127
273	82.28479	27.33948
274	82.28454	27.33768
275	82.2843	27.33589
276	82.28302	27.33456
277	82.28158	27.33329
278	82.27983	27.3326

Rata  
 मुख्य अधिकारी  
 (जल संसाधन)  
 एवं जल संसाधन विभाग  
 प्रभु ल.

ABZ

निर्माण अभियन्ता  
 नियोजन मण्डल-प्रथम  
 जल संसाधन विभाग  
 प्रभु ल.

Dist: Balrampur

SN	Left Bank	
	Easting	Northing
279	82.276	27.415
280	82.276	27.413
281	82.275	27.412
282	82.273	27.411
283	82.271	27.411
284	82.269	27.411
285	82.267	27.410
286	82.265	27.409
287	82.263	27.409
288	82.261	27.408
289	82.260	27.406
290	82.258	27.405
291	82.257	27.404
292	82.255	27.403
293	82.253	27.402
294	82.252	27.401
295	82.250	27.401
296	82.248	27.400
297	82.246	27.400
298	82.244	27.400
299	82.242	27.399
300	82.240	27.400
301	82.238	27.400
302	82.236	27.400
303	82.234	27.399
304	82.233	27.398
305	82.232	27.396
306	82.233	27.394
307	82.233	27.392
308	82.233	27.391
309	82.233	27.389
310	82.234	27.387
311	82.235	27.386
312	82.237	27.385
313	82.238	27.384
314	82.239	27.382
315	82.239	27.380
316	82.239	27.379
317	82.241	27.377
318	82.242	27.376
319	82.243	27.374
320	82.245	27.373
321	82.247	27.373
322	82.249	27.373
323	82.251	27.373
324	82.253	27.373
325	82.255	27.373

SN	Right Bank	
	Easting	Northing
279	82.27783	27.33261
280	82.27662	27.33351
281	82.27642	27.3353
282	82.27613	27.33709
283	82.27515	27.33861
284	82.27617	27.33963
285	82.27777	27.34047
286	82.27876	27.34204
287	82.27921	27.34371
288	82.27892	27.3455
289	82.27924	27.34721
290	82.27835	27.34818
291	82.27641	27.34867
292	82.27492	27.34774
293	82.27496	27.34594
294	82.2748	27.34416
295	82.27405	27.34249
296	82.27292	27.34181
297	82.27116	27.34269
298	82.26992	27.34359
299	82.27006	27.34539
300	82.27015	27.34719
301	82.26959	27.34891
302	82.26833	27.35001
303	82.26664	27.34919
304	82.26486	27.34987
305	82.26297	27.34979
306	82.26114	27.35054
307	82.26135	27.3517
308	82.26204	27.35298
309	82.2602	27.35361
310	82.25917	27.35206
311	82.25764	27.35166
312	82.25593	27.35103
313	82.25484	27.34963
314	82.25445	27.34786
315	82.25326	27.34743
316	82.25135	27.34803
317	82.24968	27.34847
318	82.25076	27.34694
319	82.25159	27.34533
320	82.25178	27.34355
321	82.25137	27.34178
322	82.25182	27.34016
323	82.25324	27.33897
324	82.25464	27.33808
325	82.2556	27.33675

Rakul  
 मुख्य अभियन्ता  
 (जल संसाधन)  
 एवं जल संसाधन  
 विभाग

अभियन्ता  
 नियोजन मण्डल-प्रथम  
 एवं जल संसाधन विभाग

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
326	82.257	27.373
327	82.259	27.372
328	82.261	27.372
329	82.263	27.372
330	82.265	27.372
331	82.267	27.371
332	82.268	27.370
333	82.270	27.369
334	82.272	27.368
335	82.274	27.368
336	82.276	27.367
337	82.277	27.366
338	82.278	27.364
339	82.280	27.363
340	82.281	27.362
341	82.283	27.360
342	82.284	27.359
343	82.285	27.357
344	82.286	27.356
345	82.287	27.355
346	82.288	27.353
347	82.288	27.351
348	82.288	27.349
349	82.288	27.347
350	82.288	27.346
351	82.288	27.344
352	82.288	27.342
353	82.289	27.340
354	82.289	27.338
355	82.289	27.337
356	82.288	27.335
357	82.287	27.333
358	82.286	27.332
359	82.285	27.330
360	82.283	27.329
361	82.281	27.328
362	82.280	27.327
363	82.278	27.328
364	82.276	27.328
365	82.275	27.330
366	82.274	27.331
367	82.273	27.333
368	82.272	27.334
369	82.270	27.333
370	82.269	27.332
371	82.269	27.330
372	82.270	27.329

Right Bank		
SN	Easting	Northing
326	82.25757	27.33638
327	82.25954	27.33595
328	82.26138	27.33606
329	82.26203	27.33777
330	82.26295	27.33934
331	82.26481	27.33916
332	82.26677	27.33871
333	82.26824	27.33762
334	82.2664	27.33687
335	82.26457	27.33612
336	82.26301	27.335
337	82.26268	27.33345
338	82.26313	27.33169
339	82.26261	27.33004
340	82.26195	27.32841
341	82.26244	27.32666
342	82.263	27.32493
343	82.26355	27.32319
344	82.26385	27.32143
345	82.26585	27.32116
346	82.26689	27.31985
347	82.26758	27.31815
348	82.26827	27.31645
349	82.26957	27.31509
350	82.27097	27.31379
351	82.27232	27.31245
352	82.2737	27.31114
353	82.27535	27.3101
354	82.27696	27.30901
355	82.27889	27.30862
356	82.28089	27.30841
357	82.2829	27.3082
358	82.28491	27.30799
359	82.2869	27.30784
360	82.28876	27.30855
361	82.29037	27.30954
362	82.29154	27.31101
363	82.2927	27.31249
364	82.29376	27.31402
365	82.29465	27.31564
366	82.29496	27.31742
367	82.29523	27.31921
368	82.2955	27.321
369	82.29575	27.32279
370	82.29599	27.32458
371	82.29624	27.32637
372	82.29663	27.32814

Roku  
 मुख्या अ. (जल संचालन)

(जल संचालन)

सि 0 एं जल संचालन

0090 लक्ष

अ. (जल संचालन)

अधीक्षण अभियन्ता  
 अ. (जल संचालन) मण्डल-प्रथम  
 अ. (जल संचालन) लखनऊ

Dist: Balrampur

SN	Left Bank	
	Easting	Northing
373	82.270	27.327
374	82.271	27.325
375	82.271	27.323
376	82.272	27.322
377	82.273	27.320
378	82.273	27.318
379	82.274	27.317
380	82.275	27.315
381	82.277	27.314
382	82.278	27.313
383	82.280	27.312
384	82.282	27.312
385	82.284	27.311
386	82.286	27.311
387	82.287	27.313
388	82.289	27.314
389	82.289	27.316
390	82.290	27.317
391	82.291	27.319
392	82.292	27.321
393	82.292	27.323
394	82.293	27.324
395	82.293	27.326
396	82.293	27.328
397	82.293	27.329
398	82.294	27.331
399	82.294	27.333
400	82.294	27.335
401	82.294	27.336
402	82.293	27.338
403	82.294	27.340
404	82.295	27.341
405	82.296	27.343
406	82.298	27.343
407	82.300	27.343
408	82.302	27.344
409	82.304	27.344
410	82.306	27.344
411	82.308	27.344
412	82.310	27.344
413	82.312	27.345
414	82.314	27.345
415	82.316	27.344
416	82.318	27.344
417	82.320	27.343
418	82.321	27.342
419	82.323	27.341

SN	Right Bank	
	Easting	Northing
373	82.29849	27.32866
374	82.30051	27.32868
375	82.30253	27.32864
376	82.30455	27.32866
377	82.30657	27.32876
378	82.30813	27.32959
379	82.30929	27.33107
380	82.31033	27.3326
381	82.31098	27.33431
382	82.31162	27.33602
383	82.3123	27.33772
384	82.31331	27.33915
385	82.31518	27.33979
386	82.3172	27.33968
387	82.31916	27.33929
388	82.3211	27.33879
389	82.32297	27.3381
390	82.32482	27.33738
391	82.32666	27.33662
392	82.32848	27.33584
393	82.3303	27.33506
394	82.33224	27.3346
395	82.33414	27.334
396	82.3361	27.33358
397	82.33798	27.33293
398	82.33995	27.33275
399	82.34182	27.33343
400	82.34384	27.33348
401	82.34578	27.33339
402	82.34771	27.33366
403	82.34968	27.33359
404	82.35124	27.33244
405	82.35285	27.33135
406	82.35444	27.33027
407	82.35625	27.32948
408	82.35807	27.3287
409	82.35989	27.32791
410	82.36191	27.32786
411	82.36385	27.32811
412	82.36508	27.327
413	82.36483	27.32522
414	82.36424	27.32388
415	82.3639	27.32175
416	82.36345	27.31999
417	82.36297	27.31824
418	82.36327	27.31652
419	82.36395	27.31482

Raj  
 मुख्य (Raj)  
 (जल संसाधन)  
 एवं जल संसाधन विभाग  
 खण्ड ल.

अधीक्षण अभियन्ता  
 नियोजन मण्डल-प्रथम  
 एनेवरी, अखनज

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
420	82.325	27.340
421	82.327	27.340
422	82.328	27.339
423	82.330	27.338
424	82.332	27.338
425	82.334	27.337
426	82.336	27.337
427	82.338	27.337
428	82.340	27.337
429	82.342	27.337
430	82.344	27.337
431	82.346	27.337
432	82.348	27.336
433	82.350	27.336
434	82.352	27.336
435	82.354	27.335
436	82.356	27.334
437	82.357	27.333
438	82.359	27.332
439	82.361	27.332
440	82.363	27.331
441	82.364	27.332
442	82.365	27.334
443	82.364	27.336
444	82.365	27.337
445	82.367	27.337
446	82.369	27.337
447	82.370	27.337
448	82.372	27.335
449	82.373	27.334
450	82.375	27.334
451	82.375	27.336
452	82.376	27.336
453	82.378	27.335
454	82.379	27.334
455	82.380	27.332
456	82.382	27.331
457	82.381	27.329
458	82.381	27.328
459	82.381	27.327
460	82.380	27.327
461	82.378	27.326
462	82.376	27.326
463	82.376	27.324
464	82.376	27.323
465	82.375	27.321
466	82.374	27.319

Right Bank		
SN	Easting	Northing
420	82.36484	27.31335
421	82.36564	27.31221
422	82.36714	27.3111
423	82.36874	27.31004
424	82.36889	27.30825
425	82.36953	27.30655
426	82.36948	27.30476
427	82.36928	27.30297
428	82.36918	27.30116
429	82.3699	27.29954
430	82.37106	27.29919
431	82.37276	27.29821
432	82.37384	27.29707
433	82.37302	27.29543
434	82.37318	27.29418
435	82.37461	27.29484
436	82.37534	27.29649
437	82.37647	27.29788
438	82.37619	27.29919
439	82.37799	27.30001
440	82.37965	27.30103
441	82.38021	27.30265
442	82.38131	27.30333
443	82.38302	27.30237
444	82.38479	27.30197
445	82.38663	27.30237
446	82.3878	27.30099
447	82.38725	27.29932
448	82.38865	27.29816
449	82.3903	27.29796
450	82.39126	27.29708
451	82.39148	27.29601
452	82.39291	27.297
453	82.39477	27.29656
454	82.39638	27.29694
455	82.39686	27.29519
456	82.39718	27.29341
457	82.39739	27.29162
458	82.3976	27.28982
459	82.39856	27.28832
460	82.39992	27.28699
461	82.40165	27.28618
462	82.40344	27.28556
463	82.4054	27.28559
464	82.40664	27.28559
465	82.4058	27.28397
466	82.40582	27.28226

Rok  
मुख्य अभियन्ता  
(जल संसाधन)  
जल संसाधन  
30

अधीक्षण अभियन्ता  
नियोजन मण्डल-प्रथम  
न ए.एस.सी. लखनऊ

A.R.P.W.

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
467	82.375	27.318
468	82.374	27.317
469	82.372	27.318
470	82.370	27.319
471	82.369	27.320
472	82.368	27.322
473	82.368	27.321
474	82.368	27.319
475	82.368	27.317
476	82.368	27.316
477	82.370	27.315
478	82.372	27.314
479	82.373	27.313
480	82.373	27.311
481	82.374	27.309
482	82.374	27.307
483	82.374	27.305
484	82.374	27.304
485	82.375	27.304
486	82.375	27.305
487	82.376	27.307
488	82.377	27.308
489	82.378	27.310
490	82.380	27.311
491	82.382	27.310
492	82.383	27.309
493	82.384	27.308
494	82.386	27.307
495	82.388	27.307
496	82.390	27.307
497	82.391	27.308
498	82.393	27.308
499	82.395	27.309
500	82.397	27.310
501	82.399	27.311
502	82.401	27.311
503	82.403	27.311
504	82.405	27.311
505	82.406	27.311
506	82.404	27.312
507	82.404	27.314
508	82.406	27.313
509	82.408	27.313
510	82.410	27.312
511	82.411	27.311
512	82.413	27.310
513	82.413	27.308

Right Bank		
SN	Easting	Northing
467	82.40647	27.28058
468	82.40762	27.27913
469	82.4095	27.27846
470	82.41137	27.27779
471	82.4132	27.27703
472	82.41432	27.27576
473	82.4133	27.27517
474	82.41167	27.27623
475	82.40972	27.27651
476	82.4077	27.27656
477	82.40569	27.27644
478	82.40385	27.27585
479	82.40229	27.27471
480	82.40034	27.27471
481	82.39847	27.27538
482	82.39664	27.27567
483	82.39502	27.27458
484	82.39376	27.27323
485	82.3928	27.27166
486	82.39093	27.27097
487	82.3924	27.26989
488	82.39403	27.26883
489	82.39595	27.2683
490	82.39793	27.26793
491	82.3999	27.26779
492	82.40188	27.26815
493	82.40383	27.26886
494	82.40571	27.26917
495	82.40772	27.26929
496	82.40974	27.26941
497	82.40852	27.27033
498	82.40918	27.27131
499	82.41108	27.27114
500	82.41303	27.27066
501	82.41498	27.27019
502	82.41694	27.27044
503	82.41845	27.27154
504	82.42001	27.27107
505	82.42017	27.26927
506	82.42078	27.26759
507	82.42232	27.2668
508	82.42432	27.2668
509	82.4263	27.26719
510	82.42815	27.26792
511	82.42999	27.26866
512	82.43201	27.26871
513	82.43401	27.26871

Ranjit Singh  
 मुख्य जमीनदार  
 (जल संरक्षण)  
 श्री जल संरक्षण  
 4990 ल

अभियन्ता  
 नियोजन मण्डल-प्रथम  
 एनेक्सी, लखनऊ



Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
561	82.424	27.299
562	82.422	27.299
563	82.420	27.300
564	82.418	27.300
565	82.419	27.298
566	82.418	27.297
567	82.418	27.295
568	82.417	27.294
569	82.418	27.292
570	82.419	27.291
571	82.420	27.289
572	82.421	27.287
573	82.419	27.286
574	82.419	27.285
575	82.417	27.284
576	82.415	27.284
577	82.414	27.286
578	82.413	27.286
579	82.412	27.285
580	82.413	27.283
581	82.414	27.281
582	82.415	27.280
583	82.417	27.279
584	82.419	27.280
585	82.419	27.281
586	82.419	27.283
587	82.420	27.285
588	82.421	27.286
589	82.423	27.286
590	82.425	27.286
591	82.425	27.284
592	82.426	27.282
593	82.427	27.281
594	82.429	27.280
595	82.431	27.280
596	82.433	27.280
597	82.435	27.280
598	82.437	27.279
599	82.439	27.279
600	82.441	27.278
601	82.442	27.277
602	82.443	27.276
603	82.445	27.274
604	82.446	27.273
605	82.446	27.271
606	82.444	27.270
607	82.442	27.270

Right Bank		
SN	Easting	Northing
561	82.46665	27.20831
562	82.46796	27.20699
563	82.46925	27.20572
564	82.4704	27.20428
565	82.47199	27.20324
566	82.4738	27.20245
567	82.47556	27.20159
568	82.47731	27.2007
569	82.47909	27.19988
570	82.48064	27.19872
571	82.48218	27.19756
572	82.4838	27.19649
573	82.48535	27.19535
574	82.48705	27.19438
575	82.48889	27.19365
576	82.49078	27.19302
577	82.49266	27.19237
578	82.49468	27.19228
579	82.49668	27.19213
580	82.4986	27.19156
581	82.50041	27.19079
582	82.50214	27.18986
583	82.50371	27.18873
584	82.50519	27.18751
585	82.50652	27.18616
586	82.50712	27.18448
587	82.50691	27.18269
588	82.50668	27.18089
589	82.50633	27.17912
590	82.5068	27.17745
591	82.50835	27.1763
592	82.50989	27.17513
593	82.51151	27.17408
594	82.51331	27.17327
595	82.51523	27.17274
596	82.51723	27.17254
597	82.51904	27.1731
598	82.52037	27.17442
599	82.5216	27.17585
600	82.52316	27.17691
601	82.52504	27.17756
602	82.52694	27.17817
603	82.52892	27.17853
604	82.53087	27.17896
605	82.53278	27.17954
606	82.53478	27.17983
607	82.53677	27.1801

Rajendra  
 मुख्य अभियंता  
 (जल संसाधन)  
 एवं जल संसाधन  
 उपप्र. लखनऊ

अभियंता

नियोजन मण्डल-प्रथम  
 एन.एन.सी. लखनऊ

AB. J. M.

21

एन० पी० सिंह  
 अधीक्षण अभियंता

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
608	82.440	27.271
609	82.439	27.271
610	82.437	27.272
611	82.435	27.273
612	82.433	27.274
613	82.431	27.274
614	82.429	27.274
615	82.427	27.274
616	82.426	27.273
617	82.424	27.271
618	82.424	27.270
619	82.426	27.270
620	82.428	27.271
621	82.430	27.271
622	82.432	27.272
623	82.434	27.272
624	82.435	27.272
625	82.437	27.271
626	82.439	27.270
627	82.441	27.269
628	82.443	27.268
629	82.444	27.267
630	82.446	27.266
631	82.446	27.264
632	82.445	27.262
633	82.446	27.261
634	82.446	27.259
635	82.448	27.258
636	82.449	27.257
637	82.451	27.257
638	82.453	27.256
639	82.455	27.256
640	82.457	27.257
641	82.459	27.257
642	82.461	27.256
643	82.463	27.255
644	82.463	27.253
645	82.463	27.252
646	82.461	27.251
647	82.459	27.251
648	82.457	27.251
649	82.455	27.250
650	82.454	27.249
651	82.454	27.248
652	82.453	27.246
653	82.452	27.244
654	82.452	27.242

Right Bank		
SN	Easting	Northing
608	82.53877	27.18033
609	82.54074	27.1807
610	82.54272	27.18106
611	82.54473	27.18106
612	82.54665	27.18054
613	82.54851	27.17985
614	82.55035	27.17909
615	82.55231	27.17869
616	82.55424	27.17815
617	82.55621	27.17782
618	82.55822	27.17762
619	82.56023	27.17758
620	82.56205	27.17701
621	82.56365	27.17595
622	82.56482	27.17448
623	82.56588	27.17294
624	82.56778	27.17235
625	82.56969	27.17176
626	82.57168	27.17149
627	82.57364	27.1715
628	82.57542	27.17234
629	82.57736	27.17272
630	82.57937	27.17285
631	82.58106	27.17382
632	82.58189	27.17507
633	82.5814	27.17682
634	82.58087	27.17856
635	82.5803	27.18029
636	82.57973	27.18202
637	82.57918	27.18376
638	82.57863	27.1855

Rajendra  
मुख्य अभियंता  
(जल संसाधन)  
जल संसाधन  
20

ABZ

अधीक्षण अभियंता  
अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-प्रथम  
जन एनेक्सी

ABZ

एन० पी० सिंह  
अधीक्षण अभियंता  
रेनेज मण्डल गोण्डा

Dist: Balrampur

Left Bank		
SN	Easting	Northing
655	82.452	27.241
656	82.452	27.239
657	82.453	27.237
658	82.455	27.237
659	82.456	27.237
660	82.458	27.237
661	82.459	27.235
662	82.459	27.234
663	82.459	27.232
664	82.459	27.230
665	82.460	27.229
666	82.462	27.228
667	82.464	27.227
668	82.466	27.226
669	82.467	27.226
670	82.468	27.224
671	82.468	27.222
672	82.467	27.221
673	82.467	27.219
674	82.469	27.218
675	82.469	27.216
676	82.470	27.214
677	82.470	27.213
678	82.471	27.211
679	82.471	27.209
680	82.473	27.208
681	82.475	27.207
682	82.476	27.206
683	82.478	27.205
684	82.479	27.204
685	82.481	27.203
686	82.483	27.202
687	82.484	27.201
688	82.486	27.200
689	82.488	27.199
690	82.489	27.198
691	82.491	27.197
692	82.493	27.197
693	82.495	27.196
694	82.497	27.196
695	82.499	27.195
696	82.501	27.195
697	82.503	27.194
698	82.504	27.193
699	82.506	27.192
700	82.508	27.191
701	82.509	27.190

Right Bank		
SN	Easting	Northing

Rak...  
 मुख्य आ...  
 (जल संसाधन)  
 सि० एवं जल संसाधन...  
 उ०प्र० लखनऊ

AS

अधीक्षण अभियन्ता  
 अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-प्रथम  
 सिंचाई मयन एनेक्सी, लखनऊ

AS  
 A.B. Das

23

एन० पी० सिंह  
 अधीक्षण अभियन्ता  
 डेनेज मण्डल गोण्डा

Left Bank			Dist: Balrampur		
SN	Easting	Northing			
702	82.511	27.188			
703	82.511	27.186			
704	82.511	27.185			
705	82.511	27.183			
706	82.510	27.181			
707	82.511	27.179			
708	82.513	27.179			
709	82.515	27.178			
710	82.516	27.179			
711	82.518	27.180			
712	82.519	27.181			
713	82.521	27.182			
714	82.523	27.182			
715	82.525	27.182			
716	82.527	27.183			
717	82.529	27.183			
718	82.530	27.184			
719	82.532	27.184			
720	82.534	27.185			
721	82.536	27.186			
722	82.538	27.186			
723	82.540	27.186			
724	82.542	27.186			
725	82.544	27.186			
726	82.546	27.186			
727	82.548	27.185			
728	82.550	27.185			
729	82.552	27.184			
730	82.554	27.183			
731	82.556	27.183			
732	82.558	27.183			
733	82.560	27.183			
734	82.561	27.184			
735	82.563	27.184			

Right Bank		
SN	Easting	Northing

Rajendra (WR)

मुख्य अभियन्ता  
(जल संसाधन)

सि० एवं जल संयंत्र, ग  
००१० र

Mr  
A.B.D.J.

एन० पी० सिंह  
अधीक्षण अभियन्ता  
ब्रेनेज मण्डल गोण्डा

अधीक्षण अभियन्ता  
अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-प्रथम  
सिंचाई भवन एनेवसी, लखनऊ

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2458]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 7, 2016/आश्विन 15, 1938

No. 2458]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2016/ASVINA 15, 1938

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3187(अ).—गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन और जल का सतत पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के उपाय करने तथा इससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर प्राधिकरणों का गठन करना जरूरी है, जिससे गंगा नदी का पुनरुद्धार करके इसे इसकी प्राकृतिक एवं मूल स्थिति में लाया जा सके।

जहां, गंगा नदी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारणों से अद्वितीय महत्व की है जो इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देता है;

और जहां, गंगा नदी तेजी से हो रहे शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण सीवेज, औद्योगिक बहिस्त्राव एवं अन्य प्रदूषकों के बढ़ने के कारण गंभीर स्थिति में है;

और जहां, प्रतिस्पर्धी मांग को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, अवसंरचना विकास में वृद्धि के कारण सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक उपयोग एवं जल विद्युत के लिए गंगा नदी के जल की मांग बढ़ रही है;

और जहां, अविश्वसनीय निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है-----

(ए) व्यापक आयोजना एवं प्रबंधन के लिए इस अंतर्राज्यीय एवं अंतर्देशीय समन्वय को प्रोत्साहित करने के लिए नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी में प्रदूषण में प्रभावी कमी तथा नदी का संरक्षण सुनिश्चित करना;

(बी) नदी की पूरी लंबाई के क्षेत्र में सतत प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में पारिस्थितिकीय प्रवाह बनाए रखना जिससे इसकी पारिस्थितिकीय समग्रता को पुनः स्थापित किया जा सके और यह स्वयं अपना पुनरुद्धार करने में सक्षम हो सके;

(सी) गंगा नदी के आस-पास के क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाना जहां उद्योग, प्रचालन अथवा प्रक्रियाएं अथवा उद्योगों का वर्ग, प्रचालन अथवा प्रक्रियाएं नहीं की जाएंगी अथवा कुछ सुरक्षा उपायों के साथ की जाएंगी;

(डी) किसी भवन, संयंत्र, उपकरणों, मशीनों, निर्माण अथवा अन्य प्रक्रियाओं, सामग्री अथवा पदार्थों के निरीक्षण का प्रावधान करना और ऐसे प्राधिकरणों, अधिकारियों तथा व्यक्तियों को गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाने के लिए कदम उठाने के निर्देश देना जैसा कि यह आवश्यक समझे।

(ई) गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या से संबंधित अन्वेषण एवं अनुसंधान करना एवं प्रायोजित करना और पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने वाली संभावित निर्माण प्रक्रियाओं, सामग्री तथा पदार्थों की जांच करना;

(एफ) गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित मामलों के संदर्भ में सूचना एकत्रित एवं प्रसारित करना और पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाने के संबंध में मैनुअल, कोड अथवा गाइड तैयार करना;

और जहां, गंगा के पुनरुद्धार के लिए समान रूप से उत्तरदायी होने के कारण संबंधित राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर नदी संरक्षण क्रियाकलापों का समन्वय एवं कार्यान्वयन करना होगा और उनके राज्य में गंगा नदी के व्यापक प्रबंधन के लिए कदम उठाने होंगे;

और जहां, गंगा नदी में प्रदूषण को समाप्त करने और संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए इस आदेश के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा प्राधिकरणों के सामूहिक प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजना, वित्त पोषण, निगरानी और समन्वय की आवश्यकता होगी।

अब, इसलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 तथा 4, 5, 9, 10, 11, 19, 20 और 23 की उपधारा (2) तथा (3) के अनुच्छेद (i), (ii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii) तथा (xiii) के साथ उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में भारत सरकार की 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1111(अ), 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2539(अ), 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2493(अ), 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2494(अ), 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2495(अ) और 8 फरवरी 2010 की का.आ. 287(अ) और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण में 29 सितंबर 2014 की का.आ. संख्या 2539(अ) का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, केन्द्र सरकार एतद्वारा-

(i) ऐसी शक्तियों तथा कार्यों को करने के उद्देश्य से इस आदेश में उल्लिखित नामों से प्राधिकरण गठित करती है (उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति के साथ और इस आदेश में उल्लिखित मामलों के संदर्भ में उपाय करने के लिए);

(ii) केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण और इस आदेश के प्रावधानों के शर्ताधीन इस आदेश में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों को निर्देश देती है कि वे इस आदेश में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग अथवा कार्यों का निष्पादन अथवा उपाय करेंगे जैसे कि इन प्राधिकारियों को उक्त अधिनियम द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करने, इन कार्यों का निष्पादन करने अथवा ऐसे उपाय करने का अधिकार दिया गया है;

(iii) यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत गंगा नदी और उससे जुड़े मामलों के संबंध में इसकी सभी शक्तियों एवं कार्यों (धारा 3 की उपधारा (3) के तहत किसी प्राधिकरण के गठन की शक्ति और उक्त अधिनियम की धारा 6 और 25 के तहत नियम बनाने को छोड़कर) का प्रयोग इस आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं सीमाओं के शर्ताधीन इस आदेश द्वारा गठित प्राधिकरणों और इस आदेश में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकेगा।

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ- (1) इस आदेश को गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. आदेश को लागू करने का क्षेत्र- यह आदेश गंगा नदी में प्रदूषण की प्रभावी कमी तथा संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के उद्देश्य से गंगा नदी बेसिन वाले राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड,

हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ऐसे अन्य राज्य जिनमें गंगा नदी की प्रमुख उपनदियां स्थित हैं, पर लागू होगा, जैसा कि गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिपद निर्णय ले।

3. परिभाषाएं, यदि संदर्भ में अन्य रूप में अपेक्षित न हो-

(ए) "अधिनियम" का अर्थ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) होगा।

(बी) "वेसिन" का अर्थ क्षेत्र में मृदा, जल, वनस्पति तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित जल निकाय अथवा जल मार्ग के संपूर्ण आवाह क्षेत्र से है और इसमें आवाह आधार पर भूमि, जल, वनस्पति एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं।

(सी) "वफर क्षेत्र" का अर्थ उस क्षेत्र से है जो नदी के बाढ़ मैदान से आगे है।

(डी) "आवाह" अथवा "आवाह क्षेत्र" में वह संपूर्ण भूमि क्षेत्र शामिल है जिसमें वर्षा, हिम अथवा बर्फ का अपवाह जल मार्ग के गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों में मिलने अथवा गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों में जल छोड़ने से पहले एक जल निकाय अथवा जल मार्ग में गिरता है।

(ई) "व्यावसायिक मछली पालन" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों में नेट, जहर अथवा अन्य आधुनिक फिशिंग गेयर अथवा पद्धतियों द्वारा व्यावसायिक प्रयोजन से बड़े पैमाने पर मछली पालन से है।

(एफ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ केन्द्र सरकार से है।

(जी) "वनकटाव" का अर्थ विशेष रूप से गंगा नदी के आवाह क्षेत्र में वन क्षेत्र में कमी, विशेषतौर पर मानवजनित क्रियाकलापों द्वारा अथवा वन के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए नियोजित रूप से इस हटाने को छोड़कर वन में पेड़ों अथवा वनस्पति को हटाने से है।

(एच) "अवक्रमित वन" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के आस-पास आवाह क्षेत्र में मूल वन क्षेत्र अथवा वनस्पति घनत्व में कमी वाले वन से है।

(आई) "निर्देश" का अर्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी निर्देश से है और "निर्देश देने" का अर्थ इसी के अनुसार होगा।

(जे) "जिला गंगा समिति" का आशय, पैराग्राफ 53 में उल्लिखित जिला गंगा सुरक्षा समिति से है।

(के) "इंजीनियर्ड डायवर्जन" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के जल को नहरों अथवा अन्य इंजीनियरिंग संरचनाओं में अंतरित करने के लिए बनाई गई अथवा संस्थापित संरचना अथवा यंत्र से है।

(एल) "बाढ़ मैदान" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के ऐसे क्षेत्र से है जो इसके अधिकतम प्रवाह के संगत बाढ़ अथवा 100 वर्ष में एक बार आने वाली बाढ़ के समान बाढ़ के कारण दोनों ओर जल के अंदर आ जाता है।

(एम) "घाट" का अर्थ गंगा अथवा इसकी उपनदियों के तट पर ढलान वाले भाग से है जिसमें कृत्रिम रूप से निर्मित सीढ़ियां और गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के जल तक मानव की सरल पहुंच के लिए प्रयुक्त भूमि के ढलान वाले क्षेत्र शामिल हैं और धार्मिक अथवा अन्य संबंधित प्रयोजन से ऐसे भागों का प्रयोग शामिल है।

(एन) "स्थानीय प्राधिकरण" में पंचायती राज संस्थाएं, नगरपालिकाएं, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर नियोजन प्राधिकरण अथवा जिला परिषद अथवा अन्य कोई निकाय अथवा प्राधिकरण, जिस भी नाम से जाना जाता हो, जिसे एक विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं देने हेतु अथवा नागरिक सेवाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए कानून द्वारा मान्यता दी गई हो।

(ओ) "राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन" का अर्थ पैराग्राफ 31 में उल्लिखित प्राधिकरण है।

(पी) "अधिसूचना" का अर्थ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है और "अधिसूचित करने" का अर्थ इसी के अनुसार होगा।

(क्यू) "प्रदूषित पदार्थ" में ठोस अपशिष्ट शामिल होगा जिसमें पशुओं के शव, रसोई अथवा अस्तबल का अपशिष्ट, गोबर, कचरा, सड़ी हुई अथवा दुर्गंधयुक्त सामग्री और किसी भी प्रकार की गंदगी शामिल है जो सीवेज में नहीं आती।

(आर) "व्यक्ति" में निम्नलिखित शामिल है-

- (i) एक व्यक्ति अथवा समूह अथवा व्यक्तियों का संघ शामिल किया गया हो अथवा नहीं;
- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत स्थापित कंपनी;
- (iii) किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम;
- (iv) एक स्थानीय प्राधिकरण;
- (v) उपर्युक्त उपखंडों में से किसी में भी न आने वाला प्रत्येक न्यायिक व्यक्ति।

(एस) "नदी तल" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के क्षेत्र के सूखे हिस्से से है और इसमें वह स्थान शामिल है जहां गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियां बहती हैं जब वे जल से भर जाती हैं और गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के किनारे स्थित भूमि शामिल है जो जल का सर्वाधिक प्रवाह होने पर अपने प्राकृतिक चैनल में जल को बनाए रखती है।

(टी) "नदी तल खेती" में जल के कम प्रवाह के समय गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के नदी तल पर मौसमी कृषि अथवा खेती से है।

(यू) "गंगा नदी" धारा का अर्थ उत्तराखंड राज्य में 6 प्रमुख धाराओं की संपूर्ण लंबाई अर्थात् अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी से है जो अपने मूल ग्लेशियर से विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रूद्र प्रयाग और देव प्रयाग में उनके संबंधित संगम तक है और नदी की मुख्य धारा भी इसमें शामिल है और उसके बाद प्रयागराज सहित गंगा सागर तक और इसकी सभी उपनदियां शामिल हैं।

(वी) "कूड़ा करकट" का अर्थ राख, टूटी हुई ईंटों, गारे, टूटे हुए कांच, धूल अथवा किसी प्रकार के अपशिष्ट और गंदगी से है।

(डब्ल्यू) "मिट्टी के खनन" का अर्थ सूखे चैनल वेल्ड, बाढ़ मैदान अथवा गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के भाग से नदी में बड़े पैमाने पर मिट्टी को हटाने से है।

(एक्स) "सीवेज अपशिष्ट" का अर्थ किसी सीवेज प्रणाली अथवा सीवेज निपटान कार्य के बहिष्काव से है और इसमें खुले नालों का सीवेज शामिल है।

(वाई) "सीवेज स्कीम" का अर्थ ऐसी स्कीम से है जो एक स्थानीय प्राधिकरण भूमिगत बंद सीवर के माध्यम से जल को फ्लश करके सीवेज हटाने की प्रक्रिया शुरू करें।

(जेड) "अनुसूची" का अर्थ इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची है।

(जेडए) "विनिर्दिष्ट जिले" का अर्थ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ऐसे अन्य राज्य जिनमें इस आदेश में उल्लिखित गंगा नदी की प्रमुख उपनदियां स्थित हैं, में गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के 15 किमी. के क्षेत्र में गंगा नदी के आस-पास स्थित प्रत्येक जिले के क्षेत्र से है।

(जेडबी) "राज्य गंगा समिति" का अर्थ पैरा 2 में उल्लिखित राज्यों में से प्रत्येक राज्य के लिए इस आदेश के तहत गठित राज्य गंगा संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति से है।

(जेडसी) राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अर्थ प्रत्येक राज्य में अधिनियम के तहत पूर्व गठित प्राधिकरण से है अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 8 फरवरी, 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 287(अ) द्वारा गठित बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।
- (ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 30 सितंबर, 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2495(अ) द्वारा गठित झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।

(iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 30 सितंबर, 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1111(अ) द्वारा गठित उत्तराखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।

(iv) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 30 सितंबर, 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2493(अ) द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।

(v) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 30 सितंबर, 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2494(अ) द्वारा गठित पश्चिम बंगाल राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।

(जेडडी) "धारा" में नदी, जल मार्ग (प्रवाहित हो रहे हों अथवा कुछ समय के लिए सूखे हों), अंतर्देशीय जल (प्राकृतिक अथवा कृत्रिम) और उपक्षेत्र जल शामिल है।

(जेडई) "गंगा नदी की उपनदियों" का अर्थ उन नदियों अथवा धाराओं से है जो गंगा नदी में प्रवाहित होती हैं और इनमें यमुना नदी, सोन नदी, महानंदा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी और महाकाली नदी तथा उनकी उपनदियां अथवा ऐसी अन्य नदियां जिन्हें राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन परिषद इस आदेश के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट करे, शामिल हैं।

2. इस आदेश में प्रयुक्त किए गए तथा परिभाषित नहीं किए गए शब्दों एवं पदों का अर्थ यदि पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) में परिभाषित किया गया है तो उनका अर्थ वही समझा जाएगा जो उक्त अधिनियम में दिया गया है।

4. गंगा नदी की सुरक्षा, प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए उपाय करने हेतु अपनाए जाने वाले सिद्धांत- (1) गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए उपाय करने हेतु निम्निलिखित सिद्धांत अपनाए जाएंगे अर्थात:-

(i) गंगा नदी को एक एकल प्रणाली के रूप में प्रबंधित किया जाएगा;

(ii) गंगा नदी के जल की रासायनिक, भौतिक एवं जीव विज्ञानीय गुणवत्ता को पुनःस्थापित करने एवं इस बनाए रखने का कार्य समयबद्ध ढंग से किया जाएगा;

(iii) गंगा नदी को पारिस्थितिकीय ढंग से सतत पद्धति में प्रबंधित किया जाएगा;

(iv) गंगा नदी में प्राकृतिक मौसमी विविधता में परिवर्तन किए बिना नदी में प्रवाह बनाए रखा जाएगा;

(v) गंगा नदी के देशान्तरीय, लेटरल तथा ऊर्ध्वाधर आयाम (कनेक्टिविटी) नदी प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों में शामिल किए जाएंगे;

(vi) सतही प्रवाह तथा उपसतही जल (भूजल) के बीच समग्र संबंध को पुनःस्थापित किया जाएगा एवं बनाए रखा जाएगा;

(vii) आवाह क्षेत्र में खोई प्राकृतिक वनस्पति को पुनः सृजित किया जाएगा एवं बनाए रखा जाएगा;

(viii) गंगा नदी बेसिन में जलीय एवं तटीय जैव-विविधता को पुनः सृजित एवं संरक्षित किया जाएगा;

(ix) प्रदूषण के स्रोत, दबाव को कम करने और इसके प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण विशेषताओं को बनाए रखने के लिए गंगा नदी के तट और इसके बाढ़ मैदान को निर्माण मुक्त जोन बनाया जाएगा;

(x) संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन में जनता की भागीदारी, किसी विनियम, मानक में संशोधन करना एवं लागू करने, संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए वहिस्राव न्यूनीकरण योजना अथवा कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाए और गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन की प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा;

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन देश के लोगों की आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकी में उन्नयन तथा लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय संयुक्त संस्तुति की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए उपपैरा (1) के तहत विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के अतिरिक्त सिद्धांत विनिर्दिष्ट कर सकता है।

5. गंगा नदी में जल का पारिस्थितिकीय प्रवाह बनाए रखा जाए- (1) प्रत्येक राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि पैरा के उप पैरा (iv) में दिए गए अनुसार गंगा नदी में हर समय जल का अबाधित प्रवाह बनाए रखा जाए।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार भी गंगा नदी में इसकी पारिस्थितिकीय समग्रता को बनाए रखने के लिए विभिन्न मौसम में जल का पर्याप्त प्रवाह बनाए रखने के प्रयास करेगी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित प्राधिकरण समयबद्ध ढंग से उचित कार्रवाई करेंगे।

(3) इस पैरा के प्रयोजन से जल के औसत प्रवाह का निर्धारण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा गंगा नदी पर विनिर्दिष्ट बिन्दुओं पर विनिर्दिष्ट जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रों द्वारा किया जाएगा।

बशर्ते कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए गंगा नदी पर विभिन्न बिन्दुओं के लिए नदी में जल का औसत प्रवाह निर्धारित किया जाए।

6. गंगा नदी और उसकी उप नदियों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाना

(1) कोई व्यक्ति गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों अथवा इसके तटों पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अशोधित अथवा शोधित सीवेज अथवा सीवेज कीचड़ नहीं डालेगा;

बशर्ते कि जहां किसी स्थानीय प्राधिकरण के पास इस आदेश के लागू होने की तारीख को सीवेज अथवा कीचड़ के एकत्रण, भंडारण, ले जाने और निपटान के लिए सीवेज स्कीम अथवा अवसंरचना नहीं है अथवा गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के आस-पास के क्षेत्र में उपर्युक्त तारीख तक ऐसी अवसंरचना प्रचालन में न हों, ऐसा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण इस आदेश के लागू होने की तारीख से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में स्थानीय प्राधिकरण के क्षेत्र में सीवेज के एकत्रण, भंडारण, ले जाने एवं निपटान के लिए ऐसी अवसंरचना विकसित करेगा अथवा ऐसी अवसंरचना प्रचालन में लाएगा।

(2) कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों अथवा इनके तटों पर अशोधित अथवा शोधित व्यावसायिक बहिस्त्राव, औद्योगिक अपशिष्ट नहीं छोड़ेगा;

बशर्ते यह भी कि जहां किसी उद्योग अथवा औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन के पास इस आदेश के लागू होने की तारीख को औद्योगिक बहिस्त्राव शोधन स्कीम अथवा अवसंरचना न हो अथवा गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के आस-पास के क्षेत्र में उपर्युक्त तारीख को ऐसी अवसंरचना प्रचालन में न हो, ऐसा प्रत्येक उद्योग अथवा औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन उद्योग अथवा औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन के कार्यक्षेत्र में इस आदेश के लागू होने की तारीख से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में व्यावसायिक बहिस्त्राव, औद्योगिक अपशिष्ट के एकत्रण, भंडारण, ले जाने एवं निपटान के लिए अवसंरचना विकसित करेगा अथवा ऐसी अवसंरचना प्रचालन में लाएगा।

(3) कोई व्यक्ति गंगा नदी में अथवा गंगा नदी या इसकी उपनदियों के तट अथवा इनके सक्रिय बाढ़ मैदानी क्षेत्र में आवासीय अथवा वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक अथवा अन्य किसी प्रयोजन से स्थायी अथवा अस्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेगा;

बशर्ते कि, अपवाद की स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा अथवा पारंपरिक स्थलों पर धार्मिक आयोजनों के लिए राज्य गंगा समिति और जिला गंगा समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की पूर्व अनुमति से अस्थायी संरचनाएं बनायी जा सकती हैं;

बशर्ते यह भी कि इस आदेश के लागू होने से पहले गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के तट अथवा सक्रिय बाढ़ मैदान में यदि कोई ऐसी संरचना बनाई गई है तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ऐसी संरचनाओं की समीक्षा करेगा ताकि यह जांच की जा सके कि ऐसी संरचनाएं गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों में जल के सतत प्रवाह को बाधित नहीं कर रही अथवा नदी में प्रदूषण नहीं फैला रही और यदि ऐसा है तो यह उन्हें हटाने की कार्रवाई कर सकता है।

(4) कोई व्यक्ति ऐसा कोई क्रियाकलाप अथवा किसी परियोजना अथवा प्रक्रिया अथवा क्रियाकलाप नहीं करेगा अथवा जारी रखेगा। जिससे गंगा नदी में प्रदूषण हो, चाहे यह क्रियाकलाप इस आदेश में उल्लिखित हो या न हो।

(5) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अथवा विनिर्दिष्ट जिला गंगा संरक्षण समिति, स्थानीय प्राधिकरण और सभी अन्य प्राधिकरण तथा व्यक्ति गंगा नदी और इसकी उपनदियों के आस-पास के प्रत्येक गांव/नगर, शहर तथा अन्य क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में रिपोर्टों में दी गई सूचना तथा उपर्युक्त उपायों का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार करेंगे तथा जनता के ध्यान में लाएंगे।

7. गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के प्रदूषण के मामले में आपातकालीन उपाय- किसी दुर्घटना अथवा अनदेखे कार्य अथवा घटना के कारण गंगा नदी में कोई भी विषैला हानिकारक अथवा प्रदूषक कारक पाया जाता है अथवा प्रवेश किया है, और तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे कार्यों को करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करनी होगी अथवा

विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अथवा विनिर्दिष्ट जिला गंगा समिति अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम द्वारा ऐसे कार्यों को करने हेतु निर्देश दिया जाएगा, चूंकि इसे निम्नलिखित सभी अथवा किसी उद्देश्य के लिए आवश्यक समझा जाए। अर्थात्

(क) प्रदूषक की उपस्थिति के कारण किसी प्रदूषण के उपशमन अथवा निपटान के लिए इस ढंग से जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया है, गंगा नदी से प्रदूषक सामग्री को हटाने की पद्धति और निपटाना के साथ साथ ऐसे कार्यों को करने के लिए यथा उपयुक्त समझा जाता है।

(ख) गंगा नदी में किसी भी विपैले, हानिकारक अथवा प्रदूषक सामग्री को छोड़ने से किसी व्यक्ति अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा संबंधित अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम को नियंत्रित करने अथवा निषेध करने संबंधी निर्देश जारी करना।

(ग) इस प्रकार की आपातकालीन समस्या के समाधान के लिए कोई अतिरिक्त कार्य अथवा कार्य पद्धति शुरू करना जैसा भी आवश्यक हो।

8. निर्देश जारी करने की शक्ति- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इस आदेश के तहत अपनी शक्तियों और निष्पादन अथवा अपने कार्य पद्धतियों का प्रयोग कर सकता है, जिसे प्रदूषण का निवारण और गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक समझा जाए। संबंधित प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरणों अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा व्यक्ति को लिखित में अधिनियम के तहत ऐसे निर्देश जारी करना और वे ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

व्याख्या- संदेह के निवारण के लिए एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि इस धारा के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति शामिल की जाती है लेकिन निर्देश देने की शक्ति को सीमित नहीं किया जाता है-

(क) किसी उद्योग, प्रचालन अथवा प्रक्रिया को बंद करना, निषेध अथवा विनियमन; अथवा

(ख) विद्युत अथवा जल की आपूर्ति अथवा अन्य किसी सेवा को रोकना अथवा विनियमन

(ग) इस आदेश अथवा उल्लिखित अधिनियम अथवा बनाए गए नियम अथवा इसके तहत जारी निर्देशों के विरोधी किसी कार्य को रोकना अथवा बंद करना।

(घ) इस आदेश अथवा उल्लिखित अधिनियम में विनिर्दिष्ट उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन

9. गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा- प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिला गंगा समिति वार्षिक समय ढांचा के भीतर और ऐसे जिला के लिए गंगा नदी के क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रोटोकॉल के अनुसार गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा करवाई जाएगी और विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को इस संबंध में शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई सहित इस सुरक्षा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करेगी, जिस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी, यदि आवश्यक हो।

10. गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की निगरानी किया जाना- (1) गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की निगरानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा स्वयं अथवा उपग्रह के चित्रों तथा अन्य दूरसंवेदी प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा विभिन्न राज्य और केन्द्र सरकारी अभिकरणों के साथ-साथ इसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले आवधिक आधार पर वास्तविक केन्द्रों, ऑनलाइन निगरानी और स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से निर्देशों द्वारा की जाएगी।

(2) उप-पैराग्राफ के प्रावधानों के बावजूद (1) केन्द्र सरकार गंगा तथा इसकी सहायक नदियों में ऊपर उल्लिखित प्रदूषण की निगरानी के लिए किसी अन्य तकनीक अथवा पद्धति, जिसे निर्देशों में विनिर्दिष्ट किया जा सके, को अपनाकर गंगा तथा इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की निगरानी के कार्य को किसी अन्य अभिकरण अथवा निकाय अथवा सीधे, प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के उद्देश्य से, सौंप सकती है।

11. गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद का गठन - इस आदेश को लागू करने की तिथि से अधिनियम के उद्देश्यों तथा इस आदेश और उल्लिखित अधिनियम के तहत यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का उपयोग करने तथा कार्यों को करने के लिए गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा, प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद के नाम से (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् राष्ट्रीय गंगा परिषद कहा जाएगा) एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

12. राष्ट्रीय गंगा परिषद की संरचना- राष्ट्रीय गंगा परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः-	
(क) प्रधानमंत्री	अध्यक्ष, पदेन
(ख) केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री	उपाध्यक्ष, पदेन
(ग) केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री	सदस्य, पदेन
(घ) केन्द्रीय वित्त मंत्री	सदस्य, पदेन
(ङ) केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री	सदस्य, पदेन
(च) केन्द्रीय विद्युत मंत्री	सदस्य, पदेन
(छ) केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री	सदस्य, पदेन
(ज) केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री	सदस्य, पदेन
(झ) केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री	सदस्य, पदेन
(ञ) केन्द्रीय पोत परिवहन मंत्री	सदस्य, पदेन
(ट) केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री	सदस्य, पदेन
(ठ) उपाध्यक्ष, नीति आयोग	सदस्य, पदेन
(ड) मुख्यमंत्री, बिहार	सदस्य, पदेन
(ढ) मुख्यमंत्री, झारखंड	सदस्य, पदेन
(ण) मुख्यमंत्री, उत्तराखंड	सदस्य, पदेन
(त) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य, पदेन
(थ) मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य, पदेन
(द) सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय-	सदस्य, पदेन
(ध) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य-सचिव, पदेन

(2) राष्ट्रीय गंगा परिषद सदस्य के रूप में राष्ट्रीय गंगा परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले ऐसे राज्य के एक अथवा एक से अधिक मुख्यमंत्रियों को शामिल कर सकती है जहां गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिससे गंगा नदी के जल की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना है।

(3) राष्ट्रीय गंगा परिषद यदि आवश्यक समझे तो एक अथवा अधिक केन्द्रीय मंत्रियों को भी शामिल कर सकती है।

(4) राष्ट्रीय गंगा परिषद नदी संरक्षण, नदी पारिस्थितिकी और नदी प्रबंधन, जल विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी, सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा विशेषज्ञ संगठनों अथवा संस्थानों के साथ परामर्श कर सकती है।

(5) राष्ट्रीय गंगा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान पर होगा, जैसा निर्धारित किया जाए।

(6) राष्ट्रीय गंगा परिषद का सचिवालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में होगा।

(7) केन्द्र सरकार में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा।

13. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का विघटन- (1) पैराग्राफ 11 में राष्ट्रीय गंगा परिषद के गठन की तिथि को और से, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना का.आ. 2539(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा गठित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को विघटित माना जाएगा।

(2) विघटन से पहले राष्ट्रीय गंगा नदी वेसिन प्राधिकरण द्वारा किए गए अथवा छोड़े गए सभी कार्य अथवा शुरू की गई कार्रवाई अथवा खर्च की गई अथवा खर्च किए जाने हेतु प्राधिकृत किसी राशि को इस आदेश के समान प्रावधानों के तहत किया हुआ अथवा शुरू किया जाना माना जाएगा।

14. गंगा नदी के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य राष्ट्रीय गंगा परिषद को सौंपना- गंगा नदी के पर्यवेक्षण, निर्देशन, विकास और नियंत्रण तथा गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण, रोकथाम, नियंत्रण और निवारण के लिए संपूर्ण नदी वेसिन (वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों सहित) तथा इसकी प्राकृतिक और मूल स्थिति का संरक्षण नदी में जल के पर्याप्त बहाव की निरंतरता और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय गंगा परिषद, इस आदेश में शामिल किसी भी चीज के वावजूद, संपूर्ण रूप से जिम्मेवार मानी जाएगी।

15. राष्ट्रीय गंगा परिषद का क्षेत्राधिकार- गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद का क्षेत्राधिकार पैराग्राफ 2 में दिए गए क्षेत्र तक होगा।

16. गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद की बैठक-

(1) राष्ट्रीय गंगा परिषद अपनी बैठकों सहित अपने कार्य को करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनियमन कर सकती है।

(2) राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे और इसके कार्यव्यवहार को आगे बढ़ाएंगे।

(3) उपाध्यक्ष के पास अगली बैठक में संपुष्टि के शर्ताधीन परिषद की दो बैठकों के आयोजन के बीच में परिषद के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय गंगा परिषद के लिए आवश्यक निर्णय लेने की शक्ति होगी।

(4) राष्ट्रीय गंगा परिषद अपने विवेक से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक अथवा अधिक बैठकें आयोजित कर सकती है।

17. प्राधिकरण के रूप में गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यवल का गठन- (1) इस आदेश को जारी करने की तिथि से अधिनियम के उद्देश्यों तथा इस आदेश और उल्लिखित अधिनियम के तहत यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का उपयोग करने तथा कार्यों को करने के लिए गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यवल के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

2 गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यवल में निम्नलिखित शामिल हैं, नामतः-

(क) केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री	अध्यक्ष, पदेन
(ख) केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष, पदेन
(ग) सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण सदस्य,	पदेन
(घ) सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)	सदस्य, पदेन
(ङ) सीईओ, नीति आयोग	सदस्य, पदेन
(च) मुख्य सचिव, उत्तराखंड राज्य	सदस्य, पदेन
(छ) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य	सदस्य, पदेन
(ज) मुख्य सचिव, बिहार राज्य	सदस्य, पदेन
(झ) मुख्य सचिव, झारखंड राज्य	सदस्य, पदेन
(ञ) मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य	सदस्य, पदेन
(ट) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य, सचिव

(3) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यवल, एक अथवा एक से अधिक केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों अथवा संबंधित अन्य किसी राज्य के मुख्य सचिव को सदस्य के रूप में शामिल कर सकती है, यदि आवश्यक समझा जाए।

(4) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल अपने विवेकानुसार कम से कम प्रत्येक तीन महीने में एक अथवा इससे अधिक बैठकें आयोजित करेगा।

(5) केन्द्र सरकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में गंगा संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी और यह मंत्रालय ऐसी प्रशासनिक और तकनीकी सहायता देने के उद्देश्य हेतु नोडल मंत्रालय होगा।

(18) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल के कार्य और शक्तियां-

(1) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों में समन्वय करेगा और सलाह देगा।

(2) खासकर और उप-पैराग्राफ (1) के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल के कार्य और शक्तियों में गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित मामलों में से सभी अथवा किसी एक के संबंध में उपायों को शामिल किया जा सकता है। अर्थात्-

(क) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित मंत्रालय, विभागों और राज्य सरकारों के पास-

(i) गंगा नदी के संरक्षण और परिरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खास गतिविधियों, उद्देश्यों और समयबद्धता सहित एक कार्य योजना है

(ii) इसकी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक तंत्र है

(ख) समयबद्ध आधार पर इसकी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय।

(ग) कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी, बाधाओं को दूर करना, शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुझाव और निर्णय लेना।

(घ) घरेलू और विदेशी सहायता के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाओं सहित नमामि गंगे

(ङ) गंगा नदी के संरक्षण और संरक्षा तथा प्रबंधन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यथा आवश्यक समझे गए ऐसे अन्य कार्यों को करना अथवा यथा आवश्यक समझी गई शक्तियों का प्रयोग करना अथवा केन्द्र सरकार द्वारा सौंपा गया हो अथवा राष्ट्रीय गंगा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों को करना।

19. एक हजार करोड़ रूपए के मूल्य से अधिक की परियोजनाओं के लिए अनुमोदन

(1) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल, एक हजार करोड़ रूपए के मूल्य से अधिक की प्रत्येक परियोजना के अनुमोदन हेतु जिम्मेवार होगा, समय-समय पर यथा संशोधित।

(2). गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल उप-पैराग्राफ (1) के उद्देश्य हेतु इनके सदस्यों के बीच एक अधिकारियों की उप-समिति गठन कर सकता है।

20. विनिर्दिष्ट राज्य गंगा संरक्षण संरक्षा एवं प्रबंधन समितियों का प्राधिकरणों के रूप में गठन तथा इनका संघटन- इस आदेश के लागू होने की तारीख से पैरा 2 में दिए गए अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्य गंगा संरक्षण, संरक्षा एवं प्रबंधन समिति नामक एक प्राधिकरण गठित किया जाएगा। जिसमें इस आदेश तथा अधिनियम विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यों का निष्पादन करने के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार एक अध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे।

21. राज्य गंगा समिति की बैठकें- (1) प्रत्येक विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अपनी बैठकों सहित अपने कार्यों को करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनियमन कर सकती है।

(2) प्रत्येक राज्य गंगा समिति 3 महीने की अवधि में कम से कम अपनी एक बैठक करेगी।

(3) विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति के अध्यक्ष इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उल्लिखित समिति अपना उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जो विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और इसके कार्य व्यवहार को आगे बढ़ाएंगे।

22. समिति का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण- गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में संरक्षण, संरक्षा पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाने के उद्देश्य से इस आदेश में किए गए किसी भी प्रावधान के बावजूद जिला गंगा समितियों का अधीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण राज्य गंगा समिति के पास होगा जिससे गंगा नदी प्राकृतिक एवं मूल स्थिति का संरक्षण किया जा सके और संबंधित राज्यों में गंगा नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए गंगानदी में जल का सतत एवं पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

23. राज्य समिति के निर्णय बाध्यकारी होंगे--- विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति की बैठकों में लिए गए निर्णय इस आदेश में निहित किसी भी मामले के बावजूद प्रत्येक जिला गंगा समिति और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा ऐसे निर्णय में संदर्भित व्यक्ति पर लागू होंगे और वे राज्य गंगा समिति के निर्णयों का अनुपालन करेंगे।

24. राज्य गंगा समितियों के अधिकार, कर्तव्य और कार्य- (1) प्रत्येक राज्य गंगा समिति को इस अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा उसके तहत जारी निर्देशों तथा इस आदेश के प्रावधानों में निर्धारित नियमों के शर्ताधीन पैरा 6, 7 और 8 में उल्लिखित उपायों सहित ऐसे सभी उपायों जो वह गंगा नदी में प्रभावी प्रदूषण निवारण और नदी के संरक्षण हेतु तथा राष्ट्रीय गंगा परिषद तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निर्णयों को लागू करने हेतु आवश्यक अथवा अनिवार्य समझे, को करने का अधिकार होगा।

(2) राज्य गंगा समिति राष्ट्रीय गंगा परिषद और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाएं कार्यान्वित करेगी।

(3) विशेषकर और उप-पैरा (1) और (2) के प्रावधानों की सामान्यता के पूर्वाग्रह के बिना इन उपायों में निम्नलिखित सभी अथवा इनमें से कोई मामला शामिल किया जा सकता है अर्थात्:-

(क) सीवरेज अवसंरचना के संवर्धन, आवाह क्षेत्र सुधार, बाढ़ मैदानों की सुरक्षा, जन जागरूकता फैलाने तथा राज्य स्तरीय अन्य उपायों और गंगा नदी में उसकी जल गुणवत्ता बरकरार करने के लिए उसमें प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और कम करने सहित गंगा नदी के संरक्षण संबंधी कार्यों का समन्वय और कार्यान्वयन, तथा नदी इकोलॉजी और संबंधित राज्य में प्रबंधन संबंधी अन्य उपाय करना;

(ख) संबंधित राज्य में नदी बेसिन प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन

(ग) संबंधित राज्य में गंगा नदी में न्यूनतम इकोलॉजी प्रवाह को बरकरार रखना और तत्संबंधी कार्य।

(घ) इस आदेश के तहत अपने अधिकारों के प्रयोग और कार्यों के निष्पादन हेतु अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्रवेश एवं निरीक्षण तथा धारा 11 के अंतर्गत नमूना लेने का अधिकार;

(4) राज्य गंगा समिति को पैरा 7 में रेखांकित मुद्दों पर निर्देश देने का अधिकार होगा।

(5) राज्य गंगा समिति को पैरा समिति को अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्देश देने का अधिकार होगा।

(6) राज्य गंगा समिति के अधिकार और कार्य अधिनियम, के प्रावधानों के अनुरूप न होते पर, किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के तहत राज्य सरकार को सौंपे गए किसी अधिकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होंगे।

25. जिला गंगा समितियों की योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन की निगरानी- प्रत्येक विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अपनी सभी जिला गंगा सुरक्षा समितियों तथा अन्य प्राधिकारियों की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी करेगी और तत्संबंधी प्रगति रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपेगी।

26. सभी जिला गंगा समितियों की समेकित रिपोर्टें तैयार करना और तत्संबंधी सुधारात्मक उपाय करना--- (i) प्रत्येक राज्य गंगा समिति सभी जिला गंगा सुरक्षा समितियों, स्थानीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकरणों अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक तिमाही की समेकित रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सीमा में आने वाले प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले का उल्लेख होगा।

(क) उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की स्थिति और उनके द्वारा किए गए उपाय तथा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की दशा के विषय में कोई अन्य कार्य;

(ख) प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता तथा तत्संबंधी सुधारात्मक कार्रवाई;

(ग) प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी में प्रवाह में कोई अवरोध तथा तत्संबंधी कारण;

(घ) जिला गंगा समिति अथवा स्थानीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकारियों को की गई शिकायतों के समाधान के लिए किए गए उपाय;

(ङ) प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले में गंगा सुरक्षा लेखापरीक्षा द्वारा की गई कोई प्रतिकूल रिपोर्ट;

(च) गंगा नदी उसकी सहायक नदियों की दशा के संबंध में कोई अन्य सूचना।

(2) उप-पैरा (1) में उल्लिखित रिपोर्ट तत्संबंधी सुधारात्मक उपायों सहित वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपी जाएगी।

27. गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा का आयोजन और राज्य समितियों द्वारा ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना--- (1) राज्य गंगा समितियों का यह कर्तव्य होगा कि वे जिला गंगा सुरक्षा समितियों द्वारा गंगा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तत्संबंधी की गई सुधारात्मक कार्रवाई सहित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को प्रस्तुत करें तथा उसे सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध भी कराएं और अपनी वेबसाइट पर भी दर्शाएं।

(2) गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा में ये विवरण शामिल किए जाएंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट अंतरालों (इस आदेश में उल्लिखित अन्यथा सुरक्षित) पर यथा निर्धारित ढंग से लेखा परीक्षा की जाएगी।

28. राज्य गंगा समिति का नोडल अभिकरण होना--- राज्य गंगा समिति, राज्य में इस आदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण के प्रभावी निवारण तथा नदी का संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए राज्य व्यापी नोडल अभिकरण होगी।

29. राष्ट्रीय गंगा परिषद तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निर्देश राज्य गंगा समिति पर बाध्यकारी होंगे--- प्रत्येक राज्य गंगा समिति इस आदेश के प्रावधानों को अनदेखा करने के पूर्वग्रह के बिना इस आदेश के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग अथवा कार्यों का निष्पादन करते समय वह ऐसे निर्णयों अथवा निर्देशों (तकनीकी और प्रशासनिक मामलों से संबंधित होने वाले निर्देशों सहित) जो राष्ट्रीय परिषद तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन समय-समय पर गंगा नदी में प्रदूषण निवारण तथा उसके संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए उसे लिखित में दिए जाएं, का पालन करेगी।

30. राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरणों और राज्य कार्यकारी समितियों का विघटन--- (1) राज्य गंगा समितियों के गठन की तारीख से, इस आदेश के लागू होने से पहले गठित संबंधित गठित संबंधित राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरणों के साथ-साथ राज्य कार्यकारी समितियों को विघटित हो गया माना जाएगा।

(2) ऐसे विघटन से पहले, उप-पैराग्राफ (1) के अंतर्गत प्राधिकरणों और समितियों द्वारा किए गए अथवा हटा दिए जाने वाले सभी कार्यों अथवा की गई कार्रवाई अथवा खर्च की गई राशि अथवा खर्च के लिए प्राधिकृत राशि को निष्पादन कर लिया माना जाएगा अथवा इस आदेश के संगत प्रावधानों के तहत ले लिया गया माना जाएगा।

31. एक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन- (1) इस आदेश के लागू होने के तारीखसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अधिनियम के उद्देश्य से और इस आदेश तथा अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों अथवा जारी किए गए निर्देशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यों का निष्पादन के करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत इसी नाम से गठित एक प्राधिकरण होगा।

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का संघटन पैरा 35 में दिए गए अनुसार होगा।

32. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रचालन का क्षेत्र- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रचालन का क्षेत्र पैराग्राफ 2 में रूपरेखा दिया गया क्षेत्र होगा।

33. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नोडल एजेंसी होगा --- इस आदेश के प्रावधानों के राष्ट्र व्यापी कार्यान्वयन तथा प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और गंगा नदी तथा उसकी उप-नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एक नोडल एजेंसी होगा।

34. एक अधिकार प्राप्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन दो स्तरीय प्रबंधन के साथ एक अधिकार प्राप्त संगठन होगा जिसके पास इस आदेश में त्रिनिर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रशासनिक, मूल्यांकन एवं अनुमोदन की शक्तियां होंगी और कर्तव्य कार्य तथा शक्तियां होंगी।

35. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का संघटन:- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन टू-टीयर निगरानी संरचना होगी और इसमें गर्वनिंग परिषद और कार्यकारी समितियां शामिल होंगी

(1) गर्वनिंग परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे नामतः:

(क)	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महा निदेशक	अध्यक्ष पदेन
(ख)	संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य पदेन
(ग)	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य पदेन
(घ)	संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य पदेन
(ङ)	संयुक्त सचिव, व्यय विभाग	सदस्य पदेन
(च)	नीति आयोग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से कम कम न हो)	सदस्य पदेन
(छ)	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य पदेन
(ज)	प्रधान सचिव, शहरी विकास, बिहार सरकार	सदस्य पदेन
(झ)	प्रधान सचिव, शहरी विकास, झारखंड सरकार	सदस्य पदेन
(ञ)	प्रधान सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य पदेन
(ट)	प्रधान सचिव, पेयजल, उत्तराखंड सरकार	सदस्य पदेन
(ठ)	प्रधान सचिव, शहरी विकास, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य पदेन
(ड)	ऐक्जीक्यूटिव ऑफिसर (डिप्टी डीजी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य पदेन
(ढ)	ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (तकनीकी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य पदेन
(ण)	ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (वित्त), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य पदेन
(त)	ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (परियोजना), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य पदेन
(थ)	ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (प्रशासन), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य-सचिव

(2) गर्वनिंग परिषद में से गठित की गई कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे नामतः-

(क) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन-अध्यक्ष पदेन

(ख) संयुक्त सचिव, व्यय विभाग-सदस्य पदेन

- (ग) नीति आयोग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर का) -सदस्य पदेन
- (घ) संबंधित राज्य (राज्यों) के प्रधान सचिव-सदस्य पदेन
- (ङ) ऐकजीक्यूटिव अधिकारी (डिप्टी डीजी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन - सदस्य पदेन
- (च) ऐकजीक्यूटिव डायरेक्टर (वित्त) -सदस्य पदेन
- (छ) ऐकजीक्यूटिव डायरेक्टर (तकनीकी) -सदस्य पदेन
- (ज) ऐकजीक्यूटिव डायरेक्टर (परियोजनाएं) -सदस्य पदेन

(3) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यदि आवश्यक समझते हैं तो कार्यकारी समिति, गर्वनिंग परिषद के अन्य कोई सदस्य के साथ काम कर सकते हैं।

(4) गर्वनिंग परिषद अपने सदस्यों में से एक उप-समिति का गठन कर सकती है और परियोजना के मूल्यांकन हेतु कुछ तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भी कार्य कर सकते हैं।

(5) संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि उप-समितियों के सदस्य होंगे।

(6) गर्वनिंग काउंसिल के पास आधे सदस्यों का कोरम होना चाहिए।

36. (1) 1000 करोड़ रुपये तक के सभी अनुमोदन ईसी में निहित होंगे। इसके बदले में ईसी तीन महीने में कम से कम एक बार जीसी को रिपोर्ट करेंगे।

(2) तकनीकी विशेषज्ञों/या मान्यता प्राप्त संस्थाना या भारतीय तकनीकी संस्थानों के कंसॉर्टियम द्वारा परियोजना के तृतीय पक्ष मूल्यांकन के पूर्ण होने के पश्चात जीसी की उप समिति परियोजना का मूल्यांकन करेगी।

(3) तृतीय पक्ष, तकनीकी मूल्यांकन उनके मूल्य को ध्यान में न रखते हुए सभी परियोजनाओं के लिए होगा।

37. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक और कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति

(1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी। महानिदेशक का पद भारत सरकार के अपर सचिव अथवा सचिव के समकक्ष होगा। नियुक्ति की शर्तें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(2) कार्यकारी निदेशक, वित्त की नियुक्ति निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार की संगठित लेखा सेवाओं के अधिकारियों में से की जाएगी जिसका पद भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष होगा।

(3) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में प्रशासन और परियोजनाओं के लिए अलग-अलग कार्यकारी निदेशक का कम से कम एक पद होगा जिसका ओहदा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष।

(4) कार्यकारी निदेशकों में से एक को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को उप महानिदेशक के रूप में पदनामित किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।

(5) कार्यकारी समिति को कोई भी मनोनीत सदस्य का स्तर भारत सरकार के संयुक्त सचिव की श्रेणी से कम नहीं होगा।

38. (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कर्तव्य : राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-

(i) इस आदेश के पैराग्राफ 5 में दिए गए सिद्धांतों और उसमें दिए गए प्रावधानों का अनुसरण करना,

(ii) राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णयों और निदेशों का अनुपालन करना और इसके द्वारा अनुमोदित गंगा बेसिन प्रबंधन योजना का राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्देशानुसार कार्यान्वयन करना,

(iii) समयबद्ध तरीके से नदी गंगा परिषद के पुनरूद्धार और संरक्षण के लिए सभी कार्यकलापों को समन्वित करना।

(iv) सभी अन्य कार्य करना अथवा कुछ कार्यों को नहीं करना जो गंगा नदी और इसकी उप नदियों के पुनरूद्धार और संरक्षण के लिए आवश्यक हों।

39. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्य..... (1) इस आदेश के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन निम्नलिखित की पहचान करेगी अथवा पहचान का कारण बनेगी।

(क) सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट, शवों को जलाने और गाड़ने तथा पशुओं के अवशेषों के निपटान और वाणिज्यिक, मनोरंजन और धार्मिक कार्यकलापों से खतरे सहित गंगा और उसकी उप नदियों के पास जिले के प्रत्येक गांव और कस्बे में गंगा नदी के लिए विशिष्ट खतरे।

(ख) गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के पास ऐसे सभी जिलों के प्रत्येक गांव और कस्बे में प्रत्येक गांव में ऐसे खतरों का सामना करने के लिए अपेक्षित उपायों के प्रकार।

(ग) वे विशिष्ट क्षेत्र जहां गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण और संरक्षा के लिए ऐसे उपचारात्मक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

(घ) वे उपाय, जो शोधित जल के पुनः उपयोग के लिए आवश्यक होंगे तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों जैसे रेलवे, पाँवर और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि राज्य सरकारों, केन्द्र और राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों, मान्यता प्राप्त संस्थानों और सभी अन्य संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन करना, जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन सही समझे।

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के पास ऐसे विनिर्दिष्ट जिलों के प्रत्येक गांव और कस्बे में गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण और संरक्षा के लिए अन्य वस्तुओं में लागत, समयबद्धता और उत्तरदायित्वों के आवंटन के साथ गंगा नदी विसिन प्रबंधन योजना बनाएगा अथवा बनाने का कारण, बनेगा और इसके लिए परियोजनाओं का कार्यान्वयन करेगा।

(3) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन निम्नलिखित कार्य करेगा :-

(क) जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण रूप से स्थायी संरक्षण, गंगा नदी और उसकी उप-नदियों का संरक्षण और प्रबंधन और इसे अधिसूचित करना तथा पर्याप्त पारिस्थितिकीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी उपायों को लेने अथवा निर्देशित करने के लिए सभी समयों पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बिंदुओं पर रखे जाने के लिए अपेक्षित गंगा नदी और उसकी उप-नदियों में पारिस्थितिकीय प्रवाह और परिणाम के निर्धारण का कारण बनेगा।

(ख) ऐसे स्थानों को पहचानने का कारण बनना; जहां गंगा नदी के जल के पर्यावरणीय प्रवाह को आशोधित किया गया है तथा इसके सुधार के लिए उपाय करना ताकि गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के लिए जल के सतत प्रवाह को बनाए रखा जा सके।

(ग) जल के इंजीनियर्ड डाइवर्जन अथवा जल के भंडारण अथवा किसी अन्य साधन के कारण गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में जल के अंतराल के स्थान पहचानना और इनके संबंध में योजनाएं लागू करना अथवा इसके लिए उपचारात्मक कार्रवाई करना।

(घ) गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में जल के प्रवाह और प्रदूषण के स्तर की लगातार निगरानी करने के लिए एक प्रणाली तैयार करना।

(ङ) ऐसे सभी उपाय करना, जो राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक हों ताकि गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में पर्याप्त पारिस्थितिकीय प्रवाह बनाये रखा जा सके।

(च) राज्य सरकारों, विशिष्ट राज्य गंगा समितियों, विनिर्दिष्ट जिला गंगा समितियों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा किसी व्यक्ति अथवा निकाय, किसी प्राधिकरण, बोर्ड या निगम को प्रदूषण के उपशमन और संरक्षण गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने अथवा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी एजेंसी द्वारा सहायता प्रदान करना अथवा सहायता का कारण बनना।

(छ) प्रदूषण के उपशमन तथा गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के संबंध में ज्ञान आधार तथा विश्लेषणात्मक उपकरणों के शोध, विकास और प्रसार के लिए एक या अधिक मौजूदा केंद्रों की स्थापना करना या स्थापना को सुकर बनाना अथवा नामोद्दिष्ट और निर्देशित करना।

(ज) कोई अन्य उपाय करना, जो जल के सतत प्रवाह और गंगा और इसकी उप-नदियों में प्रदूषण के उपशमन के लिए आवश्यक हो।

(4) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पैराग्राफ 7 में बताए गए सभी ऐसे अन्य आपात उपाय करेगा।

40. गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के किनारे किसी उपयुक्त स्थान पर गंगा नदी मॉनीटरिंग केन्द्र की स्थापना----- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी बेसिन से स्थानों को पहचानेगा अथवा ऐसे स्थानों पर स्थापना करेगा अथवा किसी मौजूदा प्रयोगशाला अथवा केन्द्र अथवा संस्थान को केन्द्र के रूप में नामोद्दिष्ट करेगा जिसे 'रिवर गंगा मॉनीटरिंग सेंटर' कहा जाएगा, जो अन्य बातों में इस आदेश के अंतर्गत यथापेक्षित जल के लगातार प्रवाह और प्रदूषण के स्तर को मॉनीटर करेंगे और वहां उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को तुरंत रिपोर्ट करेंगे।

41. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शक्तियां----- (1) राष्ट्रीय गंगा परिषद के पर्यवेक्षण और निदेश के अंतर्गत गंगा नदी और उसकी उप-नदियों के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के कार्य को सुकर बनाने की भूमिका, उत्तरदायित्व और शक्तियों से युक्त राष्ट्रीय एजेंसी होने के कारण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद अथवा केन्द्र सरकार को सिफारिश करेगा अथवा स्वयं ही राज्य गंगा समितियों अथवा जिला गंगा समितियों अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण अथवा किसी व्यक्ति संस्था, समूह अथवा एजेंसी को अपने निर्णयानुसार निदेश जारी करेगा तथा इसके पास ऐसे सभी उपाय करने और कार्य करने की शक्तियां होंगी, जो यह गंगा नदी तथा इसकी उप-नदियों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निषेध, नियंत्रण और उपशमन के लिए आवश्यक अथवा उचित समझें, जिनसे गंगा नदी को इसकी प्राकृतिक तथा पुरातन स्थिति तक संरक्षित किया जा सके तथा गंगा नदी तथा इससे संबंधित मामलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए गंगा नदी में जल के सतत तथा पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके।

2. विशेष रूप से तथा उप-पैराग्राफ 1 के प्रावधानों की सामान्यतया के पूर्वाग्रह के विना तथा इस आदेश में यथा अन्यथा उपबंधित ऐसे निदेश गंगा नदी के प्रबंधन के सभी अथवा किसी मामले को शामिल कर सकती है, नामतः-

(क) पैराग्राफ 4 में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार में इस आदेश के पैराग्राफ 55 में उल्लिखित कार्यों को पूरा करना;

(ख) केन्द्र सरकार के अनुमोदन से प्रदूषण के उपशमन तथा गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति बनाना।

(ग) गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में संरक्षण, संरक्षा, प्रदूषण के निषेध, नियंत्रण और उपशमन के लिए गंगा बेसिन प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन से किसी देश अथवा विदेशी एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन करना।

(घ) आशोधनों के साथ अथवा उसके बिना नदी गंगा बेसिन प्रबंधन योजना को अनुमोदित करना और सीधे संशोधन, यदि कोई हो, उस पर करना;

(ङ.) प्रगति रिपोर्ट का पर्यवेक्षण करना, समीक्षा करना और राज्य गंगा समितियों, जिला गंगा संरक्षण समितियों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों को बुनियादी प्रबंधन योजना और गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के मामलों से संबंधित किसी अन्य मामले पर निर्देश जारी करना।

(च) सीवरेज के बढ़ने और बहिस्त्राव शोधन अवसंरचना, आवाह क्षेत्र उपचार, बाढ़ मैदानों के संरक्षण, जन-जागरूकता सृजन करना, जलीय और राइपेरियन जीवन और जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरणीय रूप से स्थायी नदी संरक्षण के संवर्धन के लिए ऐसे अन्य उपायों सहित गंगा नदी में प्रदूषण के उपशमन के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन अनुमोदित करना।

(छ) प्रदूषण के निषेध, नियंत्रण और उपशमन तथा गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों के कार्यान्वयन का समन्वय, मॉनीटरिंग और समीक्षा करना।

(ज) नदी की पारिस्थितिकी को पुनः बहाल करने और नदी गंगा बेसिन राज्यों के प्रबंधन से संगत उपायों को करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण को निर्देश देना।

(झ) स्पेशल पर्पज वेहिकल के सृजन के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करना (चाहे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के अधीन एक न्यास के रूप में) जैसाकि इस आदेश अथवा उक्त आदेश के प्रयोजन के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त हो।

(ञ) प्रदूषण के प्रभावी निषेध, नियंत्रण और उपशमन, गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में संरक्षण और संरक्षा और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए नीति और कार्य के बेहतर समन्वय के लिए ऐसे उपाय करना, जिसे आवश्यक समझा जाए।

(ट) परियोजनाओं के उपयुक्त तथा शीघ्र कार्यान्वयन के लिए किसी संगत व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को ऐसे निदेश जारी करना अथवा ऐसी परियोजनाओं को निरस्त करना अथवा निधियों के जारी रखने को रोकना अथवा पहले से जारी की गई धनराशि को सीधे रिफंड करना और किसी अन्य व्यक्ति अथवा बोर्ड अथवा कॉरपोरेशन को इसे शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सौंपना।

(ठ) पहले से जारी किसी भी कानून के प्रति पूर्वाग्रह रखे बिना लेखों या अन्य दस्तावेजों के रख-रखाव से किसी संबंधित या प्राधिकरण को निर्देश देना जैसा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ड) ऐसे अन्य उपाय करना जो कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण के बचाव, नियंत्रण और उपशमन की उपलब्धि, संरक्षण और निवारण और प्रबंधन के लिए आवश्यक है;

(3) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को मुद्दों पर निर्देशों को जारी करने की शक्ति होगी जोकि अधिनियम की धारा 5 में निर्धारित किए गए हैं।

(4) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपने निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु तथा राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णयों के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार करे।

(42) कतिपय मामलों में पूर्व अनुमोदन देना--- प्रत्येक व्यक्ति राज्य गंगा समितियां, जिला गंगा संरक्षण समितियां और स्थानीय प्राधिकरण तथा अन्य प्राधिकारी गंगा नदी से संबंधित तथा गंगा नदी या इसकी सहायक नदियों के दायरे में आने वाले क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर, यदि राष्ट्रीय गंगा नदी के निर्णयों को कार्यान्वित करना अपेक्षित है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। नामतः-

(क) गंगा नदी के डाउन स्ट्रीम जल के प्रवाह को प्रभावित किए बिना गंगा नदी में जल के भण्डारण के डाइवर्जन की प्रणाली;

(ख) गंगा नदी या नदी के तट पर या इसके बाढ़ योजना क्षेत्रों पर पुलों और सहायक सड़कों तथा तटों का निर्माण;

(ग) घाटों का निर्माण अथवा किसी भी मौजूदा घाट का विस्तार;

(घ) घाटों का निर्माण;

(ड.) जल के संग्रह अथवा डाइवर्जन या नियंत्रण के लिए स्थायी जलीय संरचनाओं का निर्माण अथवा गंगा नदी अथवा इसकी सहायक नदियों का चैनलीकरण;

(च) पहाड़ी ढलानों और अधिसूचित वन तथा अन्य पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदी क्षेत्रों का वन कटाव;

(छ) कोई अन्य कार्यकलाप जो कि पैराग्राफ 4 में सिद्धांतों के विपरीत निर्धारित किए गए हैं उन्हें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

43. वित्तीय ढांचा ---- (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा वजटीय आवंटन अपने कार्यों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने से संबंधित व्यय तथा स्थापना व्यय को वहन करने हेतु उपयोग किया जाएगा। इसके लिए शर्त यह है कि अनुदान, ऋण और उधार के रूप में प्राप्त धन उन्हीं में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए वहन किया जाएगा जिनके लिए यह अनुदान, ऋण और उधार प्राप्त हुआ है।

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन लेखों तथा अन्य संबद्ध रिकार्डों का उपयुक्त रूप से रख-रखाव रखेगा और वार्षिक व्यय विवरण तैयार करेगा।

(3) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लेखों की सांविधिक लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी और वार्षिक लेखा परीक्षा पूरी होने के पश्चात लेखा परीक्षा एजेंसी वार्षिक लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र भेजेगी।

(4) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्य केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नियंत्रण में हैं और सतर्कता संबंधी मामलों की देख रेख के लिए एक सतर्कता अधिकारी होगा।

(5) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक व्यय विवरण प्रति वर्ष अधिकार प्राप्त कार्यवल को भेजा जायेगा और केन्द्र सरकार इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेगी।

44. कानून विशेषज्ञों को कार्य पर लगाना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पास एक उपयुक्त विधायी व्यवस्था होगी जिसके लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कानूनी विशेषज्ञ परामर्शदाता और विधायी फर्म की सेवाएं लेगी जो कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को विधायी मामलों पर सलाह देने के लिए तथा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सहयोग प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

45. रिपोर्टों की समीक्षा इसके कार्यकलापों से संबंधित सभी रिपोर्टें तथा राज्य गंगा समिति, जिला गंगा समिति या स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त रिपोर्टों की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा समीक्षा की जायेगी और इन रिपोर्टों में बताए गए मामलों पर अपने विचारों के साथ यह रिपोर्ट राष्ट्रीय गंगा परिषद के सम्मुख दिशा-निर्देश हेतु प्रस्तुत की जायेगी, यदि ऐसा आवश्यक है।

46. गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा रिपोर्टों का समेकन ----- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी की गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा की समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे राष्ट्रीय गंगा परिषद को उन पर उपचारात्मक कार्रवाई के साथ प्रस्तुत करेगा तथा इसे सार्वजनिक क्षेत्र में भी उपलब्ध कराया जायेगा और इसे वेबसाइट पर दर्शाया जायेगा।

47. सूचना, निरीक्षण आयोजित करने, रिपोर्टें प्रकाशित करने इत्यादि के संबंध में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शक्तियां ---  
---- (1) जहां राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अधिनियम की धारा 5 के तहत इसे आवश्यक समझें उसे वह लिखित में आदेश देकर यह कह सकता है-----

(ए) किसी भी राज्य गंगा समितियों, जिला गंगा संरक्षण समितियों या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या व्यक्ति जिसे भी किसी भी परियोजना के कार्यनिष्पादन या ऐसी परियोजना से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया है या किसी भी समय निधियों के उपयोग के बारे में सूचना या परियोजना के कार्य निष्पादन के लिए आवंटित ऐसी परियोजना से संबंधित स्पष्टीकरण या कार्यनिष्पादन या आवंटित निधि के उपयोग के बारे में सूचना को लिखित में या सार्वजनिक रूप से प्रचार-प्रसार करने हेतु पूछा जा सकता है जैसा भी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपेक्षित समझे; अथवा

(बी) एक या एक से अधिक व्यक्ति या किसी प्राधिकरण को नियुक्त करना जो कार्य करने अथवा कार्यनिष्पादन के लिए आवंटित परियोजना तथा आवंटित निधि के उपयोग के संबंध में पूछताछ कर सके।

(सी) अपने किसी भी अधिकारी या कर्मचारी अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी आवंटित परियोजना के कार्यकरण अथवा कार्यनिष्पादन अथवा निधि के उपयोग के संबंध में राज्य गंगा समितियों, जिला गंगा संरक्षण समितियों अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा संबंधित व्यक्ति से उनके लेखों और अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु निर्देश देना।

(डी) ऐसा कोई व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार या प्राधिकरण अपेक्षित है जो इसे संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट, रिटर्न, सांख्यिकी और अन्य सूचना भेजे और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण को यह कार्य करना वाध्य होगा।

48. वित्त पोषण और कार्यान्वयन मॉडल - (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का विकास होगा और यह निरंतर अपने वित्तीय मॉडलों को संशोधित करेगा जिससे परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन और सततता में सुधार होगा और जिसे प्रदूषण के उपशमन और गंगा नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए राज्य गंगा समितियों, जिला गंगा संरक्षण समितियों अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा व्यक्ति द्वारा अपनाया जा सकता है।

49. समेकित रिपोर्टों को तैयार करना --- (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समितियों, विनिर्दिष्ट जिला गंगा समितियों, स्थानीय प्राधिकरणों, अन्य प्राधिकरण, बोर्ड, निगम अथवा व्यक्ति द्वारा भेजी गयी रिपोर्टों और अन्य सूचना के आधार पर एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें प्रत्येक जिले के द्वारा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के आस-पास के क्षेत्रों के संबंध में सूचना दी जायेगी।

(ए) उनके द्वारा कार्यनिष्पादित की जा रही योजनाओं की स्थिति और उनके द्वारा किए गए उपाय तथा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की स्थिति से संबंधित अन्य कार्यकलाप की स्थिति;

(बी) गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में जल की गुणवत्ता और इस संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई;

(सी) गंगा नदी में जल की किसी भी रूप में रूकावट और उसके कारण;

(डी) विनिर्दिष्ट जिले में नदी तट और वाढ़ मैदान और आवास की स्थिति;

(अ) जिला गंगा समिति या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जनता से प्राप्त शिकायतों पर किए गए उपचारात्मक उपाय;

(एफ) प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई के साथ आने वाले शेष बाधाओं का पता लगाना;

(जी) रिपोर्ट यदि कोई है, जैसा कि गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा सूचित किया गया है;

(एच) गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की दशा के बारे में संबंधित अन्य सभी सूचना;

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उपपैराग्राफ -1 में उल्लिखित समेकित रिपोर्ट की समीक्षा करने के पश्चात कार्यबल को उपचारात्मक कार्रवाई के साथ उसे प्रस्तुत करेगा।

50. वार्षिक रिपोर्ट----- (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अगले वर्ष से तुरंत पहले अपने द्वारा और गंगा नदी के संबंध में अधिकार प्राप्त कार्यबल, विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समितियों, विनिर्दिष्ट जिला गंगा संरक्षण समितियों, संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी कार्यों की समेकित वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के अंत के 3 माह में तैयार करेगा।

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपने द्वारा किए गए तथा गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल, राज्य सरकारों, विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समितियों, विनिर्दिष्ट जिला गंगा संरक्षण समितियों, संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी कार्यों उपपैरा-1 में उल्लिखित इसकी समेकित वार्षिक रिपोर्ट में अलग-अलग भागों के तहत शामिल करेगी और इस समेकित वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रीय गंगा परिषद और केन्द्रीय सरकार को प्रेषित करेगी तथा इसे सार्वजनिक क्षेत्र में भी उपलब्ध कराया जायेगा। इसे वेबसाइट पर भी दर्शाया जायेगा।

51. समितियों का गठन - राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपने सदस्यों में से एक या ज्यादा गंगा नदी प्रबंधन समितियां बनाना और नदियों अथवा जल के क्षेत्र में ऐसे विशेषज्ञ इस आदेश के तहत अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

52. मार्गदर्शन प्राप्त करना- राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णयों अथवा इस आदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन में यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय गंगा परिषद का मार्ग दर्शन प्राप्त करें और तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई करें।

53. जिला गंगा संरक्षण समितियों का गठन ---(1) केन्द्र सरकार गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए इस आदेश के प्रारम्भ से एक निश्चित समय के भीतर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति के परामर्श से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा ऐसे अन्य राज्यों में, जहां गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, प्रत्येक जिले में (इस आदेश में इसके बाद विनिर्दिष्ट जिला कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा(3) के अंतर्गत "जिला गंगा संरक्षण समितियों" के नाम से एक प्राधिकरण का गठन करेगी।

(2) प्रत्येक विनिर्दिष्ट गंगा जिले में प्रत्येक जिला गंगा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः --	
(ए) विनिर्दिष्ट जिले में जिला कलेक्टर।	अध्यक्ष, पदेन
(बी) विनिर्दिष्ट जिले नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों से राज्य सरकार द्वारा नामित दो से अधिक प्रतिनिधि सदस्य	
(सी) राष्ट्रीय नदी गंगा के साथ लगने वाले विनिर्दिष्ट जिले में कार्यरत लोक निर्माण, सिंचाई, जन स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और ग्रामीण पेयजल विभाग, और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रत्येक का एक प्रतिनिधि जो जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जाएगा। सदस्य, पदेन	
(डी) विनिर्दिष्ट जिले में जिला कलेक्टर द्वारा नामित गंगा संरक्षण कार्यकलापों से संबद्ध दो पर्यावरणविद और स्थानीय उद्योग संघ का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
(ई) विनिर्दिष्ट जिले का एक डिविजनल वन अधिकारी।	सदस्य, पदेन
(एफ) एक जिला अधिकारी जिसे जिला कलेक्टर लिए नामित करे।	सदस्य

(2) जिला कलेक्टर जिला गंगा समिति के अध्यक्ष होंगे और डिविजनल वन अधिकारी जिला गंगा समिति के संयोजक होंगे।

(3) जिला गंगा समितियों की बैठक का समय और स्थान का निर्धारण उस समिति के अध्यक्ष करेंगे और इस आदेश के तहत प्रदत्त की गई शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेंगे।

बशर्ते कि जिला गंगा समिति की कम से कम एक बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाएगी।

(4) कोई गैर पदेन सदस्य सरकार को अथवा संबंधित जिला कलेक्टर के, जैसा भी मामला हो, लिखित नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और सरकार द्वारा अथवा जिला कलेक्टर द्वारा, जैसा भी मामला हो, उसका त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के बाद सदस्य नहीं रहेगा।

54. जिला गंगा संरक्षण समिति का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण – जिला गंगा संरक्षण समिति के प्रबंधन (वित्तीय और प्रशासनिक मामलों सहित) प्रबंधन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण इस आदेश में किसी बात के होते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में विहित होगा, जो इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अथवा इसके किसी अधिकारी अथवा इसके द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य किसी प्राधिकारी के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा।

55. जिला समितियों के कार्य और शक्तियां- (1) प्रत्येक जिला गंगा समिति पैराग्राफ चार में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार पैराग्राफ छः और सात में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण, मरम्मत और पुनर्वासन के लिए कार्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(2) विशेष रूप से गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के साथ लगने वाले डिग्रेडेड क्षेत्रों के पुनरुद्धार, संरक्षण, मरम्मत और पुनर्वासन के लिए उप-पैराग्राफ 1 के सामान्य प्रावधानों के अलावा और इस आदेश और अधिनियम के अन्य प्रावधानों तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन प्रत्येक गंगा समिति को विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के संबंध में निम्नलिखित शक्तियां और अधिकार प्राप्त होंगे नामतः:-

(ए) गंगा नदी अथवा इसकी सहायक नदियों अथवा रिवर वेड के संरक्षण के लिए गंगा नदी के साथ लगने वाले विनिर्दिष्ट जिले के क्षेत्रों में संभावित खतरों की पहचान करना और उसके संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की योजना बनाना और कार्रवाई करना।

(बी) विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों अथवा इसके रिवर वेड के संरक्षण के लिए अपनी ओर से सुधारात्मक कार्रवाई करना (इस आदेश के प्रावधानों को छोड़कर)।

(सी) उपचारात्मक कार्रवाई करने की स्थिति में सक्षम न होने पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और संबंधित राज्य सरकार, गंगा राज्य समिति, जैसा भी मामला हो, को गंगा नदी के बचाव के लिए निर्देश जारी करने हेतु रिपोर्टिंग (इलेक्ट्रॉनिक और लिखित में हार्ड कापी भेजकर) और उपयुक्त प्रबंधन अथवा उपचारात्मक कार्रवाई तैयार करना।

(डी) इस आदेश के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक और अन्य उपाय करना ताकि इस आदेश के प्रावधानों से अलग न होते हुए या किसी भी कानून को कुछ समय के लिए लागू करने की वजाए गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोका जा सके।

(3) यदि जिला गंगा संरक्षण समिति का यह मत है कि इस अधिनियम के तहत विसंगतियां की गयी हैं या कोई अन्य कानून कुछ समय के लिए लागू किया जा रहा है या इस आदेश के प्रावधानों से अलग है तो इसे कुछ समय के लिए कानून के अनुरूप करके उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

(4) जिला गंगा संरक्षण समिति पैराग्राफ 7 में विनिर्दिष्ट ऐसे सभी आपातकालीन उपाय करेगी।

56. नोडल अधिकारी का पदनाम----- (1) प्रत्येक जिला गंगा समिति निम्नलिखित को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगी--

(ए) गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में प्रत्येक गांव के ग्राम सभा के सरपंच

(बी) ऐसे मामले में जो गांव गंगा नदी से सटे हुए नहीं हैं, नगरपालिका योजना समिति या महानगर योजना समिति के अध्यक्ष या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आदेश के प्रयोजनों हेतु, जिला गंगा संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जा सकता है।

(2) प्रत्येक नोडल अधिकारी जो उप-पैराग्राफ के तहत मनोनीत हुआ है (1) गंगा नदी की और उसकी सहायिकाओं में प्रदूषण को रोकने हेतु कदम उठा सकते और स्वयं गंगा नदी और उसकी सहायिकाओं के संरक्षण हेतु उपचारात्मक उपाय कर सकते या उनके नदी तटों जो ऐसे गांवों के साथ सटे हुए हैं या अन्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, जिसके लिए वह नोडल अधिकारी है और यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे इस आदेश की अवहेलना को उपचारात्मक कार्रवाई हेतु जिला गंगा समिति के अध्यक्ष के ध्यान में ला सकते हैं।

(3) उप-पैराग्राफ (2) के तहत रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् जिला गंगा समिति का अध्यक्ष गंगा नदी या इसके नदी तटों से सटे विनिर्दिष्ट जिलों के संरक्षण हेतु उपचारात्मक कदम उठा सकते हैं।

57. योजनाओं की तैयारी--- (1) प्रत्येक जिला गंगा संरक्षण समिति गंगा नदी और उसकी सहायिकाओं और उनके नदी तटों से सटे विनिर्दिष्ट जिलों के संरक्षण हेतु अपनी आयोजना की तैयारी करेगा और उक्त को उसके बाद एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-पैराग्राफ (1) के तहत योजना में विनिर्दिष्ट जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा गंगा नदी और उसकी सहायिकाओं और उनके नदी तटों से सटे विनिर्दिष्ट जिलों से पर्यावरणीय प्रदूषण से संरक्षण, नियंत्रण और उसे हटाने हेतु उठाए गए कार्यकलाप शामिल होंगे, जिसे राज्य सरकार, राज्य गंगा समितियों या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या कोई अन्य प्राधिकरण या बोर्ड और ऐसी योजना हेतु शामिल व्यय संस्तुत किया जा सकता है और समय जिसमें ऐसे कार्यकलापों को पूर्ण किया जाएगा।

(58) बजट की तैयारी और लेखों का रखरखाव--- प्रत्येक जिला गंगा संरक्षण समिति प्रत्येक वित्त वर्ष में अपेक्षित फंडों को और उन उद्देश्यों जिसके लिए फंड खर्च किया जाएगा, और समय सीमा जिसके भीतर बजट में उल्लेख किए गए कार्यक्रमलाप को पूरा किया जाएगा को दर्शाते हुए अपने बजट को तैयार करेगी और संबंधित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सूचना देते हुए संबंधित राज्य गंगा समिति को प्रस्तुत करेगी और यह समिति, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा अथवा सीएजी द्वारा नियुक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा लेखा परीक्षा के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा निर्धारित लेखों का उपयुक्त रखरखाव सुनिश्चित करेगी और यह लेखे राष्ट्रीय गंगा परिषद, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन राज्य गंगा समिति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी संस्था द्वारा निरीक्षण के शर्ताधीन होंगे।

(59) मासिक और वार्षिक रिपोर्टें--- (1) प्रत्येक गंगा संरक्षण समिति, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राज्य समितियों जैसा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्धारित किया गया है, राष्ट्रीय गंगा परिषद को मासिक और वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी।

(2) उप पैरा (1) में उल्लेख की गई वार्षिक रिपोर्ट के अतिरिक्त जिला गंगा संरक्षण समिति राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को ऐसे समय और ऐसे फॉर्म और तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिससे विनिर्दिष्ट जिले में उसके आसपास के क्षेत्र में गंगा नदी बेसिन योजना हेतु अन्य रिटर्न, विवरण और कोई प्रस्तावित या मौजूदा कार्यक्रम के संबंध में अन्य ब्यौरे हेतु निर्देश दें।

60. बजट आवंटन--- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन बजट आवश्यकता को समेकित और तैयार कर सकता है और उक्त जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत कर सकता है।

61. केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश--- इस आदेश में दी गई किसी भी बात के बावजूद, केंद्रीय सरकार के लिए यह विधिपूर्ण हो कि वे मंत्रालय या भारत सरकार के विभागों या राज्य सरकारों तथा राज्य गंगा समितियों, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या जिला गंगा समितियों या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण तथा सांविधिक निकायों या उनके अधिकारी या कर्मचारी, जैसा भी मामला हो लिखित में निर्देश जारी करे जिससे वे गंगा नदी और उसके सहायिकाओं के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन में सहायता प्रदान कर सके और ऐसा मंत्रालय या विभाग या प्राधिकरण या मिशन या बोर्ड या सरकार और सांविधिक निकाय, अधिकारी या कर्मचारी ऐसे निर्देशों के अनुपालन हेतु बाध्य होंगे।

62. अधिनियम की धारा 19 के तहत शिकायत करना--- इस आदेश के तहत गठित सभी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरणों द्वारा प्राधिकृत किए गए उनके अधिकारी कोर्ट के समक्ष उक्त धारा के अंतर्गत किसी उल्लंघन को संज्ञान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत शिकायत कर सकते हैं।

63. अन्य दायित्वों के अतिरिक्त आदेश--- इस आदेश के प्रावधान किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या कॉरपोरेशन या किसी व्यक्ति द्वारा गंगा नदी में कुशल प्रदूषण नियंत्रण और पुनरुद्धार के प्रयोजन से उपाय करने हेतु अपने कार्यों के निर्वाह में और उसके संरक्षण और प्रबंधन और अभी लागू कोई अन्य कानून में अपने कार्यों के बिना किसी पक्षपात के है।

अनुसूची

(पैराग्राफ 20 देखें)

राज्य और प्रबंधन समितियों की संरचना

क्र.सं.	विनिर्दिष्ट राज्य गंगा संरक्षण और प्रबंधन का नाम	राज्य गंगा संरक्षण और प्रबंधन समितियों की संरचना
(1)	(2)	(3)
1.	(नाम) राज्य गंगा संरक्षण और प्रबंधन समिति	(क) मुख्य सचिव, राज्य सरकार (नाम) पदेन सदस्य
		(ख) प्रधान सचिव, वित्त विभाग राज्य सरकार (नाम) सदस्य, पदेन
		(ग) प्रधान सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग, (नाम) सरकार-सदस्य, पदेन
		(घ) प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, राज्य सरकार (नाम)-सदस्य, पदेन
		(ङ) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राज्य सरकार (नाम)-सदस्य, पदेन

	(च) प्रधान सचिव, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, राज्य सरकार (नाम) सदस्य, पदेन
	(छ) अध्यक्ष (नाम) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य, पदेन
	(झ) (नाम) राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी के चीफ ऐक्जीक्यूटिव अधिकारी- सदस्य, पदेन
	(ञ) वनों के प्रधान मुख्य संरक्षक, राज्य सरकार (नाम) -सदस्य, पदेन
	(ट) सरकार (नाम) द्वारा संबंधित क्षेत्रों से पांच विशेषज्ञों से अधिक मनोनीत नहीं किए जाएंगे।-सदस्य

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी]

संजय कुंडू, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT, AND GANGA REJUVENATION  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th October, 2016

**S.O. 3187(E).**—Whereas it is necessary to constitute authorities at Central, State and District levels to take measures for prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and to ensure continuous adequate flow of water so as to rejuvenate the River Ganga to its natural and pristine condition and for matters connected therewith or incidental thereto;

And whereas the River Ganga is of unique importance ascribed to reasons that are geographical, historical, socio-cultural and economic giving it the status of a National River;

And whereas the River Ganga has been facing serious threat due to discharge of increasing quantities of sewage, trade effluents and other pollutants on account of rapid urbanisation and industrialisation;

And whereas, the demand for water of River Ganga is growing for irrigation, drinking water supplies, industrial use and hydro-power due to increase in population, urbanisation, industrialisation, infrastructural development and taking into account the need to meet competing demands;

And whereas there is an urgent need-

- (a) to ensure effective abatement of pollution and rejuvenation of the River Ganga by adopting a river basin approach to promote inter-State and inter-sectoral co-ordination for comprehensive planning and management;
- (b) to maintain ecological flows in the River Ganga with the aim of ensuring continuous flows throughout its length so as to restore its ecological integrity that enables it to self rejuvenate;
- (c) for imposing restrictions in areas abutting the River Ganga in which industries, operations or processes, or class of industries, operations or processes shall not be carried out or shall be carried out subject to certain safeguards;
- (d) to make provision for inspection of any premises, plants, equipment, machineries, manufacturing or other processes, materials or substances and giving direction to the authorities, officers and persons as may be necessary to take steps, for prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga;
- (e) for carrying out and sponsoring investigations and research relating to problems of environmental pollution in the River Ganga and examination of such manufacturing processes, material and substance as are likely to cause environmental pollution;
- (f) for collection and dissemination of information in respect of matters relating to environmental pollution in the River Ganga and preparation of manual, codes or guide relating to the prevention, control and abatement of environmental pollution;

And whereas the State Governments concerned, being equally responsible for Ganga rejuvenation, are required to co-ordinate and implement the river conservation activities at the State level, and to take steps for comprehensive management of the River Ganga in their States;

And whereas it is required to have planning, financing, monitoring and coordinating authorities for strengthening the collective efforts of the Central Government and the State Governments and authorities under this Order for effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (i), (ii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii) and (xiii) of sub-section (2) and (3) of section 3 and sections 4,5,9,10,11, 19, 20 and 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the Act) and in supersession of the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests numbers S.O.1111(E), dated the 30<sup>th</sup> September, 2009, S.O. 2493 (E), dated the 30<sup>th</sup> September, 2009, S.O. 2494 (E), dated the 30<sup>th</sup> September 2009, S.O. 2495 (E), dated the 30<sup>th</sup> September 2009, S.O. 287 (E) dated the 8<sup>th</sup> February, 2010 and in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation No. S.O. 2539 (E), dated the 29<sup>th</sup> September 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby-----

(i)constitutes the authorities by the names mentioned in this Order for the purpose of exercising and performing such of the powers and functions (including the power to issue directions under section 5 of the Act and for taking measures with respect to the matters as mentioned in this Order;

(ii)directs, subject to the supervision and control of the Central Government and the provisions of this Order, such authority or authorities as specified in this Order that shall exercise the powers or perform the functions or take the measures so mentioned in this Order as if such authorities had been empowered by the Act to exercise those powers, perform those functions, or take such measures;

(iii)directs that all its powers and functions (except the power to constitute any authority under sub-section (3) of section 3 and to make rules under the sections 6 and 25 of the Act) under any provision of the Act shall, in relation to River Ganga and matters connected therewith, be exercisable and discharged also by the authorities constituted by this Order and by the officers specified in this Order, subject to such conditions and limitations and to the extent as specified in this Order.

**1.Short title and commencement.** – (1) This Order may be called the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Applicability.**- This Order shall apply to the States comprising River Ganga Basin, namely, Himanchal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh; Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Haryana, Rajasthan, West Bengal and the National Capital Territory of Delhi and such other States, having major tributaries of the River Ganga as the National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga may decide for the purpose of effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga.

**3.Definitions.**- (1) In this Order, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) “Basin” means the entire catchment of a water body or water course including the soil, water, vegetation and other natural resources in the area and includes land, water, vegetation and other natural resources on a catchment basis;

(c) “Buffer Area” means an area which extends beyond the flood plain of a stream;

(d) “catchment” or “catchment area” includes the entire land area whose runoff from rain, snow or ice drains into a water body or a water course, before the water course joins River Ganga or its tributaries or discharges water into River Ganga or its tributaries;

(e) “commercial fishing” means large scale fishing for commercial purposes by nets, poisoning, or other modern fishing gear or methods in River Ganga or its tributaries;

(f) Competent authority means “Central Government”

(g) “deforestation” means removal or reduction of forest cover, especially when caused by anthropogenic activities or removal of trees and other vegetation of a forest excluding a planned clearance for scientific management of forest in particular in the catchment area of River Ganga;

(h) “degraded forest” means a forest having loss or reduction of native forest cover or vegetation density in the catchment area abutting River Ganga or its tributaries;

(i) “direction” shall mean direction issued under section 5 of the Act and the expression “direct” shall be construed accordingly;

(j) “District Ganga Committee” means the District Ganga Protection Committee mentioned in paragraph 53;

(k) “engineered diversion” means a structure or device constructed or installed to transfer the water of River Ganga or its tributaries into canals or other engineering structures;

(l) "flood plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years;

(m) "Ghat" means sloping part at Bank of River Ganga or its tributaries with artificially constructed steps or sloping piece of land used for providing easy human access to water of River Ganga or its tributaries and includes usage of such parts for religious or other related purposes;

(n) "local authority" includes Panchayati raj institutions, municipalities, a district board, cantonment board, town planning authority or Zila Parishad or any other body or authority, by whatever name called, for the time being invested by law, for rendering essential services or with the control and management of civic services, within a specified local area;

(o) "National Mission for Clean Ganga" means the authority mentioned in paragraph 31.

(p) "notification" means a notification published in the Official Gazette and the expression 'notifying' shall be construed accordingly;

(q) "offensive matter" consists of solid waste which includes animal carcasses, kitchen or stable refuse, dung, dirt, putrid or putrefying substances and filth of any kind which is not included in the sewage;

(r) "person" include ----

(i) an individual or group or association of individuals whether incorporated or not;

(ii) a company established under the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(iii) any corporation established by or under any Central or State Act;

(iv) a local authority;

(v) every juridical person not falling within any of the preceding sub-clauses;

(s) "River Bed" means the dried portion of the area of River Ganga or its tributaries and includes the place where the River Ganga or its tributaries run its course when it fills with water and includes the land by the side of River Ganga or its tributaries which retains the water in its natural channel, when there is the greatest flow of water;

(t) "River Bed Farming" includes seasonal agriculture or farming on the River Bed of River Ganga or its tributaries during low flows of water;

(u) "River Ganga" means the entire length of six head-streams in the State of Uttarakhand namely, Rivers Alakananda, Dhauti Ganga, Nandakini, Pinder, Mandakini and Bhagirathi starting from their originating glaciers up to their respective confluences at Vishnu Prayag, Nand Prayag, Karn Prayag, Rudra Prayag, and Dev Prayag as also the main stem of the river thereafter up to Ganga Sagar including Prayag Raj and includes all its tributaries;

(v) "rubbish" means ashes, broken brick, mortar, broken glass, dust or refuse of any kind and includes filth;

(w) "sand mining" means large scale removal of river sand from the dried channel belt, flood plain or a part of River Ganga or its tributaries;

(x) "sewage effluent" means effluent from any sewerage system or sewage disposal works and includes sewage from open drains;

(y) "sewerage scheme" means any scheme which a local authority may introduce for removal of sewage by flushing with water through underground closed sewers;

(z) "Schedule" means Schedule appended to this Order;

(za) "specified District" means an area of every District abutting the River Ganga, being within a radius of fifteen kilometers of the Ganga River Bank or its tributaries in the States of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Haryana, Rajasthan, West Bengal and the National Capital Territory of Delhi and such other States, having major tributaries of the River Ganga as referred to in this Order;

(zb) "State Ganga Committee" means the State Ganga Rejuvenation, Protection and Management Committee constituted under this Order for each of the States mentioned in paragraph 2.

(zc) State Ganga River Conservation Authority means an authority earlier constituted in each State under the Act as follows, namely:-

(i) the Bihar State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O287 (E), dated 8<sup>th</sup> February 2010;

(ii) the Jharkhand State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O2495(E), dated 30<sup>th</sup> September 2009;

- (iii) the Uttarakhand State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O 1111 (E), dated 30<sup>th</sup> September 2009;
- (iv) the Uttar Pradesh State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O2493 (E), dated 30<sup>th</sup> September 2009; and
- (v) the West Bengal State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O2494 (E), dated 30<sup>th</sup> September 2009.

(zd) "stream" includes river, water course (whether flowing or for the time being dry), inland water (whether natural or artificial) and sub-terrain waters;

(zc) "tributaries of River Ganga" means those rivers or streams which flow into River Ganga and includes Yamuna River, Son River, Mahananda River, Kosi River, Gandak River, Ghaghara River and Mahakali River and their tributaries or such other rivers which National Council for Rejuvenation Protection and Management of River Ganga may, by notification, specify for the purposes of this Order.

2. The words and expressions used herein and not defined but defined in the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**4. Principles to be followed for rejuvenation, protection and management of River Ganga.** – (1) The following principles shall be followed in taking measures for the rejuvenation, protection and management of River Ganga, namely:-

- (i) the River Ganga shall be managed as a single system;
- (ii) the restoration and maintenance of the chemical, physical, and biological quality of the waters of River Ganga shall be achieved in a time bound manner;
- (iii) the River Ganga shall be managed in an ecologically sustainable manner;
- (iv) the continuity of flow in the River Ganga shall be maintained without altering the natural seasonal variations;
- (v) the longitudinal, lateral and vertical dimensions (connectivities) of River Ganga shall be incorporated into river management processes and practices;
- (vi) the integral relationship between the surface flow and sub-surface water (ground water) shall be restored and maintained;
- (vii) the lost natural vegetation in catchment area shall be regenerated and maintained;
- (viii) the aquatic and riparian biodiversity in River Ganga Basin shall be regenerated and conserved;
- (ix) the bank of River Ganga and its flood plain shall be construction free Zone to reduce pollution sources, pressures and to maintain its natural ground water recharge functions;
- (x) the public participation in rejuvenation, protection and management, revision and enforcement of any regulation, standard, effluent limitation plan, or programme for rejuvenation, protection and management shall be encouraged and made an integral part of processes and practices of

River Ganga rejuvenation, protection and management.

(2) National Mission for Clean Ganga may, having regard to the needs of the people of the country, advances in technology and socio economic conditions of the people and to preserve the rich heritage of national composite culture, specify additional principles in addition to the principles specified under sub-paragraph (1).

**5. Ecological flow of water in River Ganga to be maintained.** – (1) Every State Government, shall endeavor to ensure that uninterrupted flows of water are maintained at all times in River Ganga as required under clause (iv) of paragraph (4).

(2) Every State Government shall also endeavor to maintain adequate flow of water in River Ganga in different seasons to enable River Ganga to sustain its ecological integrity and to achieve the goal, all concerned authorities shall take suitable actions in a time bound manner.

(3) For the purposes of this paragraph, the average flow of water shall be determined by such Hydrology Observation Stations at such points of the River Ganga, as may be specified by the National Mission for Clean Ganga:

Provided that the average flow of water in River Ganga may, having regard to ecology, be determined by the National Mission for Clean Ganga for different points of River Ganga.

**6. Prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries.-** (1) No person shall discharge, directly or indirectly, any untreated or treated sewage or sewage sludge into the River Ganga or its tributaries or its banks:

Provided that where a local authority does not have, on the date of commencement of this Order, sewerage scheme or infrastructure for collection, storage, transportation and disposal of sewage or sewage sludge or such infrastructure is not functional on the said date in an area abutting the River Ganga or its tributaries, every such local authority shall, within a period, specified by National Mission for Clean Ganga from the date of commencement of this Order, develop such infrastructure or make such infrastructure functional, as the case may be, for collection, storage, transportation and disposal of sewage in the territorial area of the local authority.

(2) No person shall discharge, directly or indirectly, any untreated or treated trade effluent and industrial waste, bio-medical waste, or other hazardous substance into the River Ganga or its tributaries or on their banks:

Provided further that where an industry or industrial area management does not have, on the date of commencement of this Order, industrial effluent treatment scheme or infrastructure for collection, storage, transportation and disposal of trade effluents industrial waste, bio-medical waste, or other hazardous substance, etc. or such infrastructure is not functional on the said date in an area abutting the River Ganga or its tributaries, every such industry or industrial area management shall, within a period so specified by the National Mission for Clean Ganga from the date of commencement of this Order, develop such infrastructure or make such infrastructure functional, as the case may be, for collection, storage, transportation and disposal of trade effluent and industrial waste, bio-medical waste, or other hazardous substance in the jurisdiction of the industry or industrial area management.

(3) No person shall construct any structure, whether permanent or temporary for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries:

Provided that in exceptional circumstances like natural calamities or religious events at traditional locations, temporary structures can be raised after prior permission of the National Mission for Clean Ganga acting through the State Ganga Committee and the District Ganga Committee:

Provided further that in case any such construction has been completed, before the commencement of this Order, in the River Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries, the National Mission for Clean Ganga shall review such constructions so as to examine as to whether such constructions are causing interruption in the continuous flow of water or pollution in River Ganga or its tributaries, and if that be so, it shall cause for removing them.

(4) No person shall do any act or carry on any project or process or activity which, notwithstanding whether such act has been mentioned in this Order or not, has the effect of causing pollution in the River Ganga.

(5) It shall be the duty of the National Mission for Clean Ganga, every Specified State Ganga Committee or specified District Ganga Protection Committee, local authority and all other authorities and persons to disseminate widely and bring to public notice, using various means, information captured in reports and the aforesaid measures in the local language in every village, town, city and other areas abutting River Ganga and its tributaries.

**7. Emergency measures in case of pollution of River Ganga or its tributaries ---** If any poisonous, noxious or polluting matter is present or has entered into the River Ganga due to any accident or other unforeseen act or event, and it is necessary or expedient to take immediate action, the National Mission for Clean Ganga shall take immediate action for carrying out such operations or direct for carrying out such operations by the specified State Ganga Committee or specified District Ganga Committee or local authority or any other authority or Board or Corporation, as it may consider necessary for all or any of the following purposes, namely; -

(a) the manner of removing the matter from River Ganga and disposing it off in such a manner as it may specify, as also, for carrying out such operations as is considered appropriate for mitigation or removal of any pollution caused by such matter;

(b) issuing directions restraining or prohibiting any person concerned from discharging any poisonous, noxious or polluting matter in the River Ganga;

(c) undertaking any additional work or functions as may be necessary to address such emergency.

**8. Power to issue directions. -** The National Mission for Clean Ganga shall, in the exercise of its powers and performance or its functions under this Order, issue such directions in writing as it may consider necessary for abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga to the concerned authority or local authority or other authorities or Board or Corporation or person and they shall be bound to comply with such directions.

**9. Ganga safety audit.-** Every District Ganga Committee shall cause the Ganga safety audit to be carried out by such Ganga Safety Auditors within such time frame and in accordance with such protocols as may be specified by the

National Mission for Clean Ganga for the area of the River Ganga abutting such district and forward the copy of the report of such safety audit along with remedial action taken thereon to the concerned State Ganga Committee and the National Mission for Clean Ganga, which shall take appropriate action thereon, if required.

**10. Pollution in River Ganga and its tributaries to be monitored.**- (1) The pollution in River Ganga and its tributaries shall be monitored by the National Mission for Clean Ganga on its own or by directions through various State and Central Government agencies by use of satellite imagery and other remote sensing technologies as well as physical stations, online monitoring and independent agencies at a periodicity to be specified by it.

(2) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (1), the Central Government may assign the function of monitoring of pollution in River Ganga and its tributaries to any other agency or body or direct, having regard to advances in technology, to monitor the aforesaid pollution in River Ganga and its tributaries by adopting any other technique or method, as may be specified in the direction.

**11. Constitution of National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga.** - With effect from the date of commencement of this Order, there shall be constituted an authority by the name to be called the National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga, (hereinafter in this Order called as the National Ganga Council) for the purposes of the Act and to exercise powers and discharge functions as specified in this Order and the Act.

<b>12. Composition of National Ganga Council.</b> -The National Ganga Council shall consist of the following members, namely:-	
(a) Prime Minister	- Chairperson, <i>ex-officio</i>
(b) Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	- Vice-Chairperson, <i>ex-officio</i>
(c) Union Minister for Environment, Forests and Climate Change	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(d) Union Minister for Finance	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(e) Union Minister for Urban Development	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(f) Union Minister for Power	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(g) Union Minister for Science and Technology	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(h) Union Minister for Rural Development	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(i) Union Minister for Drinking Water and Sanitation	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(j) Union Minister for Shipping	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(k) Union Minister of State for Tourism	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(l) Vice Chairman, NITI Aayog	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(m) Chief Minister, Bihar	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(n) Chief Minister, Jharkhand	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(o) Chief Minister, Uttarakhand	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(p) Chief Minister, Uttar Pradesh	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(q) Chief Minister, West Bengal	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(r) Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(s) Director General, National Mission for Clean Ganga	- Member Secretary, <i>ex-officio</i> .

(2) The National Ganga Council may co-opt one or more Chief Ministers from the States not represented in the National Ganga Council having major tributaries of River Ganga, which are likely to affect the water quality in the River Ganga, as Member.

(3) The National Ganga Council may also co-opt one or more Union Ministers, if it considers necessary, as Member.

(4) The National Ganga Council may consult experts and expert organisations or institutions in the field of river rejuvenation, river ecology and river management, hydrology, environmental engineering, social mobilisation and other relevant fields.

(5) The Headquarter of the National Ganga Council shall be at New Delhi or at such other place as it may decide.

(6) The National Ganga Council shall have its Secretariat in the National Mission for Clean Ganga.

(7) The Central Government in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation shall serve as the nodal Ministry.

**13. Dissolution of National Ganga River Basin Authority ---** (1) On and from the date of constitution of the National Ganga Council in paragraph 11, the National Ganga River Basin Authority constituted by Notification of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, number S.O 2539 (E), dated the 29<sup>th</sup> September 2014 shall stand dissolved.

(2) All things done or omitted to be done or actions taken or any money spent or authorised to be spent by the National Ganga River Basin Authority before such dissolution shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Order.

**14. Superintendence, direction and control of management of River Ganga to vest in National Ganga Council.-** The National Ganga Council shall, notwithstanding anything contained in this Order, be overall responsible for the superintendence, direction, development and control of River Ganga and the entire River Basin (including financial and administrative matters) for the protection, prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its rejuvenation to its natural and pristine condition and to ensure continuous adequate flow of water in the River Ganga and for matters connected therewith.

**15. Jurisdiction of National Ganga Council.-** The jurisdiction of the National Ganga Council shall extend to the areas mentioned in paragraph 2.

**16. Meetings of National Ganga Council.-** (1) National Ganga Council may regulate its own procedure for transacting its business including its meetings.

(2) The Chairperson of the National Ganga Council shall preside over its meetings and in his absence, its Vice-Chairperson shall, preside over the meetings of the National Ganga Council and conduct its business.

(3) The Vice-Chairperson shall have the power to take decisions necessary for the National Ganga Council to achieve its objectives, in between the conduct of the two meetings of the Council subject to ratification in the next meeting.

(4) The National Ganga Council shall meet at least once every year or more as it may deem necessary.

**17. Constitution of Empowered Task Force on River Ganga as authority.-** (1) With effect from the date of commencement of this Order, there shall be constituted an authority by the name to be called the Empowered Task Force on River Ganga for the purposes of the Act and to exercise powers and discharge functions as specified in this Order and the Act.

(2) The Empowered Task Force on River Ganga shall consist of the following members, namely:-	
(a) Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	- Chairperson, <i>ex-officio</i> ;
(b) Union Minister of State for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	- Vice-Chairperson, <i>ex-officio</i> ;
(c) Secretary in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	- Member, <i>ex-officio</i>
(d) Secretary in the Ministry of Finance (Department of Expenditure)	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(e) Chief Executive Officer, Niti Ayog	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(f) Chief Secretary, State of Uttarakhand	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(g) Chief Secretary, State of Uttar Pradesh	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(h) Chief Secretary, State of Bihar	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(i) Chief Secretary, State of Jharkhand	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(j) Chief Secretary, State of West Bengal	- Member, <i>ex-officio</i> ;
(k) Director General, National Mission for Clean Ganga	- Member-Secretary

(3) The Empowered Task Force on River Ganga may also co-opt one or more Secretary in the Union Ministries or the Chief Secretary of any other State concerned, if it considers necessary, as member

(4) The Empowered Task Force on River Ganga shall meet at least once every three months or more as it may deem necessary.

(5) The administrative and technical support to the Empowered Task Force on River Ganga shall be provided by the Central Government in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation which shall be the nodal Ministry for the purposes of such administrative and technical support.

**18. Functions and powers of Empowered Task Force on River Ganga. –**

(1) The Empowered Task Force on River Ganga shall co-ordinate and advise on matters relating to rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1), the functions and powers of the Empowered Task Force on River Ganga may include measures with respect to all or any of the following matters in rejuvenation, protection and management of River Ganga, namely:-

(a) ensuring that the Ministries, Departments and State Governments concerned have -

- (i) an action plan with specific activities, milestones, and timelines for achievement of the objective of rejuvenation and protection of River Ganga;
- (ii) a mechanism for monitoring implementation of its action plans;

(b) co-ordination amongst the Ministries and Departments and State Governments concerned for implementation of its action plans in a time bound manner;

(c) to monitor the implementation process, address bottlenecks, suggest and take such decisions as may be necessary to ensure speedy implementation;

(d) all projects under the ambit of Namami Gange including ongoing projects funded domestically and through external assistance;

(e) discharge of such other functions or exercise of such powers as may be considered necessary for achievement of the objective of rejuvenation, protection and management of River Ganga or as may be assigned to it by the Central Government or specified by the National Ganga Council;

**19. Approval for projects exceeding value of rupees one thousand crore.-**

(1) The Empowered Task Force on River Ganga shall be responsible for the approval of every project exceeding a value of rupees one thousand crore, as amended from time to time.

(2) The Empowered Task Force on River Ganga may constitute a sub-committee of officials amongst its members for the purpose of sub-paragraph (1)

**20. Constitution and Composition of Specified State Ganga Rejuvenation, Protection and Management Committees as authorities.-** With effect from the date of commencement of this Order, these shall be constituted, in each State as specified in paragraph 2, an authority to be called the State Ganga Rejuvenation, Protection and Management Committee, which shall consist of a Chairperson and other members as specified in the Schedule to exercise powers and discharge functions as specified in this Order and the Act.

**21. Meetings of State Ganga Committee. –** (1) Every State Ganga Committee may regulate its own procedure for transacting its business including its meetings.

(2) Every State Ganga Committee shall convene its meetings at least once in every three months' time.

(3) The Chairperson of the State Ganga Committee shall preside over its meetings and in his absence, the said Committee shall elect its Vice-Chairperson who shall, preside over the meetings of the State Ganga Committee and conduct its business.

**22. Superintendence, direction and control over Committee.-** The superintendence, direction and control of the District Ganga Committees shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the State Ganga Committee, for the purposes of rejuvenation, protection, prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries so as to rejuvenate the River Ganga to its natural and pristine condition and ensure continuous and adequate flow of water in River Ganga and for protection and management of River Ganga in the States concerned.

**23. Decisions of State Ganga Committee to be binding.-** The decision taken at the meetings of the State Ganga Committee shall, notwithstanding anything contained in this Order, be binding upon every District Ganga Committee and every local authority or other authority or Board or person referred to in such decision and they shall comply with the decisions of the State Ganga Committee.

**24. Powers, duties and functions of State Ganga Committees.-** (1) Every State Ganga Committee shall, subject to the provisions of the Act and rules made or directions issued thereunder, have the power to take all such measures, including those in paragraphs 6, 7 and 8, as it deems necessary or expedient for effective abatement of pollution and conservation

of the River Ganga and for implementing the decisions or directions of the National Ganga Council and National Mission for Clean Ganga.

(2) The State Ganga Committee shall implement various programmes and projects of the National Ganga Council and National Mission for Clean Ganga.

(3) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraphs (1) and (2), such measures may include all or any of the following matters, namely:-

(a) coordination and implementation of the conservation activities relating to River Ganga including augmentation of sewerage infrastructure, catchment area treatment, protection of flood plains, creating public awareness and such other measures at the State level and regulation of activities aimed at the prevention, control and abatement of pollution in the River Ganga to maintain its water quality, and to take such other measures relevant to river ecology and management in the State concerned;

(b) implementation of the river basin management plan in the concerned State;

(c) maintenance of minimum ecological flows in the River Ganga in the concerned State and actions thereon;

(d) entry and inspection under section 10 and power to take sample under section 11 of the Act for the purpose of exercising and performing its functions under this Order.

(4) The State Ganga Committee shall undertake all the emergency measures mentioned in paragraph 7.

(5) The State Ganga Committee shall have the powers to issue directions under section 5 of the Act.

(6) The powers and functions of the State Ganga Committee shall be without prejudice to any of the powers conferred upon the State Government under any Central or State Act, being not inconsistent with the provisions of the Act.

**25. Monitoring execution of plans and programmes of District Ganga Committees.-** Every State Ganga Committee shall monitor the execution of plans, programmes, and projects of all their District Ganga Protection Committees and those of other authorities and submit progress in respect thereof to the National Mission for Clean Ganga.

**26. Preparation of consolidated reports of all District Ganga Committees and taking remedial measures in respect thereof.-** (1) Every State Ganga Committee shall prepare a consolidated report of all District Ganga Protection Committees, local authorities or other authorities or Board or Corporation or person for every quarter indicating therein in respect of each specified District abutting River Ganga and its tributaries, ----

(a) the status of the plans being executed and measures taken by them and any other activity relating to the health of River Ganga and its tributaries;

(b) the quality of water in River Ganga and its tributaries in each specified District and remedial action in respect thereof;

(c) any interruption of flow in the River Ganga in each specified District and reasons therefor;

(d) remedial measures taken on the complaints made to the District Ganga Committee or local authorities or other authorities;

(e) adverse report as reported by Ganga safety auditors in each specified District;

(f) any other information relevant to the health of River Ganga and its tributaries.

(2) The report referred to in sub-paragraph (1) shall be submitted within one month at the end of each year to the State Ganga Committee and National Mission for Clean Ganga along with remedial action thereof.

**27. Conducting of Ganga safety audit and submission of such audit reports by State Ganga Committees.-** (1) It shall be the duty of the State Ganga Committees to conduct or causes to be conducted, through the District Ganga Committees, the Ganga safety audit and submit report of the Ganga safety audit to the National Mission for Clean Ganga along with the remedial action taken thereon and also make available the same in public domain and exhibit the same at its website.

(2) The Ganga safety audit shall include such particulars and be done at such intervals (save as otherwise provided in this Order) and in such manner as may be specified, by notification, by the National Mission for Clean Ganga.

**28. State Ganga Committee to be nodal agency.-** The State Ganga Committee shall be the State-wide nodal agency in the State for the implementation of the provisions of this Order and for effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga and its tributaries.

**29. State Ganga Committees to be bound by direction of National Ganga Council and National Mission for Clean Ganga.-** Every State Ganga Committee, without prejudice to the foregoing provisions of this Order, shall, in exercise of its powers or the performance of its functions under this Order, be bound by the decisions or such directions (including those relating to technical and administrative matters) as the National Ganga Council and the National Mission for Clean

Ganga may give in writing to it from time to time for abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga.

**30. Dissolution of State Ganga River Conservation Authorities and State Executive Committees.-** (1) With effect from the date of constitution of the State Ganga Committees, the respective State Ganga River Conservation Authorities and the respective State Executive Committees constituted before the commencement of this Order shall stand dissolved.

(2) All things done or omitted to be done or actions taken or any money spent or authorised to be spent by the authorities and committees under sub-paragraph (1) before such dissolution shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Order.

**31. Constitution of National Mission for Clean Ganga as an authority.-**(1) With effect from the date of commencement of this Order, the National Mission for Clean Ganga, a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), shall be an authority constituted under the Act, by the same name for the purposes of the Act and to exercise powers and discharge functions as specified under this Order and the Act and the rules made or directions issued thereunder.

(2) The composition of the National Mission for Clean Ganga shall be as specified in paragraph 35.

**32. Area of operation of National Mission for Clean Ganga.-** The area of operation of the National Mission for Clean Ganga shall be the areas mentioned in paragraph 2.

**33. National Mission for Clean Ganga to be nodal agency.-** The National Mission for Clean Ganga shall be the nodal agency for the nationwide implementation of the provisions of this Order and for effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga and its tributaries.

**34. National Mission for Clean Ganga to be an empowered organization.-** The National Mission for Clean Ganga shall be an empowered organisation with two tier management having administrative, appraisal and approval powers and duties, functions and powers as specified in this Order.

**35. Composition of National Mission for Clean Ganga.-** The National Mission for Clean Ganga shall have a two-tier management structure and it shall comprise of the Governing Council and the Executive Committee.

(1) The Governing Council shall consist of the following members, namely:-

(a)	Director General of National Mission for Clean Ganga	Chairman, <i>ex-officio</i>
(b)	Joint Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Member, <i>ex-officio</i>
(c)	Joint Secretary, Ministry of Urban Development	Member, <i>ex-officio</i>
(d)	Joint Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Member, <i>ex-officio</i>
(e)	Joint Secretary, Department of Expenditure	Member, <i>ex-officio</i>
(f)	Representative of NITI Aayog (not below Joint Secretary)	Member, <i>ex-officio</i>
(g)	Chairman, Central Pollution Control Board	Member, <i>ex-officio</i>
(h)	Principal Secretary, Urban Development, Government of Bihar	Member, <i>ex-officio</i>
(i)	Principal Secretary, Urban Development, Government of Jharkhand	Member, <i>ex-officio</i>
(j)	Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh	Member, <i>ex-officio</i>
(k)	Principal Secretary, Pevjal, Government of Uttarakhand	Member, <i>ex-officio</i>
(l)	Principal Secretary, Urban Development, Government of West Bengal	Member, <i>ex-officio</i>
(m)	Executive Director(Deputy Director General), National Mission for Clean Ganga	Member, <i>ex-officio</i>
(n)	Executive Director (Technical), National Mission for Clean Ganga	Member, <i>ex-officio</i>

(o)	Executive Director (Finance), National Mission for Clean Ganga	Member. <i>ex-officio</i>
(p)	Executive Director (Projects), National Mission for Clean Ganga	Member. <i>ex-officio</i>
(q)	Executive Director(Administration), National Mission for Clean Ganga	Member- Secretary.

(2) The Executive Committee constituted out of the Governing Council, shall consist of the following members, namely:-

- (a) Director General, National Mission for Clean Ganga – Chairperson, *ex-officio*;
- (b) Joint Secretary, Department of Expenditure – Member, *ex-officio*;
- (c) Representative of NITI Aayog (not below Joint Secretary) – Member, *ex-officio*;
- (d) Principal Secretary of the State concerned – Member, *ex-officio*;
- (e) Executive Director (Deputy Director General)  
National Mission for Clean Ganga – Member, *ex-officio*;
- (f) Executive Director (Finance)  
National Mission for Clean Ganga – Member, *ex-officio*;
- (g) Executive Director (Technical)  
National Mission for Clean Ganga – Member, *ex-officio*;
- (h) Executive Director (Projects)  
National Mission for Clean Ganga – Member, *ex-officio*;
- (i) Executive Director (Administration)  
National Mission for Clean Ganga – Member, *ex-officio*;

(3) The Director General, National Mission for Clean Ganga may, if he considers necessary, may associate with the Executive Committee, any other member from the Governing Council.

(4) The Governing Council may constitute a sub-committee from out of its members and also by associating some technical experts for appraisal of the projects.

(5) The representative of the State concerned shall also be one of the members of sub-committee.

(6) Half of the members of the Governing Council shall form the quorum.

36. (1) All approvals up to one thousand crores rupees shall be granted by the Executive Committee and it shall report to the Governing Council at least once in three months.

(2) The Sub-Committee of the Governing Council shall appraise the project only after completion of Third Party Appraisal of the project by technical experts or consortium of recognized institutes or Indian Institutes of Technology, as the case may be.

(3) The Third Party Appraisal shall be for all projects irrespective of their value.

### 37. Appointment of Director General and Executive Directors of National Mission for Clean Ganga.-

- (1) Director General, National Mission for Clean Ganga shall be appointed by the Central Government who shall be equivalent to the rank of Additional Secretary or Secretary to the Government of India and his terms and conditions of services shall be determined by Central Government.
- (2) The Executive Director (Finance) shall be appointed on deputation from any of the organised accounts services in the Central Government in the rank equivalent to Joint Secretary to Government of India in accordance with the recruitment rules of the said services.
- (3) National Mission for Clean Ganga shall have at least one position for each of the Executive Directors in the rank of Joint Secretary to Government of India.
- (4) One of the Executive Directors shall be designated as Deputy Director General of the National Mission for Clean Ganga and he shall be appointed by the Central Government.
- (5) None of the nominated members of the Executive Committee shall be below the rank of Joint Secretary in Government of India.

38. Duty of National Mission for Clean Ganga.- It shall be the duty of the National Mission for Clean Ganga to -

- (i) follow the principles laid down in paragraph 4

- (ii) comply with the decisions and directions of the National Ganga Council and implement the Ganga Basin Management Plan approved by it;
- (iii) co-ordinate all activities for rejuvenation and protection of River Ganga in a time bound manner as directed by the National Ganga Council;
- (iv) do all other acts or abstain from doing certain act which may be necessary for rejuvenation and protection of River Ganga and its tributaries.

**39. Functions of National Mission for Clean Ganga.-** (1) Without prejudice to the provisions of this Order, the National Mission for Clean Ganga shall identify or cause to be identified -

- (a) the specific threats to the River Ganga in areas in each village and town of such specified District abutting River Ganga and its tributaries, including sewerage and industrial waste, cremation and burial of corpses and disposal of animal carcasses, and threats from commercial, recreational and religious activities;
- (b) the type of measures required to address such threat in each village and town of all districts abutting River Ganga and its tributaries;
- (c) the specific areas where such remedial actions are required to be taken for rejuvenation and protection of River Ganga and its tributaries.
- (d) the measures which may be necessary for reuse of treated water and enter in to Memorandum of Understanding in this regard with the Ministries of the Central Government like Railways, Power, Petroleum and Natural Gas etc., State Governments, autonomous bodies at the Central and State level, recognized Institutes and organizations which the National Mission for Clean Ganga may deem fit.

(2) The National Mission for Clean Ganga shall make or cause to make the River Ganga Basin Management Plan along with cost, timelines and allocation of responsibilities, among other things, for rejuvenation and protection of River Ganga and its tributaries in each village and town of specified District abutting River Ganga and its tributaries and execute projects there for.

(3) The National Mission for Clean Ganga shall ----

- (a) cause to be determined the magnitude of ecological flows in the River Ganga and its tributaries required to be maintained at different points in different areas at all times with the aim of ensuring water quality and environmentally sustainable rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries and notifying the same and take or direct all such measures necessary to maintain adequate ecological flows;
- (b) cause to be identified places where the environmental flow of water of River Ganga has been modified and take measures for correction thereof to maintain the continuous flow of water for rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries;
- (c) identify places of discontinuity of water in River Ganga and its tributaries due to engineered diversion of water or storage of water or by any other means and execute plans in respect thereof or take remedial action therefor;
- (d) devise a system to be put in place for continuous monitoring of flow of water and pollution levels in River Ganga and its tributaries;
- (e) take all such measures which may be necessary to give effect to the decisions of the National Ganga Council so as to maintain adequate ecological flows in the River Ganga and tributaries;
- (f) render assistance or cause them to be rendered by any agency for preparation of detailed project reports or execution of projects for abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga and its tributaries to the State Governments, the State Ganga Committees, District Ganga Committees or local authorities or any person or body, any authority, Board or Corporation;
- (g) set up or facilitate setting up or designate and direct one or more existing centers to research, develop and disseminate knowledge base and analytical tools on abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries;
- (h) take any other measures which may be necessary for continuous flow of water and abatement of pollution in River Ganga and its tributaries

(4) The National Mission for Clean Ganga shall take all such other emergency measures as outlined in paragraph 7.

**40. Establishment of River Ganga Monitoring Centres at suitable locations along River Ganga and its tributaries.-** The National Mission for Clean Ganga may identify the places in the River Ganga Basin and establish at such places or designate any existing laboratory or station or institute as Centres to be called the "River Ganga

Monitoring Centre" for monitoring amongst other things, continuous flow of water and pollution levels as required under this Order and such Centre shall report immediately to the National Mission for Clean Ganga for taking remedial action therefor.

**41. Powers of National Mission for Clean Ganga.-** (1) The National Mission for Clean Ganga being the national agency charged with the role, responsibility and powers to facilitate the task of rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries, under the supervision and direction of the National Ganga Council, shall recommend to the National Ganga Council or Central Government for issuing directions or issue directions itself, to the State Ganga Committees or District Ganga Committees or local authority or any other authority or any person, institution, consortium or agency, as it may decide, for the rejuvenation, protection and management of River Ganga and have the power to take all such measures and discharge such functions as it may deem necessary or expedient for prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries so as to rejuvenate the River Ganga to its natural and pristine condition and ensure continuous and adequate flow of water in River Ganga and for protection and management of River Ganga and for matters connected therewith.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1), and save as otherwise provided in this Order, such directions may include all or any of the following matters in the management of River Ganga, namely:-

- (a) fulfillment of the functions mentioned in paragraph 55 in accordance with the principles in paragraph 4;
  - (b) formulate, with the approval of the Central Government, the National policy for effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of River Ganga;
  - (c) enter into memorandum of understanding, with the approval of the Central Government, with any country or foreign agency for effective implementation of the River Ganga Basin Management Plan for rejuvenation, protection, prevention, control and abatement of pollution in the River Ganga and its tributaries;
  - (d) approve, with or without modifications, the River Ganga Basin Management Plan and direct amendments, if any, to be made therein;
  - (e) supervise and review the progress reports, and issue directions to the State Ganga Committees, District Ganga Committees or local authorities and other authorities in the implementation of the River Ganga Basin Management Plan and any other matter connected with affairs of the River Ganga and its tributaries;
  - (f) approve the planning, financing and execution of programmes for abatement of pollution in the River Ganga including augmentation of sewerage and effluent treatment infrastructure, catchment area treatment, protection of flood plains, creating public awareness, conservation of aquatic and riparian life and biodiversity and such other measures for promoting environmentally sustainable river rejuvenation;
  - (g) coordination, monitoring and review of the implementation of various programmes or activities taken up for prevention, control and abatement of pollution and protection and management in the River Ganga and its tributaries;
  - (h) direct any person or authority to take measures for restoration of river ecology and management in the River Ganga Basin States;
  - (i) recommend to the Central Government, for creation of special purpose vehicles (whether as a company under the companies Act, 2013(18 of 2013) or Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or a Trust under the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882)), as may be considered appropriate, for implementation of this Order and for the purposes of the Act;
  - (j) take such measures as may be necessary for the better co-ordination of policy and action to ensure effective prevention, control and abatement of pollution, rejuvenation and protection and management in the River Ganga and its tributaries;
  - (k) issue such directions to any person or authority, as it may consider necessary, for proper or prompt execution of the projects or cancel such projects or stop release of funds or direct refund of amount already released and assign the same to any other person or authority or Board or Corporation for prompt execution thereof;
  - (l) direct any person or authority to maintain such books of account or other documents, without prejudice to any law for the time being in force, as may be specified by the National Mission for Clean Ganga;
  - (m) take such other measures which may be necessary for achievement of prevention, control and abatement of pollution, rejuvenation and protection and management in the River Ganga and its tributaries;
- (3) The National Mission for Clean Ganga shall have the power to issue directions mentioned under section 5 of the Act.
- (4) The National Mission for Clean Ganga may evolve an appropriate mechanism for implementation of its decisions and the decisions of the National Ganga Council.

**42. Giving of prior approval in certain matters.-** Every person, the State Ganga Committees, District Ganga Protection Committees, local authorities and other authorities shall obtain prior approval of the National Mission for Clean Ganga, on the following matters, relating to River Ganga and any area abutting River Ganga or its tributaries, if required to implement the decisions of the National Ganga Council, namely:-

- (a) engineered diversion and storage of water in River Ganga without affecting the flow of water downstream of the River Ganga;
- (b) construction of bridges and associated roads and embankments over the River Ganga or at its River Bank or its flood plain area;
- (c) construction of Ghats or extension of any existing Ghat;
- (d) construction of jetties;
- (e) construction of permanent hydraulic structures for storage or diversion or control of waters or channelisation of River Ganga or its tributaries;
- (f) deforestation of hill slopes and notified forest and other eco-sensitive areas;
- (g) any other activity which contravenes the principles laid out in paragraph 4 which the National Mission for Clean Ganga may specify.

**43. Financial framework.-** (1) The budgetary allocation shall be utilised by the National Mission for Clean Ganga for meeting expenses in connection with the discharge of its functions, objects and purposes and establishment expenditure: Provided that the money received by way of grants, loans and borrowings shall be expended for the specific purpose for which such grants, loans and borrowings have been received.

(2) The National Mission for Clean Ganga shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual expenditure statement.

(3) The audit of National Mission for Clean Ganga accounts shall be done by the Comptroller and Auditor-General of India and after completion of annual audit, the audit agency shall furnish annual audit certificate.

(4) The affairs of National Mission for Clean Ganga shall be subject to the control of Central Vigilance Commission and there shall be a Vigilance Officer to look after vigilance related matters.

(5) The annual expenditure statement with the audit report shall be forwarded annually to the Empowered Task Force, and the Central Government for being laid before each House of Parliament.

**44. Engagement of legal experts.-** The National Mission for Clean Ganga shall have proper legal set up for which it may engage legal experts, consultants and legal firms as may be necessary for advising it on legal matters and providing support for discharging its duties.

**45. Scrutiny of reports.-** All the reports relating to its activities and reports received from the State Ganga Committees, District Ganga Committees, local authority, Board, Corporation or any person shall be scrutinised by the National Mission for Clean Ganga and placed by it along with its views on the matters mentioned in such report before the National Ganga Council for soliciting its guidance thereon, if required.

**46. Consolidated report of Ganga Safety audit.-** The National Mission for Clean Ganga shall prepare and submit a consolidated report of the Ganga safety audits of River Ganga to the National Ganga Council along with the remedial action taken thereon and also make available the same in public domain and exhibit the same at its website.

**47. Powers of National Mission for Clean Ganga to call for information, conduct inspection, publish reports, etc.-** (1) Where the National Mission for Clean Ganga considers it expedient so to do under section 5 of the Act, it may, by order in writing:-

- (a) call upon any State Ganga Committees, District Ganga Protection Committees, local authority, other authority, Board, Corporation or person, who has been allotted any project for execution or connected with such project or utilisation of funds, at any time, to furnish in writing or make public for dissemination such information or explanation relating to such project allotted for execution or executed or utilisation of fund allotted as the National Mission for Clean Ganga may require; or
- (b) appoint one or more persons or any authority to make an inquiry in relation to project allotted for execution or executed or utilisation of fund allotted; or
- (c) direct any of its officers or employees or the officers or employees of the Central Government or State Government or any other authority to inspect the books of account or other documents of the State Ganga Committees, District Ganga

Committees, local authority, other authority, Board, Corporation or person related to any project allotted for execution or executed or utilisation of funds; or

(d) require any person, officer, State Government or authority to furnish to it any reports, returns, statistics, accounts and other information and such person, officer, State Government or other authority shall be bound to do so.

**48. Financing and implementation model.**— The National Mission for Clean Ganga shall develop and constantly refine financial models that would improve the performance and sustainability of projects, and which can be adopted by the State Ganga Committees, District Ganga Committees, local authority, other authority or person for abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga.

**49. Preparation of consolidated reports.**— (1) The National Mission for Clean Ganga shall, on the basis of the reports and other information forwarded by the State Ganga Committees, District Ganga Committees, local authorities, other authorities, Board, Corporation or person, prepare a consolidated report every year indicating therein in respect of each specified District abutting River Ganga and its tributaries.—

(a) the status of the plans being executed and measures taken by them and any other activity relating to the health of River Ganga and its tributaries;

(b) the quality of water in River Ganga and its tributaries and remedial action in respect thereof;

(c) any interruption of water in the River Ganga and reasons therefor;

(d) condition of River Bed and flood plains and habitat in the specified District;

(e) remedial measures taken on the complaints received from public by the District Ganga Committee or local authorities;

(f) threats remaining to be addressed by them with remedial action proposed therefor;

(g) report if any as reported by Ganga safety auditors;

(h) all other information relevant about the health of River Ganga and its tributaries.

(2) The National Mission for Clean Ganga shall submit a consolidated report referred to in sub-paragraph (1) after review thereof to the Empowered Task Force along with remedial action thereof.

**50. Annual report.**— (1) The National Mission for Clean Ganga shall, within three months of the end of every year, prepare an annual report of all work undertaken by it and by the Empowered Task Force on River Ganga, the State Ganga Committees, District Ganga Committees, concerned local authorities, other authorities, Board, Corporation or persons during the immediately preceding year.

(2) The National Mission for Clean Ganga shall include under separate parts in its annual report referred to in sub-paragraph (1), all works undertaken by it and the Empowered Task Force on River Ganga, the State Governments, the State Ganga Committees, District Ganga Committees, concerned local authorities, other authorities, Board, Corporation or person, and forward the said annual report to the National Ganga Council and the Central Government and also make available in public domain and exhibit at its website.

**51. Constitution of Committees.**— The National Mission for Clean Ganga may, constitute one or more River Ganga Management Committees from amongst its members and such experts in the field of rivers or water as it may consider appropriate for the efficient discharge of its functions under this Order.

**52. Soliciting guidance.**— In case any difficulty arises in implementing decisions of the National Ganga Council or the provisions of this Order, it shall be duty of the National Mission for Clean Ganga to solicit the guidance of the National Ganga Council and take appropriate action accordingly.

**53. Constitution of District Ganga Protection Committees.**— (1) The Central Government shall immediately after the commencement of this Order, in consultation with concerned State Ganga Committee, by notification constitute, in every specified District abutting River Ganga and its tributaries in the States mentioned in paragraph 2, the "District Ganga Committees" for the prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga.

(2) Every District Ganga Committee in each specified District shall consist of the following members, namely:—

(a) the District Collector in the specified District; - Chairperson, ex-officio;

(b) not more than two nominated representatives from Municipalities and Gram Panchayats of the specified District nominated by the State Government. - Members;

(c) one representative each of the Public Works, Irrigation, Public Health Engineering, and Rural Drinking Water Departments, and State Pollution Control Board working in the specified District abutting River Ganga to be nominated by the District Collector	- Member, ex-officio;
(d) two environmentalists associated with River Ganga protection activities and one representative of local industry association in the specified District to be nominated by the District Collector	- Members,;
(e) one Divisional Forest Officer of the specified District	- Member, ex-officio
(f) one District official to be nominated by the District Collector.	- Member;

(2) The District Collector shall be the Chairperson of the District Ganga Committee and the Divisional Forest Officer shall be the Convener of the District Ganga Committee.

(3) The District Ganga Committees shall meet at such times and at such places as the Chairperson of that Committee may decide and exercise such powers and functions as may be conferred under this Order:

-Provided that at least one meeting of the District Ganga Committee shall be held every three months.

(4) A non ex-officio member may resign his office by giving notice in writing thereof to the Central Government or to the District Collector concerned, as the case may be, and shall cease to be a member on his resignation being accepted by the Government or the District Collector concerned, as the case may be.

**54. Superintendence, direction and control of District Ganga Committee.-** The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee (including financial and administrative matters) shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the National Mission for Clean Ganga which may be exercised by it either directly or through the State Ganga Committee or any of its officer or any other authority specified by it.

**55. Functions and powers of District Ganga Committees.-** (1) Every District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of River Ganga and its tributaries in each specified District as laid out in paragraph 6 and 7 as per the principles specified in paragraph 4.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1) for rejuvenation and protection and restoration or rehabilitation of degraded areas abutting River Ganga and its tributaries and subject to other provisions of this Order and rules made thereunder, every District Ganga Committee shall have the following powers and functions in relation to River Ganga and its tributaries abutting in the area in specified District, namely:-

(a) identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the River Ganga for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof;

(b) taking remedial action at its own end for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District (excluding enforcement of the provisions of this Order)

(c) in the event of its inability to take remedial action, reporting (electronically as well as by sending written communication in hard copy) to the National Mission for Clean Ganga and concerned State Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions.

(d) taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this Order so as to prevent the environmental pollution in the River Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force.

(3) In case, the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this Order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force.

(4) The District Ganga Committee shall take all such emergency measures as specified in paragraph 7.

**56. Designation of Nodal Officer.-** (1) Every District Ganga Committee shall nominate as Nodal Officer for the purposes of this Order -

(a) the Sarpanch of Gram Sabha of every village in the areas abutting the River Ganga and its tributaries;

(b) in case of an area, not being village abutting the River Ganga, the Chairperson of Municipality Planning Committee or Metropolitan Planning Committee or Chairperson of any local authority, as the Chairperson of the District Ganga Committee.

(2) Every Nodal Officer nominated under sub-paragraph (1) shall take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area, as the case may be, of which he is the Nodal Officer and in case of his failure to do so, he shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action.

(3) After receipt of the report under sub-paragraph (2), the Chairperson of the District Ganga Committee shall take remedial action for protection of River Ganga or its River bed abutting the specified District.

**57. Preparation of plans.-** (1) Every District Ganga Committee shall prepare its plan for protection of River Ganga and its tributaries and their River bed abutting the specified District and submit the same to the National Mission for Clean Ganga for its approval.

(2) The plan under sub-paragraph (1) shall include the activities to be undertaken by the District Ganga Committee for protection, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries and their River Bed area abutting the specified District which may be recommended by the State Government, State Ganga Committees, the National Mission for Clean Ganga, any other authority or Board and the expenditure involved for such plan and time within which such activities shall be completed.

**58. Preparation of budget and maintenance of accounts.-** Every District Ganga Committee shall prepare its budget for every financial year indicating therein the funds required and purposes for which such funds shall be spent and the time limit within which the activity mentioned in the budget shall be completed and submit to concerned State Ganga Committee under intimation to National Mission for Clean Ganga and such Committee shall ensure proper maintenance of accounts as directed by National Mission for Clean Ganga, for audit by the Comptroller and Auditor-General of India or any other agency appointed by the Comptroller and Auditor-General of India and such accounts shall be subject to inspection by National Ganga Council, National Mission for Clean Ganga, State Ganga Committee or any of their appointed entities.

**59. Monthly and annual reports.-** (1) Every District Ganga Committee shall, submit monthly and annual reports to the National Ganga Council, National Mission for Clean Ganga and State Ganga Committee as directed by National Mission for Clean Ganga within specified timelines.

(2) In addition to the annual report referred to in sub-paragraph (1), the District Ganga Committee shall furnish to the National Mission for Clean Ganga at such time and in such form and manner it may direct to furnish such other returns, statements and other particulars in regard to any proposed or existing programme for the River Ganga Basin Plan for the abutting area in the specified District.

**60. Budget allocation.-** The National Mission for Clean Ganga shall consolidate and prepare the budget requirement and submit the same to the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.

**61. Direction by Central Government.-** Notwithstanding anything contained in this Order, it shall be lawful for the Central Government to issue directions in writing to the Ministries or Departments of the Government of India, or the State Government or the State Ganga Committees, the National Mission for Clean Ganga or District Ganga Committees, or local authority or other authority or statutory bodies or any of its officers or employees, as the case may be, to facilitate or assist in the rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries in such manner as it may direct, and such Ministry or Department or Authority or Mission or Board, Committee or Government or statutory body, officer or employee shall be bound to comply with such directions.

**62. Making of complaint under section 19 of the Act.-** All the authorities constituted under this Order or their officers authorised by such authorities may make complaint before the court under section 19 of the Act for taking cognizance of any offence under the said section.

**63. Order to be in addition to other laws.-** The provisions of this Order are without prejudice to the discharge of functions by any local authority or other authority or Board or corporation or any person for taking measures for the purposes of effective abatement of pollution and rejuvenation of the River Ganga and its protection and management and any other law for the time being in force.

## SCHEDULE

[See paragraph 20]

## COMPOSITION OF STATE GANGA COMMITTEES

Serial No.	Name of the State Ganga Committee	Composition of the State Ganga Committees
(1)	(2)	(3)
1.	(Name) State Ganga Protection and Management Committee	(a) Chief Secretary, Government of State of (Name) - Chairperson, ex-officio;
		(b) Principal Secretary, Department of Finance, Government of State of (Name) - Member, ex-officio;
		(c) Principal Secretary, Department of Urban Development and Housing, Government of (Name) - Member, ex-officio;
		(d) Principal Secretary, Department of Environment and Forests, Government of State of (Name) - Member, ex-officio
		(e) Principal Secretary, Department of Water Resources, Government of State of (Name) - Member, ex-officio;
		(f) Principal Secretary, Department of Public Health Engineering, Government of State of (Name) - Member, ex-officio
		(g) Chairman, (Name) State Pollution Control Board - Member, ex-officio;
		(h) Chief Executive Officer of executing agency in the State of (Name) - Member, ex-officio;
		(i) Principal Chief Conservator of Forests, Government of State of (Name) - Member, ex-officio;
		(j) not more than five experts from relevant fields to be nominated by the Government of (Name) - Members

[F. No. Estt-01/2016-17/111/NMCG]

SANJAY KUNDU, Jt. Secy.



File No.76-2099/14/2021-2-

		भूगर्भ जल विभाग	सदस्य
13	अधीक्षण अभियन्ता	मत्स्य विभाग	सदस्य
14	उप निदेशक	उद्यान विभाग	सदस्य
15	संपूर्ण निदेशक	C-Ganga/ IIT-Kanpur, BBAU-Lucknow, NII-Roorkee, IIT-BHU	सदस्य
16	सम्बन्धित तकनीकी विशेषज्ञ	ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य सचिव-प्रशासनिक
17	संपूर्ण विकास आयुक्त	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	सदस्य सचिव- तकनीकी
18	मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता		

**समिति के कार्यक्षेत्र एवं गतिविधियाँ:-**

- समिति की बैठक वार्षिक माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित कराये जाय।
- समिति के द्वारा जनपद स्तर पर छोटी व सहायक नदियों का चिह्निकरण, मैपिंग व पुनरीक्षण तथा कायाकल्प की रणनीति तैयार करना एवं अनुमोदन करना।
- समिति के द्वारा जनपद स्तर पर जिला मंत्र समिति के द्वारा तैयार की गयी रणनीति का अनुमोदन करना।
- जनपदवार नदियों के पुनरीक्षण/कायाकल्प व अनुमोदन करने हेतु पौटन का निर्माण करना एवं गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करना।
- राज्य मंत्र समिति उ०प० के वैश्विक बैठक में जनपदवार रिपोर्ट गये कार्य की प्रगति से अवगत करायेगी।
- समिति के द्वारा छोटी व सहायक नदियों की 02 कि०मी० की परीधि के अंतर्गत स्थित शासकीय भूमि/नदी क्षेत्र का चिह्निकरण करना तथा अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- छोटी एवं सहायक नदियों का कायाकल्प का कार्य जनरल के नियमानुसार/गड्डेड लाईन्स पर किया जाय।

अतः जनपद स्तर पर दक्षिण जिला मंत्र समिति के माध्यम से जनपद/मण्डल में अवस्थित छोटी तथा सहायक नदियों पर जनरल कार्यक्रम व अन्य योजना के अंतर्गत समिति के पुनरीक्षण तथा कायाकल्प कराने का फल वनी।

महतीय,

(द्वारा भूपल मिश्र)  
 सहायक सचिव  
 विभाग

Date: 04-04-2022 15:51:49  
 Reason: Approved

संख्या-25भा०स०/11/76-2-2022-05/20/2020/सी. तदतिशंक।

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ नदी मिशन, नई दिल्ली, भारत सरकार।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/संचालनालय विकास विभाग पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/मत्स्य विभाग/उद्यान विभाग/नगर विकास विभाग उ०प० हासन।
3. परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ नदी मिशन, उ०प० हासन।
4. अपर आयुक्त, जनरल, उ०प०।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मोडल अधिकारी, जिला मंत्र समिति उ०प०।
6. संबंधित प्रशासकीय निदेश/सदस्य सचिव, जिला मंत्र समिति।
7. सम्बन्धित तकनीकी संस्थाओं के सम्बन्धित विशेषज्ञ।
8. सम्बन्धित विभागों के समिति के सदस्य मंत्र।
9. आई एचडी।

(अनुराग श्रीवास्तव)  
 प्रमुख सचिव।

संख्या- 365/76-2-2022-05एनजी/2020टीसी

प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।

2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, 30प्र0।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-2

तखनऊ: दिनांक 20 जुलाई, 2022

विषय:- मनरेगा कार्यक्रम व अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरोद्धार एवं कायाकल्प के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-29भा0स0/76-2-2022/05एनजी/2020टीसी, दिनांक 05.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मनरेगा कार्यक्रम व अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरोद्धार एवं कायाकल्प के अनुश्रवण हेतु गठित की जाने वाली मण्डल स्तरीय समिति के गठन के संबंध में है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश संख्या:- 29भा0स0/76-2-2022/05एनजी/2020टीसी, दिनांक 05.04.2022 के प्रस्तर-3 के क्रमांक 4, 5 एवं 16 पर अंकित अधिकारियों के नाम पदनाम मोबाइल न0, ई-मेल निम्नवत है:-

प्रस्तर 03 के क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	विभाग/तकनीकी संस्था	मोबाइल न0	ई-मेल
4	श्री आलोक श्रीवास्तव, भूजल विशेषज्ञ	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, (जल शक्ति	9910711900	alok@spageo.co.in
	श्री हरीश कुमार महावर, लघु नदी संरक्षण विशेषज्ञ।	मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)	9773745300	harish.mahavar@govco ntractor.in
5	डा0 सीताराम टैगोर, पर्यावरण विशेषज्ञ-गंगा	राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0, प्लॉट नं0-	9660471966	esganga@smcg-up.org
	डा0 शैफाली श्रीवास्तव, ई0एस0एम0एफ0	18, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार योजना,	9956111902	es@smcg-up.org
	डा0 सत्येन्द्र नाथ पाण्डेय, एस0एम0एस0	तखनऊ।	6394136624	satyendraesmf@gmail.c om
16	प्रो0 पुरेन्दु वीर	सिविल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर।	9956575604	pbose@ilkt.ac.in
	प्रो0 वेंकटेश दत्ता	पर्यावरण विभाग, दादा साहेब भीमराव अम्बेडकर	9918466778	dvenks@gmail.com

GO-7331-H.

	विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ।		
डा० सुधीर कुमार, वैज्ञानिक-जी	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, भारत।	9897024025	skumar.nihr@gov.in
प्रो० पी०के० सिंह	सिविल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय	9958189771	psingh.civ@iitbhu.ac.in
डा० शिशिर	प्रोद्योगिकी संस्थान-कन्नस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।	7877152766	shishirg.civ@iitbhu.ac.in
डा० अनुराग ओहरी		8081765686	aohri.civ@iitbhu.ac.in

3- तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भारतीय,  
2008-22  
(अखण्ड प्रताप सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या-365(1)/76-2-2022-05एनजी/2020टी.सी. तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या के पत्र संख्या-123/नदी पुनर्स्थापन/2022-23, दिनांक 12.05.2022 के संदर्भ में।
2. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली, भारत सरकार।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/पंचायतीराज विकास विभाग/ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/ सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/कृषि विभाग/मत्स्य विभाग/ उद्यान विभाग/नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन।
4. परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र० लखनऊ।
5. अपर आयुक्त, मनरेगा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी, जिला गंगा समिति उ०प्र०।
7. संबंधित प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति।
8. संबंधित तकनीकी संस्थाओं के विशेषज्ञ।
9. संबंधित विभागों के समिति के सदस्य गण।
10. गाई फाईल।

आज्ञा से,  
(अखण्ड प्रताप सिंह)  
विशेष सचिव।

प्रेषक,

आयुक्त, —  
ग्राम्य विकास, —  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. प्रो० विनोद तारे,  
प्रोफेसर एवं फाउण्डिंग हेड,  
आई०आई०टी०, कानपुर।
2. प्रो० पी०के० सिंह,  
प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग विभाग  
आई०आई०टी०, वी०एच०यू०।
3. प्रो० वेंकटेश दत्ता  
प्रोफेसर पर्यावरण विभाग  
वी०डी०ए०यू०, लखनऊ।
4. प्रो० सुधीर कुमार,  
एन०आई०एच०, रुढ़की।

पत्रांक-2178 / मनरेगा-सेल / पत्रा०सं०-530 / 2022-23

दिनांक 4 मई, 2023

विषय:-मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में नदियों के पुनरुद्धार की रिपोर्ट के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि मनरेगा योजनान्तर्गत विलुप्तप्राय नदियों के पुनरुद्धार की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें आपके द्वारा इस विभाग को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 75 विलुप्तप्राय नदियों को चिह्नित किया गया है, जिसमें आपके संस्थान द्वारा तकनीकी सहयोग अपेक्षित है।

मनरेगा योजनान्तर्गत विगत वर्षों में विलुप्तप्राय नदियों के पुनरुद्धार हेतु कराये गये कार्यों की रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

मधुदीप  
13/06  
(जी०एस० प्रियदर्शी)  
आयुक्त,  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक- 2178 / मनरेगा-सेल / पत्रा०सं०-530 / 2022-23, तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ०प्र०।
2. समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार, उ०प्र०।

(विजय कुमार चौधरी)  
उपायुक्त, मनरेगा  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

## नदियों के पुनरुद्धार की प्रगति (2020-21)

क्र.सं.	नदी का नाम	खण्ड का नाम	आव्यक्तित योग पंचायतों की संख्या	नदी की लम्बाई जिस पर कार्य पूर्ण का लिया गया है (कि०मी० में)	तालाब का जोषाँडाटा (संख्या)	प्रस्तावना (संख्या)	नालों का जोषाँडाटा (संख्या)	प्रतिघंटा व्यय (लाख में)	कुल सृजित मानव दिवस
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
कुल योग			2124	1410.81	919	2260564	664	6706.55	2917367
1	रेदी नदी	बलगाँव	43	0	27	27490	14	160.25	58747
		गोण्डा	66	0	21	310500	37	98.68	49016
2	मन्तरना नदी	गोण्डा	41	0	18	85090	23	47.03	22178
		चन्ती	96	115	138	252500	37	399.62	236146
3	पान्चु नदी	कानपुर नगर	56	0	53	65600	54	45.57	24038
		कानपुर रोजत	22	0.6	7	0	12	46.14	24445
		फतेहपुर	16	0	8	8450	16	45.75	23148
			94	0.6	68	74050	82	137.46	71631
4	खरफा नदी	प्रयागराज	17	39.17	0	0	0	87.75	16584
		भदोली	48	16.2	6	8520	5	155.45	851
		पारणसी	42	18.12	6	12450	6	83.89	42626
			107	73.49	12	20970	11	327.09	60061
5	समुद्र खरफा	फतेहपुर	26	0	31	47600	10	64.91	9870
		सोनीमर्वा	56	74.03	45	125142	6	101.67	44571
6	सह नदी	हरीद्वार	78	62.14	28	8630	0	318.07	172852
		गदरगवा	81	199.7	82	99302	102	511.85	261500
		रुधरगढ़	16	0	8	7762	12	26.38	16959
		शुभारगढ़	88	42.04	37	26005	42	144.45	77207
		शिवमोहन	17	0	51	24063	0	79.89	54897

क्र.सं.	नदी का नाम	जनपद का नाम	आच्छादित ग्राम पंचायतों की संख्या	नदी की लम्बाई किमी पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है (कि०मी० में)	तात्पर्य का जोषोंद्वारा (संख्या)	प्रक्षारण (संख्या)	नालों का जोषोंद्वारा (संख्या)	द्वितीय चयन (लाख में)	कुल सृजित मानव दिक्का
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
	कुल योग		2124	1410.81	919	2260564	664	6706.55	2917367
7	गोमती नदी	सीतापुर	45	67	23	83399	27	105.75	5679
		लखनऊ	41	0	15	28803	19	71.75	35403
		शाहजहाँपुर	21	0	11	49241	0	35.22	14396
8	अरिल नदी	बदायूँ	39	0	12	0	4	5.35	2632
		बोली	35	0.1	31	112200	0	44.44	25394
9	घांघा नदी	भदोही	31	25.75	5	6200	4	219.80	120000
10	घंटाकिनी नदी	चिम्बूट	19	30	0	0	0	109.30	62290
11	तमसा नदी	अयोध्या	77	148	70	123042	65	976.00	506213
		अम्बेटकर नगर	58	71.9	4	95300	1	870.75	66126
12	नाद नदी	याताणसी	21	17.42	17	10870	27	36.80	15806
13	कर्णावती नदी	मिर्जापुर	19	20.21	8	30552	0	61.34	33703
14	वान नदी	बिजनौर	64	60.12	15	200199	16	137.75	69633
		अमरोहा	57	42.04	37	26005	42	144.45	77207
		मुरादाबाद	1	1.2	0.5	0	0	1.96	1079
15	सोत नदी	संभल	57	74	0	15000	0	157.94	14853
16	फाली पूर्वी नदी	अलीगढ़	73.00	100	60.5	271756	58	503.44	196475
		एटा	24	0	17	0	0	22.49	123570
		मुल्तानसहर	88	0	6	88	2	20.70	8765
17	डादी नदी	मुरादाबाद	5	3.65	1	600	0	21.60	11209
18	ईशान नदी	एटा	14	5.6	0	0	0	3.11	1707
	मुदी नदी	काशी	60	86.78	22	72000	0	222.88	110297

17.2.22  
 (अतिरिक्त तिथि)  
 संकलन आगमन, नगरपालिका, काठमाडौं

17/2/22  
 Pankaj

1-25

क्र.सं.	वर्ग	कृषक संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर)	कुल उत्पादन (मेट्रिक टन)	औसत उत्पादन (किलोग्राम/हेक्टर)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर)	कुल उत्पादन (मेट्रिक टन)	औसत उत्पादन (किलोग्राम/हेक्टर)
20	कृषक संख्या	23	7	0	0	0	0	0
21	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर)	2	4	0	0	0	28.00	30000
22	औसत उत्पादन (किलोग्राम/हेक्टर)	45	2.1	4	2524	4	83.67	41626
23	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर)	49	90.18	0	23769	21	251.54	126084
24	औसत उत्पादन (किलोग्राम/हेक्टर)	8	18.95	0	0	0	53.28	26507
25	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर)	19	24.81	0	0	0	120.60	63843
कुल योग		2124	1410.81	919	2260564	664	6706.55	2917367
1	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर)	5	7	8	9	10	11	12
2	कुल उत्पादन (मेट्रिक टन)	3						
3	औसत उत्पादन (किलोग्राम/हेक्टर)							
4	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर)							
5	कुल उत्पादन (मेट्रिक टन)							
6	औसत उत्पादन (किलोग्राम/हेक्टर)							
7	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर)							
8	कुल उत्पादन (मेट्रिक टन)							
9	औसत उत्पादन (किलोग्राम/हेक्टर)							
10	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर)							
11	कुल उत्पादन (मेट्रिक टन)							
12	औसत उत्पादन (किलोग्राम/हेक्टर)							

Scanned with CamScanner

वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्तुप्तप्राय नदियों के पुनारुधार की प्रगति

क्र.सं.	नदी का नाम	निष्कासक नदी का नाम	अवसर्जन स्थानों की संख्या	अवसर्जन स्थानों की संख्या	अवसर्जन की कीमत (₹)	अधीनस्थ अवसर्जनों की संख्या	अधीनस्थ अवसर्जनों की कीमत (₹)	अवसर्जन की प्रगति (मैट्रिक्स)		कुल व्यय (₹)		अधीनस्थ व्यय (₹)		कुल व्यय (₹)	कुल व्यय (₹)
								समाप्त	कुल	समाप्त	कुल	समाप्त	कुल		
कुल योग			44	396	844.52	473.58	268.83	381	318	1461607	1362910	491	401	2532.68	1202846
1	गोखरी नदी	गोखरी नदी	5	39	57	0	0	12	12	4300	4300	3	2	22.31	6625
2	गोखरी नदी	गोखरी नदी	2	3	17.07	17.07	12.00	204	198	1176120	1176120	426	373	671.19	320015
3	गोखरी नदी	गोखरी नदी	2	4	12.300	12.00	12.00	0	0	1120	1120	0	0	11.55	5726
4	गोखरी नदी	गोखरी नदी	3	21	86.12	34.12	19.86	0	0	116599	62442	0	0	51.06	25629
5	गोखरी नदी	गोखरी नदी	2	40	64.5	12.5	5	5	4018	4018	5	5	109.21	52435	
6	गोखरी नदी	गोखरी नदी	6	65	117.26	67.92	49.94	21	6	8800	8800	24	1	3.20	1568
7	गोखरी नदी	गोखरी नदी	3	29	61	61	61	36	12	19500	19500	16	5	412.22	201452
8	गोखरी नदी	गोखरी नदी	11	77	180	180	116	63	63	71170	26630	0	0	810.17	415242
9	गोखरी नदी	गोखरी नदी	1	3	27	10.5	9	1	1	8640	8640	0	0	8.91	4473
10	गोखरी नदी	गोखरी नदी	3	48	53.37	16.2	4.1	6	5	8520	8520	5	5	155.15	8510
11	गोखरी नदी	गोखरी नदी	1	5	43	26.77	2.93	5	5	6200	6200	4	3	220.8	12150
12	गोखरी नदी	गोखरी नदी	1	5	18.008	6.60	1	0	0	0	0	0	0	5.31	2623
					803	413	0	5	11	20000	0	5	6	81.3	2108

17/11/2021

Scanned with CamScanner

सं. - 800/25-27-12-4

उत्तर प्रदेश शासन  
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-04  
संख्या-10 NGT/25-27-सि0-4-8(रिट)(NGT)/2022-CN-1832864  
लखनऊ: दिनांक: 26 जून, 2025

1. अपर मुख्य सचिव,  
ग्राम्य विकास विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन ।
2. प्रमुख सचिव,  
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

कृपया जनपद बलरामपुर में सुआँव नदी के संबंध में ओ.ए. संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य विषयक विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-6 उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-डीएफए/1147499/38-6099(99)/85/2024, दिनांक 19.06.2025 की संलग्न छायाप्रति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. जनपद बलरामपुर में सुआँव नदी के संबंध में ओ.ए. संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2025 की संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 15.04.2025 के विन्दु संख्या-6, 8 व 9 निम्नवत है:-

6. The Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh is directed to file additional response giving complete details regarding determination of flood plain zone of river Suav, identification of encroachments on the same and also remedial measures taken for rejuvenation of river Suav. Additional responses be filed at least one day before 09.07.2025 and the case be listed on 09.07.2025 in case additional responses are not so filed.
9. List on 16.07.2025 for further consideration.

अवगत कराना है कि भारत सरकार, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 द्वारा The River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016. निर्गत किया गया है, जिसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई/प्रदूषण के प्रभावी निवारण तथा नदी का संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए उक्त आदेश के प्रस्तर-31 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है तथा प्रस्तर-33 में यह उल्लेख है कि राष्ट्रीय कार्यान्वयन तथा प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और गंगा नदी तथा उसकी उप नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एक नोडल एजेंसी होगा। उक्त आदेश के प्रस्तर-39 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्यों को परिभाषित किया गया है।

4. इसी क्रम में यह भी विदित है कि राज्यों में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उपरो) का गठन किया गया है। नमामि गंगे के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु The River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 के प्रस्तर-20 में राज्य

गंगा समिति तथा प्रस्तर-53 में जिला गंगा समिति की संकल्पना अवधारित की गयी है, अर्थात् नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य राज्य गंगा समिति तथा जिला गंगा समिति के माध्यम से सम्पादित किये जाने हैं। उक्त अधिसूचना का प्रस्तर-20, प्रस्तर-53 तथा प्रस्तर-24 (2) में निम्नवत् उल्लेख किया गया है:-

**20. Constitution and Composition of Specified State Ganga Rejuvenation, Protection and Management Committees as authorities-** With effect from the date of commencement of this Order, these shall be constituted, in each State as specified in paragraph 2, an authority to be called the State Ganga Rejuvenation, Protection and Management Committee, which shall consist of a Chairperson and other members as specified in the Schedule to exercise powers and discharge functions as specified in this Order and the Act.

**53. Constitution of District Ganga Protection Committees.-** (1) The Central Government shall immediately after the commencement of this Order, in consultation with concerned State Ganga Committee, by notification constitute, in every specified District abutting River Ganga and its tributaries in the States mentioned in paragraph 2, the "District Ganga Committees" for the prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga.

(2) The District Collector shall be the Chairperson of the District Ganga Committee and the Divisional Forest Officer shall be the Convener of the District Ganga Committee.

**24. Powers, duties and functions of State Ganga Committees.-** (1) Every State Ganga Committee shall, subject to the provisions of the Act and rules made or directions issued thereunder, have the power to take all such measures, including those in paragraphs 6, 7 and 8, as it deems necessary or expedient for effective abatement of pollution and conservation of the River Ganga and for implementing the decisions or directions of the National Ganga Council and National Mission for Clean Ganga.

(2) The State Ganga Committee shall implement various programmes and projects of the National Ganga Council and National Mission for Clean Ganga.

इस प्रकार राज्य गंगा समिति द्वारा राष्ट्रीय गंगा परिषद और राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन के विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाओं का कार्यान्वयन (implement) किया जाता है।

5. इसी क्रम में छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरोद्धार एवं कायाकल्प के संबंध में कतिपय शासनादेशों एवं भारत सरकार के पत्रों का संक्षिप्त विवरण /निर्देश निम्नवत् हैं:-

(1) नीति आयोग भारत सरकार के पत्र / D.O. Letter No-11(1)2017WR Vol-1, दिनांक 06.06.2018 (छायाप्रति संलग्न) एवं उक्त पत्र के संदर्भ में राज्य योजना आयोग अनुभाग-1 उपर शसन के अर्द्धशा-पत्र सं-27एनए(17)/35-आ-1/2018-34, दिनांक 14.06.2018 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार नदियों के पुनर्जीवन से सम्बन्धित कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित होगा एवं मनरेगा कार्यक्रम का केन्द्रीय मंत्रालय/ विभाग यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता, जल संसाधन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के साथ कनवर्जेंस किया जायेगा।

(2) प्रदेश की छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरोद्धार एवं कायाकल्प के संबंध में तमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा मुख्य सचिव, उ०प्र० के स्तर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल संसाधन, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र/ D.O. Letter No-TE-16015/43/2020-GKC NMCG/835, दिनांक 10.02.2022 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में शासनादेश संख्या-29भा0स0/76-2-2022/05एन0जी0/2020टीसी दिनांक 05 अप्रैल, 2022 (छायाप्रति संलग्न) एवं शासनादेश संख्या-365/76-2-2022-05एन0जी0/2020टीसी दिनांक 20 जुलाई, 2022 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया है। शासनादेश दिनांक 05 अप्रैल, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश की 50 छोटी एवं सहायक नदियों को मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनरोद्धार एवं कायाकल्प जनपद स्तर पर गठित जिला गंगा समितियों के माध्यम से किये जाने तथा छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरोद्धार व कायाकल्प निगरानी/अनुश्रवण हेतु समिति का गठन करते हुए जनपद स्तर पर गठित जिला गंगा समिति के माध्यम से जनपद /मण्डल में अवस्थित छोटी तथा सहायक नदियों को मनरेगा कार्यक्रम व अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर पुनरोद्धार तथा कायाकल्प कराने के निर्देश निर्गत हुए हैं।

(3) मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में विलुप्त प्राय नदियों के पुनरुद्धार की रिपोर्ट विषयक आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग के पत्रांक-2178/मनरेगा-सेल/पत्रा०सं०-530/2022-23, दिनांक 14.06.2023 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार मनरेगा योजनान्तर्गत विलुप्तप्राय नदियों के पुनरुद्धार की कार्यवाही की जा रही है।

6. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में " उत्तर प्रदेश राज्य गंगा समिति /गवर्निंग काउन्सिल " की दिनांक 16.05.2025 को सम्पन्न 15वीं बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 03.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) में एजेण्डा विन्दु-5 - राज्य में छोटी नदियों के पुनरोद्धार एवं संरक्षण हेतु किये जा रहे एवं प्रस्तावित कार्यो पर विचार-विमर्श के संबंध में बैठक में स्थिर किये गये मत/ निर्देश निम्नवत है:-

राज्य गंगा समिति द्वारा राज्य में छोटी नदियों के पुनरोद्धार, संरक्षण एवं कायाकल्प हेतु मनरेगा द्वारा कराये गये कार्यो की सराहना करते हुए सुझाव दिया गया कि राज्य में गंगा की सहायक नदियों/छोटी नदियों/विलुप्त नदियों के पुनरोद्धार, संरक्षण एवं कायाकल्प हेतु 'मनरेगा' के तहत किये जा रहे कार्य सीमित होने की वजह से इनका पूर्ण पुनरोद्धार, संरक्षण एवं कायाकल्प नहीं हो पा रहा है। अतः आवश्यक है कि इनके पुनरोद्धार, संरक्षण एवं कायाकल्प हेतु विस्तृत कार्ययोजना एक माह के अन्तर्गत तैयार कर राज्य सेक्टर से वित्त पोषण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाये, जिसमें राज्य में स्थित गंगा की सहायक नदियों/छोटी नदियों/ विलुप्त नदियों के साथ-साथ झीलें/तालाव/पोखर/ताल के पुनरोद्धार, संरक्षण एवं कायाकल्प हेतु व्यवस्था सम्मिलित हो। इन कार्यो में मुख्यतः नदियों की तलहटियों की ड्रेजिंग, डी-सिल्टिंग, सतही जल संरक्षण, वृहद् वृक्षारोपण इत्यादि कार्य जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए प्रस्तावित किये जायें। इनमें मुख्यतः हरनन्दी (हिंडन), गोमती, यमुना, काली ईस्ट, वरुणा, आमी आदि नदियां सम्मिलित हों। इन कार्यो को मिशन मोड में प्रारम्भ किया जाये।

(कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नगर विकास विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग तथा कृषि विभाग आदि)

साथ ही निर्देश दिये गये कि जिला गंगा समितियों द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के सहयोग से निम्नलिखित तालिकानुसार नदियों के पुनरोद्धार एवं कायाकल्प हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाये।

क्र०सं०	जनपद का नाम	नदी का नाम
1	फतेहपुर	ससुर खदेरी
2	जौनपुर	वसूही
3	वाराणसी	अस्सी एवं वरुणा
4	कानपुर	नून नदी
5	उन्नाव	उन्नाव एवं मदनी
6	गोण्डा एवं बहराइच	टेढ़ी नदी
7	सहारनपुर	ढमोला एवं पांचधोई
8	पीलीभीत	गोमती उद्गम स्थल पर (माधव टांडा)

(कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश/ संबंधित जिला गंगा समिति)

7. अतः स्पष्ट है कि नदियों के पुनरोद्धार एवं कायाकल्प नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि कृपया वर्णित उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत जनपद बलरामपुर में सुआँव नदी के संबंध में ओ०ए० संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बलराम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2025 के बिन्दु-6 के अंश- "and also remedial measures taken for rejuvenation of river Suav" के अनुपालन में उपर्युक्त प्रस्तरों में वर्णित अपिसूचना के प्राविधानों एवं सुसंगत शासनादेशों के आलोक में जनपद बलरामपुर में सुआँव नदी के पुर्नजीवन (rejuvenation) के कार्य के विषय पर मा. अधिकरण के आदेश दिनांक 15.04.2025 के बिन्दु-6 के उक्त अंश के अनुपालन हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए मा. अधिकरण के आदेश दिनांक 15.04.2025 के बिन्दु-8 के क्रम में समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-संयोजक।

Digitally signed by  
RAMA KANT VERMA

Date: 26-06-2025

(रमा कान्त वर्मा)  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक नदें।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प0 शासन ।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प0, लखनऊ ।
3. जिलाधिकारी, बलरामपुर 3०प० ।

रमा कान्त यर्मा  
संयुक्त सचिव ।

संख्या-800/25-27-सिं0-4-8(रिट)(NGT)/2022-CN-1832864

प्रेषक

रमाकान्त वर्मा,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
बलरामपुर

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-04

लखनऊ:: दिनांक:30-06-2025

विषय- ओ.ए. संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2025 के अनुपालन में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ओ.ए. संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2025 एवं इस सम्बन्ध में प्रेषित सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-04 के पत्र संख्या-10 NGT/25-27-सिं0-4-8(रिट)(NGT)/2022-CN-1832864 दिनांक:26 जून 2025 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । उक्त वाद में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2025 के विन्दु संख्या-6, 8 व 9 निम्नवत है:-

6. The Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh is directed to file additional response giving complete details regarding determination of flood plain zone of river Suav, identification of encroachments on the same and also remedial measures taken for rejuvenation of river Suav.

8. Additional responses be filed at least one day before 09.07.2025 and the case be listed on 09.07.2025 in case additional responses are not so filed.

9. List on 16.07.2025 for further consideration.

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलरामपुर में सुआँव नदी के संबंध में ओ.ए. संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2025 के अनुपालन में सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-04 के पत्र संख्या-10 NGT/25-27-सिं0-4-8(रिट)(NGT)/2022-CN-1832864 दिनांक: 26 जून 2025 में उल्लिखित अधिसूचना के प्राविधानों एवं सुसंगत शासनादेशों के आलोक में जनपद बलरामपुर में सुआँव नदी के पुर्नजीवन (remedial measures taken for rejuvenation) के सम्बन्ध में कराये गए कार्यों की अद्यतन सूचना शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।  
संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by  
RAMA KANT VERMA  
Date: 30-06-2025  
17:53:09

(रमाकान्त वर्मा)  
संयुक्त सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तद्वैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 50प्र0 शासन ।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 50प्र0, लखनऊ

आज्ञा से,  
रमाकान्त वर्मा  
संयुक्त सचिव ।

## कार्यालय उपजिलाधिकारी बलरामपुर सदर

पत्रांक: 136 / आ0लि0(एन.जी.टी.-सुवांव नदी) / 2024-25

दिनांक: 22-05-2025

1. श्री सुरेश तिवारी, लेखपाल।
2. श्री पुनीत, लेखपाल।
3. श्री बच्चाराम, लेखपाल।
4. श्री दिनेश, लेखपाल।
5. श्री गोपाल जी श्रीवास्तव, लेखपाल।
6. श्री रोहित द्विवेदी, लेखपाल।
7. बबिता भारती, लेखपाल।
8. श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी, लेखपाल।
9. श्री आलोक सिंह, लेखपाल।
10. श्री मनीष गुप्ता, लेखपाल।
11. श्री राकेश कुमार, लेखपाल।

आप सभी को अवगत कराना है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर के निर्देशानुसार जनपद में स्थित सुवांव नदी के दोनों किनारों पर फ्लड प्लेन जोन का चिह्निकरण किये जाने के साथ, विद्यमान सभी प्रकार के निर्माण व सुवांव नदी की भूमि पर हुये अतिक्रमण विषयक सर्वे किया जाना है। उक्त सर्वे हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड-2 बलरामपुर द्वारा टीम का गठन किया गया है।

अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्रों से सम्बन्धित अवर अभियन्ता से समन्वय स्थापित कर सर्वे का कार्य पूर्ण कराकर अपनी संयुक्त रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अवर अभियन्ता का नाम व मो0नं0	सुपरवाइजर का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे टीम / लेखपाल का नाम व मो0नं0
1	2	3	4
श्री राजकुमार कुशवाहा - 7398989838	श्री राम प्यारे उपाध्याय 9918080574	कटरा शंकर नगर, सोनार	श्री सुरेश तिवारी 9236717074
		महादेव हिन्दू नगर, सेखुईया, देवरिया रानीजोत, गणेशपुर	बबिता भारती 9670947930
		गौदीपुर, रामपुर बनघुसरा, महादेवमिश्र, बहरेकुइया, हरवंशपुर	श्री मनीष गुप्ता 9628073772
		धरमनगर, नन्दनगर	श्री गोपाल जी श्रीवास्तव 9838309577
श्री विनोद कुमार- 8574400904	श्री हरिश्याम चतुर्वेदी 8957700673	विशुनीपुर, कलवारी	श्री पुनीत मिश्रा 9161914330
		बलरामपुर देहात, बलरामपुर नगर, भवनियापुर	श्री बच्चाराम 9451046940
		बिशुनापुर, राघवपुर, हसुवाडोल	श्री दिनेश मिश्रा 9936091751
		धुसाह, सेखुईकला	श्री रोहित द्विवेदी 9415724974

-102

		कोयलरा, शंकरपुर, शेरूपुर, शेखरपुर, भीखपुर	श्री आलोक सिंह 9260905024
श्री राहुल - 8756562020	श्री राम निवास तिवारी 7518752929	खुटेहना	श्री राकेश कुमार 9759776082
		गिधरैया, चारोकाफरी, चकवा, अडारपाकड	श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी 8081990378

उक्त सर्वे टीम में नियुक्त सुपरवाइजर प्रत्येक दिवस में हुए सर्वे की प्रगति का रिपोर्ट सायं 5.00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

उपजिलाधिकारी  
बलरामपुर सदर।

प्रतिलिपि:

1. अपर जिलाधिकारी (वि०/सा०) बलरामपुर को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अधिशाषी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड-2 बलरामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त कार्मिकों को अनुपालनार्थ।
4. तहसीलदार बलरामपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी  
बलरामपुर सदर।

## कार्यालय उपजिलाधिकारी उतरौला जनपद बलरामपुर

पत्रांक 848/र0का0(सुवाव-नदी)/2025

दिनांक:-21.05.2025

अधिशासी अभियन्ता

सरयू ड्रेनेज खण्ड-2 बलरामपुर

महोदय,

अवगत कशना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) नई दिल्ली के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर के निर्देशानुसार जनपद में स्थित सुवाव नदी के दोनो तरफ किनारों पर फ्लड प्लेन जोन की चिन्हीकरण किये जाने के साथ विद्यमान सभी प्रकार के निर्माण जैसे भवन,स्कूल,धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थाई निर्माण के अतिक्रमण विषयक सर्वे किया जाना है। उक्त सर्वे हेतु अधिशासी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड-2 बलरामपुर द्वारा टीम का गठन किया गया है।

उक्त के अनुपालन में निम्न राजस्व टीम गठित की जाती है।

क्र0सं0	नदी का नाम	ग्राम का नाम	लेखपाल का नाम	मोबाइल नम्बर
1	सुवाव नदी	रसूलाबाद	फखरूल हसन	9451944936
2	"	मो0पुर बंजरहा	फखरूल हसन	9451944936
3	"	चिचुडी संहगिया	फखरूल हसन	9451944936
4	"	सिसहना	मो0 अकरम	9839324981
5	"	भितवरिया	देवी प्रसाद शर्मा	9473566817
6	"	इटईरामपुर	अखिलेश यादव/दिलीप यादव	7081148047 / 9450427730
7	"	मगईपुर	सुभाष चन्द्र वर्मा	9616949468
8	"	परानपुर	संदीप श्रीवास्तव	9919338378
9	"	धौरहरा	देवी प्रसाद शर्मा	9473566817
10	"	पुरैना बुलन्द	अतधेश उपाध्याय	9792281182
11	"	टेढवा नवाबाद	मो0 अकरम	9839324981
12	"	करमहिया	देवी प्रसाद शर्मा	9473566817
13	"	मैनहा	मो0 अकरम	9839324981
14	"	पिड़िया बुजुर्ग	मो0 अकरम	9839324981
15	"	अजगरी	मो0 अकरम	9839324981
16	"	छीतरपारा	राजेश रवि	9450191821
17	"	कैथोलिया सलेमपुर	मो0 अकरम	9839324981
18	"	मधपुर	संदीप श्रीवास्तव	9919338378
19	"	पेडरिया	गीता देवी	9451500088
20	"	पिपराराम	गीता देवी	9451500088
21	"	वासूपुर	अन्नू पाण्डेय	7355338121
22	"	नियामतजोत	संदीप श्रीवास्तव	9919338378
23	"	चपरहिया	अखिलेश वर्मा	7309894858
24	"	हवीवपुर	अखिलेश वर्मा	7309894858
25	"	लालगंज	अखिलेश वर्मा	7309894858
26	"	दिलावलपुर	अमरेश प्रताप वर्मा	6306655947
27	"	गरीबनगर	अखिलेश वर्मा	7309894858
28	"	सेखुइया कस्बा	विद्यादत्त	8795436600
29	"	जोगीवीर	मदन मोहन श्रीवास्तव	8545013440
30	"	रेहरामाफी	शैलेन्द्र पाठक	9506618253
31	"	चीती	शैलेन्द्र पाठक	9506618253
32	"	देवरिया मैनहा	शैलेन्द्र पाठक	9506618253
33	"	शाहपुर इटई	शैलेन्द्र पाठक	9506618253
34	"	तखारवा	रामू	9129637770



35	"	रैगावा	रामू	9129637770
36	"	इमिलिया रज्जाक	अंकित पाण्डेय	9125617139
37	"	महमूद नगर	अंकित पाण्डेय	9125617139
38	"	जीत नगर	रतन भूषण सोनकर	9554917768
39	सुवाव नदी	गायडीह	रामू	9129637770
40	"	कपौवा शेरपुर	रतन भूषण सोनकर	9554917768
41	"	किदूश	कृष्णानन्द मिश्रा	9935317098
42	"	बरगदवा	दुर्गेश कुंवर	9616207737
43	"	निरंजनपुर	दुर्गेश कुंवर	9616207737
44	"	इटईमैदा	कृष्णानन्द मिश्रा	9935317098
45	"	पुरैना वाजिद	दुर्गेश कुंवर	9616207737
46	"	पुरैना कानूनगो	ओम प्रकाश	8115512398
47	"	कोल्हुई विनोहनी	धुवराज वर्मा	9838221561
48	"	रूखी मझारी	ओम प्रकाश	8115512398
49	"	पिपरा याकूब	अर्जुन उपाध्याय	9695297909
50	"	पटियाला ग्रिण्ट	अर्जुन उपाध्याय	9695297909
51	"	गोदहना	अर्जुन उपाध्याय	9695297909
52	"	रागपुर बगनहा	धुवराज वर्मा	9838221561
53	"	त्रिलोकपुर	धुवराज वर्मा	9838221561
54	"	विश्रामपुर	धुवराज वर्मा	9838221561
55	"	संझवल प्रेमनगर	चन्द्र प्रकाश मौर्य	6388046999
56	"	आदमपुर	चन्द्र प्रकाश मौर्य	6388046999
57	"	जिगना	सत्यम सक्सेना	9415386437
58	"	महुवा इब्राहिम	धुवराज वर्मा	9838221561
59	"	दत्तनगर	सत्यम सक्सेना	9415386437
60	"	धौरहरी	सत्यम सक्सेना	9415386437
61	"	राजगढ़	चन्द्र प्रकाश मौर्य	6388046999
62	"	बरभदही	सत्यम सक्सेना	9415386437

## जू०इ०/जिलेदार

क्र०सं०	नदी का नाम	चैनेज सुवाव (किमी)	सदस्य( जू०इ०/जिलेदार)
1	सुवाव नदी	46.00 से 67.00	विकाश कुमार 7905895564
2	सुवाव नदी	30.00 से 46.00	पवन कुमार 9415974219
3	सुवाव नदी	16.00 से 30.00	आशीष कुमार 9918714858
4	सुवाव नदी	00.00 से 16.00	राकेश कुमार सराज 9919318848
5	सुवाव नदी	कुनाल श्रीवास्तव	9451036581

उपरोक्त लेखपाल सरयू ड्रेनेज खण्ड-2 बलरामपुर के एस०डी०ओ० मनोज कुमार 9519727035 जू०इ०/जिलेदार से सम्पर्क स्थापित कर सर्वे का कार्य पूर्ण करायें।

उपजिलाधिकारी  
उत्तरौला

प्रतिलिपि:-

1. अपरजिलाधिकारी महोदय बलरामपुर को सादर सूचनार्थ।

उपजिलाधिकारी  
उत्तरौला

## कार्यालय तहसीलदार डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर।

पत्रांक:- 47 / शिकायत टीम / शि0लि0 / 2025-26 / दिनांक:- 04 जून 2025

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता  
सरयू ड्रेनेज खण्ड-2  
बलरामपुर।

महोदय,


अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) नई दिल्ली के आदेश के क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय डुमरियागंज के निर्देशानुसार जनपद में स्थित सुवांव नदी के दोनों तरफ किनारों पर फ्लड जोन की चिन्हीकरण किये जाने के साथ विद्यमान सभी प्रकार के निर्माण जैसे-भवन, स्कूल, धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थाई निर्माण के अतिक्रमण विषयक सर्वे किया जाना है। उक्त सर्वे हेतु अधिशायी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड-2 बलरामपुर द्वारा टीम का गठन किया गया है।

उक्त के अनुपालन में निम्न राजस्व टीम गठित की जाती है।

क्र0 सं0	नदी का नाम	ग्राम का नाम	लेखपाल का नाम	मोबाइल नम्बर	राजस्व निरीक्षक का नाम	मोबाइल नम्बर
1	सुवाव नदी	गजनीजोत उर्फ रसूलाबाद	श्री ओम प्रकाश	9621662484	श्री दानपाल	969555406
2	सुवाव नदी	भड़रिया तप्पा-भानपुर	श्री ओम प्रकाश	9621662484		
3	सुवाव नदी	बनगवा नानकार	श्री त्रिलोकी नाथ दूबे	8787019177		
4	सुवाव नदी	गहिरौला	श्री माता प्रसाद भारती	9792027152		
5	सुवाव नदी	बढ़नीचाफा	श्री मंजय कुमार	9455254247		


जू0इ0 / जिलेदार				
क्र0 सं0	नदी का नाम	चैनेज सुवाव (किमी)	सदस्य (जू0इ0 / जिलेदार)	मोबाइल नम्बर
1	सुवाव नदी	00.00 से 16.00	श्री राकेश कुमार सरोज	9919318848
2	सुवाव नदी	00.00 से 16.00	श्री कुनाल श्रीवास्तव	9451036581

उपरोक्त लेखपाल सरयू ड्रेनेज खण्ड-2 बलरामपुर के एस0डी0ओ0 (9519727035) जू0इ0 / जिलेदार से सम्पर्क स्थापित कर सर्वे का कार्य पूर्ण कराये। श्री मनोज कु

  
तहसीलदार  
डुमरियागंज।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय सिद्धार्थनगर।
2. उपजिलाधिकारी महोदय डुमरियागंज।

  
तहसीलदार  
डुमरियागंज।

## 1111 का्यालय अधलशारस

सरयू ड्रेनेज खणुड-2, बलरामपुर

पत्रांक:- 576 / स0ड्रे0ख0-2/एन0जी0टी0/

दिनांक - 02/06/2025


विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- प्रमुख अभियन्ता का पत्रांक: 429/मु0अ0 (ज0सं0)/अनिम-1/अनिख-3/दिनांक 29.05.2025

अधलशासी अधलकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बलरामपुर में सुवांव नदी के सम्बन्ध में योजित ओ0ए0 संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से अछादित है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक:-15.04.2025 के क्रम में बिन्दु संख्या 06 के अंश "regarding determination of flood plain zone of river Suav, identification of encroachments on the same" के अनुपालन में जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में सुवांव नदी के दोनों तरफ फ्लड प्लेन जोन के अन्तर्गत अतिक्रमण का चिन्हांकन करते हुये एवं बिन्दु संख्या 08 के क्रम में समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु लिखा गया है।


अतः आप अपने नगर पालिका क्षेत्र में सुवांव नदी के दोनों तरफ फ्लड प्लेन जोन के अन्तर्गत निर्मित स्थायी/अस्थायी निर्माण के चिन्हांकन का कार्य कराने का कष्ट करें।  
संलग्नक उपरोक्तानुसार:-

  
02-06-2025  
अधलशासी अभियन्ता,  
सरयू ड्रेनेज खणुड-2, बलरामपुर

पत्रांक - 576 / स0ड्रे0ख0-2/एन0जी0टी0/तदिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना-2, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोण्डा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गोण्डा।
3. सहायक अभियन्ता-प्रथम, सरयू ड्रेनेज खणुड-2, बलरामपुर।

  
02-06-2025  
अधलशासी अभियन्ता,  
सरयू ड्रेनेज खणुड-2, बलरामपुर